खण्ड–21, अंक–4
शुक्रवार, 17 फाल्गुन, शक संवत्, 1929
(07 मार्च, 2008 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2008)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 21 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2009

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
प्रश्नोत्तर	1–53
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं...	53
जनपद उत्तरकाशी में, मनेरी भाली परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई कार्मिकों को विद्युत टैरिफ सुविधा प्रदान किये जाने में दोहरी नीति अपनाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	54
उत्तराखण्ड में निवास कर रही विलुप्त प्रायः आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को मूलभूत आवश्यकतायें (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा भूमि आदि) की सुविधायें दिलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	54–55
प्रदेश में बेरोजगार डिप्लोमा फार्मेसिस्ट को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद अल्मोड़ा के क्षेत्र पंचायत धौलादेवी की ग्राम पंचायत धूरा की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	55
भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक, भारत सरकार का (31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए) उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	56
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (पारित)	56–91
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएँ	91

'क'

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अनिल नौटियाल
3. श्रीमती आशा
4. श्री ओम गोपाल
5. सुश्री कैरन हिल्टन
6. श्री केदार सिंह फोनिया
7. श्री खजान दास
8. श्री खड़क सिंह बोहरा
9. श्री गगन सिंह
10. श्री गणेश जोशी
11. श्री गोपाल सिंह रावत
12. श्री गोविन्द लाल
13. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
14. श्री चन्दन राम दास
15. श्री जोगा राम टम्टा
16. श्री दिवाकर भट्ट
17. श्री दिवान सिंह
18. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
19. श्री प्रकाश पन्त
20. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
21. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
22. श्री बिशन सिंह चुफाल
23. श्री बंशीधर भगत
24. श्री बृज मोहन कोटवाल
25. मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0
26. श्री मदन कौशिक
27. श्री मातबर सिंह कण्डारी
28. श्री मुन्ना सिंह चौहान
29. श्री यशपाल बेनाम
30. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
31. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
32. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
33. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
34. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
35. श्री सुरेश चन्द जैन
36. श्री हरभजन सिंह चीमा
37. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनाँक 07 मार्च, 2008 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि विपक्ष के माननीय सदस्य आज सदन में उपस्थित नहीं हैं, आप उनके पास जाकर अनुरोध करें कि वह सदन में उपस्थित हों।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं उनसे वार्ता के लिए एक बार प्रयास करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–40(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त स्थगित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में 'खेल नीति' को लागू न किया जाना व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मान एवं नौकरियों में आरक्षण

*1. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 'खेल नीति' तैयार हो जाने के पश्चात् अभी तक लागू न किए जाने के क्या कारण हैं?

क्या यह सत्य है कि सरकार की निष्क्रियता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को यथोचित सम्मान, आर्थिक पारितोषिक एवं नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में खेल नीति को अतिशीघ्र लागू कर खिलाड़ियों को सम्मान देने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

खेल मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

राज्य के लिए प्रथम खेल नीति, 2006 घोषित एवं क्रियान्वित की जा चुकी है।

जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करने वाले विशिष्ट खिलाड़ियों को समय–समय पर सम्मानित किया जाता रहा है, एवं राज्य की प्रथम खेल नीति के अनुरूप सरकारी एवं अर्द्धसरकारी सेवाओं में नियमानुसार 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत इसका अवसर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

तारांकित प्रश्न

विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समूह 'ख' एवं 'क' में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित पदों का विवरण

*1. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विद्यालयी शिक्षा विभाग में समूह 'ख' एवं 'क' के कुल कितने पद सृजित हैं एवं इन पदों के सापेक्ष अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कितने पदों को भरा गया है एवं कितने पद रिक्त हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड सरकार के वर्तमान आरक्षण नियमों/शासनादेशों का पालन विभाग द्वारा ऐसे रिक्त पदों को न भरे जाने का क्या कारण एवं औचित्य है?

शासनादेश के अनुरूप पदों को न भरे जाने के लिये कौन दोषी है?

क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है?

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

क्या ऐसे आरक्षित पदों को रोस्टर की व्यवस्था अनुसार भरने की कार्यवाही गतिमान है?

यदि हाँ, तो इनको पूर्ण रूप से कब तक भर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

विद्यालयी शिक्षा विभाग में समूह 'ख' के कुल सृजित पदों की संख्या–979 है एवं समूह 'क' के कुल सृजित पदों की संख्या–1062 है। अनुसूचित जाति के कार्मिकों के लिए समूह 'ख' में 186 पद आरक्षित हैं, जिसके सापेक्ष 120 पदों को

भरा गया है एवं शेष 66 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के कार्मिकों के लिए समूह 'क' में 202 पद आरक्षित हैं, जिसके सापेक्ष 121 पदों को भरा गया है एवं शेष 81 पद रिक्त हैं।

समूह 'क' एवं 'ख' के सृजित अधिकांश पदों के सापेक्ष जो भी अधिकारी वर्तमान में तैनात हैं, चाहे वो सामान्य जाति के हों अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों, उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2006 में पदोन्नति हेतु निहित सेवा शर्तों/प्राविधानों की पूर्ति नहीं करते हैं, जिसके कारण समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकांश पदों पर काम चलाऊ नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकारियों को पदों के प्रति तैनात किया गया है, अर्थात पदोन्नति नहीं की गयी है। जो अधिकारी पदोन्नति हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हैं, उनकी पदोन्नति नियमानुसार की गयी है तथा पदोन्नति के समय आरक्षण नियमों का पूर्ण रूपेण पालन किया गया है। आरक्षण नियमों/आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेशों का पालन रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाते समय किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2006 में पदोन्नति हेतु निहित सेवा शर्तों/प्राविधानों की पूर्ति करने पर समूह 'क' एवं 'ख' में पदोन्नति किये जाते समय आरक्षित पदों को भरने हेतु नियमानुसार रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2006 में पदोन्नति हेतु निहित सेवा शर्तों/प्राविधानों की पूर्ति करने पर।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नत्थी–क तारांकित प्रश्न संख्या–1 पर माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद हरिद्वार में स्थापित औद्योगिक इकाईयों द्वारा फैक्ट्री कानून एवं न्यूनतम वेतन भुगतान नियम का पालन

*2. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में स्थापित औद्योगिक इकाईयों द्वारा फैक्ट्री कानून एवं न्यूनतम वेतन भुगतान नियम का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

आंशिक रूप से।

जनपद हरिद्वार में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वर्ष 2006 से जनवरी 2008 तक 287 निरीक्षण किये गयें जिनमें से 24 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्राभियोजन दायर किये गये।

इसी प्रकार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 70 निरीक्षण किये गये जिनमें से 30 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्राभियोजन/उपशमन तथा 40 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निर्देश बाद दायर किये गये।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–1 तथा–2 पर माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के संगठनात्मक स्वरूप में बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के राजकीयकरण के उपरान्त समायोजन एवं पुरानी सेवाओं में वरीयता दिये जाने हेतु नियमावली में प्राविधान

*3. श्री मनोज तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के संगठनात्मक स्वरूप के निर्धारण में बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के राजकीयकरण के उपरान्त इनके समायोजन एवं पुरानी सेवाओं को वरीयता दिये जाने हेतु नियमावली, जिसके प्रख्यापन की कार्यवाही विचाराधीन है, में प्राविधान किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या इन कर्मचारियों को राजकीय संवर्ग में विलय किए जाने पर 30 प्रतिशत पदोन्नति का आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था नियमावली में है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

नियमावली प्रख्यापन हेतु विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नियमावली प्रख्यापन हेतु विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–3 पर माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

प्रदेश के हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेजों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से शिक्षण शुल्क लिये जाने विषयक

*4. श्री प्रीतम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के हाईस्कूल व इण्टर में पढ़ने वाले छात्रों से शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्यों?

क्या सरकार द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–124/15–7–2000(114)/96, दिनाँक 20–1–2000 एवं पुनरीक्षित शासनादेश संख्या–380/XXIV–3/2005, दिनाँक 21–11–2005 के प्राविधानों के अनुरूप शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की गयी है।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–4 पर माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्कूली बस्ते के बोझ को सीमित करने पर विचार

*5. सुश्री कैरन हिल्टन–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में (1 से 8 तक की कक्षाओं) स्कूली बस्ते का बोझ अधिक होता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बस्ते के बोझ को सीमित करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो किस प्रकार तथा कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सुश्री कैरन हिल्टन–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आशय राजकीय स्कूल से न होकर प्राइवेट स्कूल से है। क्या सरकार के नियम प्राइवेट स्कूलों में लागू नहीं होते हैं?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को अवगत कराना चाहता हूँ कि उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड करता है। राज्य सरकार इन स्कूलों के पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं करती है।

सुश्री कैरन हिल्टन–

मान्यवर, अगर सरकार के नियम प्राइवेट स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं तो सरकार प्रदेश के बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने के लिए क्या कर रही है? यह हमारे प्रदेश के बच्चों की सेहत का मामला है, उनके डेवलपमेंट और उनके ग्रोथ पर इससे गलत असर पड़ रहा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विद्यालय हैं उन पर किसी भी प्रकार का बस्ते का बोझ नहीं है। हमारी पुस्तकें सीमित हैं, उन पुस्तकों की संख्या भी सीमित हैं। कक्षा–1 में 2 पुस्तकें, कक्षा–2 में 3 पुस्तकें, कक्षा–3 में 5 पुस्तकें, कक्षा–4 में 6 पुस्तकें, कक्षा–5 में 6 पुस्तकें हैं, इसी प्रकार से कक्षा–6 में 8 पुस्तकें, कक्षा–7 में 10 पुस्तकें तथा कक्षा–8 में 10 पुस्तकें हैं। लेकिन माननीय सदस्या ने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के बारे में कहा है। मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 के विद्यालय हैं, उनके कोर्स का निर्धारण वे स्वयं करते हैं। हम तो राज्य में उनको संचालित करने हेतु नो–आब्जेक्शन सार्टिफिकेट जारी करते हैं, इसलिए हमारी शर्तें उनके किसी भी कोर्स पर लागू नहीं होती है। इसलिए सरकार का उन पर केवल नियंत्रण इतना है कि राज्य में वह रहेंगे।

मान्यवर, कुछ शर्तें हैं, हमारी एन0ओ0सी0 देने के लिए शर्तें हैं। वह शर्तें अगर कहें तो पढ़ दे रहा हूँ। पहली शर्त यह है कि उनको सोसाइटी का पंजीकरण, नवीनीकरण समय–समय पर कराना होगा। दूसरी शर्त यह है कि इन विद्यालयों में 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनका जो निर्धारित शुल्क है, वह राज्य सरकार का जो बोर्ड है उसके द्वारा जो शुल्क है उसके अनुसार लिया जायेगा।

मान्यवर, शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी के अनुमन्य वेतनमान और अन्य भत्तों के समान वेतनमान और अन्य भत्ते दिये जायेंगे। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो अन्य निर्देश जारी किये जायेंगे वे उनका अनुपालन करेंगे जो छात्र हित में होगा। विद्यालय का जो रिकार्ड होगा वह पंजिकाओं में रखा जायेगा तो मान्यवर, लेकिन जो कोर्स का निर्धारण होता है और जहाँ तक उस बस्ते के बोझ की बात है, वह दोनों जो बोर्ड हैं, वे स्वयं कि कितना कोर्स उनको पढ़ाना है, वह रखते हैं। राज्य सरकार डायरेक्ट उनको दिशा–निर्देश नहीं कर सकती है कि आप अपने विद्यालय में अमुक पुस्तकें या कोर्स को पढ़ायें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं। यदि मूल प्रश्न पर ध्यान दिया जाए तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कक्षा–01 से कक्षा–08 तक के विद्यालय। उसमें यह कहीं मूल प्रश्न में फर्क नहीं है कि वह कक्षा–01 से कक्षा–08 तक के विद्यालय शासकीय हैं, अर्द्धशासकीय हैं या निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं। प्रश्न सिर्फ यह है कि कक्षा–01 से कक्षा–08 तक के जो विद्यालय हैं। पहला प्रश्न तो स्वाभाविक रूप से यह उत्पन्न होता है जो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इस बात से भिज्ञ है कि जो यह प्राथमिक विद्यालय है, इन विद्यालयों में बस्ते के बोझ की शिकायतें शासन के पास हैं या नहीं? क्या माननीय मंत्री जी इससे भिज्ञ हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि आई0सी0एस0ई0 और सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के जो दिशा–निर्देशों का प्रश्न है वह सम्भवतः कक्षा–08 के बाद ही उनके द्वारा निर्धारण किया जाता है। दर्जा 01 से दर्जा 08 तक जो एलीमेंट्री एजुकेशन है उसमें आई0सी0एस0ई0 बोर्ड और सी0बी0एस0ई0 बोर्ड का कोर्स निर्धारण में सम्भवतः कोई रोल नहीं है। ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो प्रश्न है वह फिर दोहरा रहा हूँ, उसमें लिखा है कि क्या मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में, अगर 'प्रदेश में' शब्द होता तो, फिर तो लगता कि सारे हैं। लेकिन प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में, इससे स्वयं स्पष्ट है जो प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हैं। मान्यवर, जहाँ तक सवाल शिकायतों का है कि विद्यालयों में बस्ते के बोझ की शिकायत वाली बात है तो इस प्रकार की शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। शिकायतें प्राप्त होंगी तो उनका परीक्षण सरकार करेगी। मान्यवर, 'प्रदेश के' कहा है। 'प्रदेश में' नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने 'प्रदेश के' कहा है, 'प्रदेश सरकार के' तो कहा नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने 'प्रदेश के' कहा है। यदि 'प्रदेश में' कहते तो प्रदेश में सभी विद्यालय चल रहे हैं, 'में' और 'के' का ही तो अन्तर है, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष–

चूँकि प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न पूरे प्रदेश की भावी पीढ़ी से सम्बन्धित है तो अगर आप उचित समझें जो बातें चल रही हैं, उन्हें भी सम्मिलित कर लें जो प्रदेश में चल रहे हैं चाहे प्रदेश सरकार के हैं या नहीं हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रश्न वाकई बहुत महत्वपूर्ण है किन्तु अभी तक इस बारे में कोई शिकायत किसी अभिभावक के द्वारा नहीं की गई है कि बस्ते का बोझ अधिक है, उसे कम किया जाए। यदि इस तरह की शिकायत प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से विचार किया जायेगा कि इसमें क्या किया जा सकता है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने एक अनुपूरक प्रश्न और किया था, कि कक्षा एक से कक्षा आठ तक के विद्यालय की कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है वह पाठ्यक्रम का निर्धारण क्या आई0सी0एस0ई0 एवं सी0बी0एस0ई0 द्वारा किया जाता है या उसका निर्धारण सम्बन्धित विद्यालय स्वेच्छा से अपने आप करते हैं? क्या उन पर राज्य सरकार का नियंत्रण है या नहीं?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो आई0सी0एस0ई0 एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है उसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। वे विद्यालय

स्वयं निर्धारण करते हैं या बोर्ड देता है। सरकार सीधे उनसे नहीं कह सकती है कि आपको अमुक कोर्स पढ़ाना है या विषय पढ़ाना है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत आज हम गरीब बच्चों को, चाहे वे अनुसूचित जाति या जनजाति के हों या सामान्य वर्ग के हैं, उनको भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं और किताबें भी उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन अभी क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैं प्राथमिक विद्यालयों में गया तो जाड़े का प्रकोप इस प्रकार रहा कि जबकि सारी चीज सरकार उनको उपलब्ध करा रही है लेकिन उनके पास गर्म कपड़े पहनने को नहीं हैं। क्या सरकार जहां खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है वहीं गर्म कपड़े दिलाने पर विचार करेगी?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है वह मूल प्रश्न से हटकर है।

श्री अध्यक्ष–

यह सही बात है कि जो माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछा गया है वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सरकार के इस विषय में कह देना, यह सम्भव नहीं है। लेकिन सर्वशिक्षा अभियान में हम कहाँ तक कर सकते हैं यह विषय देखने का है। आज इस बारे में कह देना सम्भव नहीं है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, क्या सरकार इस विषय को लिये जाने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी?

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जायें। चूंकि माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि यह प्रकरण सम्बन्धित नहीं है, इसका परीक्षण कर लेंगे।

सुश्री कैरन हिल्टन–

मान्यवर, क्या निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे इस प्रदेश के नहीं हैं?

श्री मदन कौशिक–

प्रदेश के बच्चे भी हैं, प्रदेश के बाहर के बच्चे भी हैं। मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि इन निजी विद्यालयों को सरकार द्वारा केवल एन0ओ0सी0 दी जाती है और

एन0ओ0सी0 देते समय हम ये कहते हैं कि 10 प्रतिशत बच्चे प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के और उन बच्चों की फीस के लिए फिक्स किये जाने का निर्धारण किया जाता है और 90 प्रतिशत बच्चे अन्य राज्यों के भी हो सकते हैं और प्रदेश के भी हो सकते हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम निजी विद्यालयों को केवल एन0ओ0सी0 देते हैं। उस समय सरकार द्वारा तमाम सारी शर्तें लगायी जाती होंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि एन0ओ0सी0 जारी करते समय जिन शर्तों का उल्लेख किया जाता है क्या उन शर्तों के अनुपालन से सम्बन्धित इन्स्पेक्शन सरकार द्वारा किया गया? कभी किया गया तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या है?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में यदि किसी विद्यालय द्वारा समय–समय पर कोई शिकायतें प्राप्त होती है तो इनका परीक्षण कर लिया जाता है। वर्तमान में तारीख या विवरण बताया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह प्रश्न से हटकर है। शिकायत अलग चीज है, बस्तों का बोझ अलग चीज है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं है। पिछली बार दो जांचें आयी थीं, परीक्षण कराया जा रहा है, क्या रिपोर्ट आयेगी इसके बाद ही कुछ कहना सम्भव होगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, क्या व्यक्तिगत रूप से भिज्ञ हैं कि जब किसी भी विद्यालय में किसी अभिभावक के द्वारा इस प्रकरण में शिकायत की जाती है तो उस छात्र का या अभिभावक का विद्यालय प्रबन्धक द्वारा उत्पीड़न किया जाता है।

मान्यवर, इस पर अभिभावक शिकायत करने का साहस कभी नहीं जुटा पाते। क्या सरकार का यह दायित्व नहीं कि जिन शर्तों के अधीन एन0ओ0सी0 जारी किया जाता है। उन शर्तों के अनुपालन के लिए हमारे पास पेरीडिकल चेकिंग हो? क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है? क्या इस तरह की पेरीडिकल चेकिंग हम पब्लिक स्कूल में नहीं कर सकते?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, चूंकि पहले एक व्यवस्था होती थी कि हमारा एक ज्वाइन्ट डायरेक्टर स्तर का अधिकारी अलग से इन विद्यालयों के लिए होता था, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम, जो विद्यालय एन0ओ0सी0 के लिए अप्लाई करते हैं, उनसे एन0ओ0सी0 की जो 10 शर्तें हैं, उन्हीं को पूर्ण करने के लिए कहा जाता है और वही देखते हैं। जब उनके मानक पूरे होते हैं तो उन्हीं को अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर आया नहीं। माननीय मंत्री जी रोल बैक कर गये।

नरेन्द्र नगर वि0स0 क्षेत्र के ग्राम सभा आगर में हाईस्कूल में शून्य रिजल्ट पर समस्त शिक्षकों के स्थानान्तरण पर सरकार की कार्यवाही

*6. श्री ओम गोपाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि नरेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा आगर के हाईस्कूल में अध्यापकों द्वारा समय–समय पर स्कूल न आने, विद्यालय समय से पूर्व स्कूल से चले जाने तथा अध्यापन कार्य में रूचि न लेने के कारण हाई स्कूल का वार्षिक रिजल्ट शून्य रहा?

क्या यह सत्य है कि अध्यापकों के उक्त व्यवहार के कारण क्षेत्रीय जनता ने अनिश्चितकालीन आन्दोलन कर स्कूल में ताला डाल दिया तथा रा0पू0मा0वि0 आगर में नियुक्त सभी शिक्षकों को (प्रधानाचार्य को छोड़कर) तत्काल स्थानान्तरित करने की मांग रखी गयी थी?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि मेरे द्वारा मा0 शिक्षा मंत्री जी से वार्ता के क्रम में मा0 शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि नीति बनने के बाद सभी अध्यापकों का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया जायेगा?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी छात्रों के भविष्य को मध्य नजर रखते हुए अविलम्ब दिये गये आश्वासन के अनुरूप प्रधानाचार्य को छोड़कर सभी अध्यापकों का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जाना सुनिश्चित करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

विद्यालय का शिक्षा स्तर शून्य होने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

जी हाँ।

शिकायती पत्र में विद्यालय के सभी अध्यापकों का स्थानान्तरण किये जाने की मांग की गई थी।

जी हाँ।

जी हाँ।

शैक्षिक सत्र के समापन के बाद।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, नरेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा आगर के जूनियर हाईस्कूल और राजकीय इण्टर कॉलेज पापकीदेव में शिक्षकों के खिलाफ जनशिकायत थी। जिसके कारण 16 दिन तक हाईस्कूल में तालाबंदी रही। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को पिछले विधान सभा सत्र में भी अवगत कराया था। तमाम शिक्षक जो अलग–अलग गतिविधियों में लिप्त थे, राजनीति से जो प्रेरित थे, शिक्षा और छात्रों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, जो यह जवाब आया है उसमें टोटल उन्हीं लोगों से पूछा गया, जिनके खिलाफ हम लोग जाँच बिठवा रहे हैं। वे कभी नहीं कहेंगे कि हम लोग स्कूल नहीं आते हैं, वे कभी नहीं कहेंगे कि हम लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं। मान्यवर, जिनके खिलाफ जाँच है उन्हीं लोगों से पूछा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न करें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट आई थी। क्या आप उनका स्थानान्तरण कर रहे हैं?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न पूछा है उसमें लिखा है कि क्या शिक्षा मंत्री जी अवगत हैं कि नरेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा आगर के हाईस्कूल में अध्यापकों द्वारा समय–समय पर स्कूल न आने, विद्यालय समय से पूर्व स्कूल से चले जाने तथा अध्यापन कार्य में रूचि न लेने के कारण हाईस्कूल का रिजल्ट शून्य रहा। मान्यवर, इसकी पूरी जाँच कराई गयी। वहाँ का रिजल्ट 26 प्रतिशत रहा। शून्य नहीं रहा। जब जाँच की गयी तो इसमें यह विषय आया कि उस गाँव के लोगों ने कहा कि अध्यापकों का व्यवहार ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में हमने जाँच कराई और जाँच कराने के बाद हमने कहा कि शैक्षिक सत्र के समापन के समय पर उनका स्थानान्तरण होगा।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, वह रिजल्ट सिर्फ हिन्दी, संस्कृत और होमसाइन्स का है। जो मेन विषय हैं उसका यह रिजल्ट जीरो है। मान्यवर, हिन्दी में अगर कोई पास न हो तो बड़ी शर्म की बात है यह तो हमारी राष्ट्रभाषा है। मेन विषय जैसे साइन्स में तो रिजल्ट जीरो है। माननीय अध्यक्ष जी, कृपया इसका परीक्षण करा लें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, शैक्षिक सत्र की समाप्ति के बाद इनके स्थानान्तरण पर सरकार विचार करेगी। जो रिजल्ट है वह टोटल नहीं है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 26 प्रतिशत रिजल्ट की बात कही है तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह रिजल्ट अपने आप में शून्य के बराबर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस समय शिकायत मिली थी तो तत्काल सभी अध्यापकों का स्थानान्तरण कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने नहीं किया, इसको कर दें तो कृपा होगी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी उस विद्यालय के 26 प्रतिशत परीक्षा परिणाम से संतुष्ट हैं?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सरकार की मंशा है कि 100 प्रतिशत रिजल्ट रहे और समय–समय पर इसकी मानीटरिंग भी करते हैं। रिजल्ट अच्छा रहे इसके लिए सरकार समय–समय पर प्रयास भी करती है। प्रश्न में कहा गया कि रिजल्ट शून्य आया और इसके कारण गिनाये गये। मान्यवर, रिजल्ट शून्य नहीं रहा और फिर कारण की जाँच हुई उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि शैक्षिक सत्र की समाप्ति के बाद इनके स्थानान्तरण पर विचार करेंगे।

श्रीमती आशा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि नीति बनाने के बाद उनका स्थानान्तरण किया जायेगा, इस तरह की शिकायतें कई क्षेत्रों से, कई विद्यालयों से आती रहती हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या स्थानान्तरण के बाद उस समस्या का निदान हो जायेगा? क्या वे शिक्षक दूसरे विद्यालयों में जाकर ठीक से पढ़ायेंगे? मान्यवर, यह आप बता दें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि नीति बनाने के बाद करेंगे। उत्तर में स्पष्ट है, विद्यालयों में अध्यापकों का रिजल्ट अच्छा रहे इसके लिए समय–समय पर ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाये गये और रिजल्ट के लिए निश्चित जिम्मेदारी फिक्स हो इसके लिए भी हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम किये, यह सरकार का प्रयास है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कई कार्यक्रम चलाये हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि रिजल्ट अच्छा रहे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्या के अनुपूरक प्रश्न की मंशा यह थी कि क्या स्थानान्तरण से ही इस समस्या का समाधान हो जायेगा?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमने स्थानान्तरण की बात नहीं की। हमने कहा रिजल्ट अच्छा रहे, यह सरकार एक जिम्मेदारी तय करे और इसके लिए इस प्रकार की नीति बना रहे हैं, इसमें हर अध्यापक की जिम्मेदारी है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी प्रश्न के उत्तर में कहा कि 26 प्रतिशत परीक्षाफल रहा और यह भी कहा कि निश्चित रूप से इन कारणों से उनका स्थानान्तरण कर दें। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन विद्यालयों में जिन अध्यापकों के विषयों में एक सीमा से अधिक खराब परीक्षाफल रहता है तो विभागीय नियमों में उन अध्यापकों को दण्डित करने का या उनकी एडवर्स इन्ट्री करने का या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का कोई प्राविधान है और दूसरी बात यह है कि जिन अध्यापकों का परीक्षाफल शत–प्रतिशत रहता है तो क्या उनको प्रोत्साहित, पुरस्कृत करने का भी कोई प्राविधान है?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी तक किसी अध्यापक को दण्डित या पुरस्कृत करने का प्राविधान नियमों में नहीं है, लेकिन रिजल्ट कम रहने के बाद इस सरकार ने निदेशक, शिक्षा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। और उसमें कुछ विषयों को लेकर कहा था कि आप इन सबका अध्ययन करें। अध्ययन करने में ये दो बातें भी सम्मिलित थी कि यदि रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा तो उन अध्यापकों को दण्डित कैसे किया जा सकता है? इस पर एक समिति गठित की थी, इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, इस पर हम लोग निर्णय लेंगे।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की कोई शिकायतें शिक्षा के क्षेत्र में आती हैं या किसी विद्यालय के लिए किन्हीं अध्यापकों की शिकायतें आती हैं तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं? यदि तमाम विद्यालयों में इस तरह की शिकायतें आ रही है तो क्या सरकार इसके लिए अलग से सेल का गठन करेगी कि जिससे इस पर रोक लगाई जा सके या कोई इसमें सुधार किया जा सके?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो शिकायतें माननीय सदस्य ने बतायी हैं कि कुछ अध्यापक समय से पहले ही स्कूल से चले जाते हैं और जो स्कूल खुलने के निश्चित समय के बाद स्कूल में आते हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में समय–समय पर हम लोगों ने इसकी जांच भी कराई है। इस दौरान जो अध्यापक विद्यालय में नहीं पाया गया, उस दण्डित भी किया और कुछ को निलम्बित भी किया है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में निदेशक स्तर से सभी जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दिये गये हैं कि समय–समय पर स्कूलों की चैकिंग करें और इस दौरान जो अध्यापक अनुपस्थित पाये जाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। यह एक प्रक्रिया है और इसे लागू भी किया गया है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, अध्यापक का कार्य पढ़ाना होता है, और उसका परिणाम उसके परीक्षाफल से आंका जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों की वार्षिक गोपन प्रविष्टि (ए0सी0आर0) का कोई प्राविधान है और यदि इसका कोई प्राविधान है तो निश्चित रूप से वह टीचर की परफारमेंस के आधार पर होगा और टीचर की परफारमेंस का आंकलन किस बात से किया जा सकता है वह उस अध्यापक के परीक्षा परिणाम से आंका जा सकता है तो कहीं न कहीं अध्यापक के मूल्यांकन का प्राविधान तो है ही। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यदि इस तरह का प्राविधान है तो उसका कितना कड़ाई से पालन हो रहा है? अभी माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि अध्यापकों को दण्डित करने का कोई प्राविधान नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि ए0सी0आर0 में भी यदि प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है तो इसे दण्ड ही माना जाता है। क्या ऐसा कोई प्राविधान है?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, किसी विद्यालय का रिजल्ट कितना अच्छा होना चाहिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक यह तय नहीं किया गया है। यदि किसी विद्यालय का रिजल्ट 60 प्रतिशत या उससे अधिक रहने पर उन्हें पुरस्कृत करेंगे या 60 प्रतिशत से कम रहने पर दण्डित करेंगे, यह व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, मैंने जैसे कहा, जब रिजल्ट कम रहा तो यह इस सरकार की संवेदनशीलता थी, इसलिए तत्काल डाइरेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनायी गयी। समिति में अनेक बिन्दु लिये गये हैं, उन बिन्दुओं में दो बिन्दु ये भी थे। इन दो बिन्दुओं पर भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इस पर हम विस्तृत रूप से देखने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। मान्यवर, सरकार का प्रयास रहेगा कहीं न कहीं रिजल्ट ओरियनटेड हो।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, ए0सी0आर0 का प्रोविजन सभी राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के लिए है तो क्या उस अध्यापक के विषय में जो छात्रों की परफारमेंस है अर्थात् परीक्षा परिणाम है, क्या वह आधार नहीं है?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जैसा मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि किसी शिक्षक का रिजल्ट अच्छा रहेगा तो पुरस्कृत किया जायेगा और किसी शिक्षक का रिजल्ट खराब रहेगा तो दण्डित किया जायेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमने सारे विषयों को लेकर समिति बनायी है कि रिजल्ट इतना कम क्यों रहा है। समिति में इन सभी विषयों पर भी चर्चा हुई है। इस समिति की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गयी है।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अनेकों बार यह देखा जाता है कि जिन शिक्षकों को अपना स्थानान्तरण सुगम स्थानों पर कराना होता है वे दुर्गम में रहते हुए, ऐसे विवाद पैदा कराते हैं, क्षेत्रों में, गाँवों में, जिसके कारण वे अपना स्थानान्तरण सुगम स्थानों पर करा सकें। क्या इस पर भी सरकार कोई नीति बनायेगी?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस तरह की यदि कोई शिकायतें पायी जाती हैं तो इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि आप ऐसी शिकायतों को हमें दीजिए। कहीं ऐसे विवाद होंगे तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय मंत्री जी, कार्रवाई की बात तो बाद में होगी। मेरा कहने का आशय यह था, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाह रहा था, कई बार ऐसे कारण पैदा कर दिये जाते हैं क्षेत्र में कि, जो अध्यापक आज भी दूरस्थ विद्यालयों में हैं या दुर्गम क्षेत्रों में हैं, वह सुगम स्थानों पर आने के लिए गांव में आज भी अनेकों विवाद पैदा करा रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेकों ऐसे विद्यालय हैं और विवाद के बाद उनको सुगम स्थानों पर व्यवस्था के अन्तर्गत रख दिया जाता है। क्या ऐसे विवाद पैदा करने वाले अध्यापकों को अति दुर्गम स्थानों पर भेजने की कोई व्यवस्था सरकार करने जा रही है?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, विवाद के कारण किसी अध्यापक को सुगम क्षेत्र में लाया जाय, यह संभव नहीं है। यदि कहीं कोई विवाद इस प्रकार का जान–बूझकर होता है तो उनको अति दुर्गम में हम लोग भेजते हैं। इस विषय में मैंने कहा कि यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, यह सत्य है कि जिस अध्यापक का रिजल्ट खराब रहता है, उसको दण्डित करने की या जिस अध्यापक का रिजल्ट अच्छा रहता है, उसको प्रोत्साहित करने की कोई नीति नहीं है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, कई बार लिखित रूप में माननीय मंत्री जी को अवगत भी करा चुका हूँ कि मेरी विधान सभा में एक हाईस्कूल पणसूत और एक इण्टरमीडिएट थापला है। मान्यवर, थापला में कम से कम 500 बच्चे हैं लेकिन वहां पर एक मात्र टीचर है। उस विद्यालय में टीचर न होने के लिए कौन जिम्मेदार है? परीक्षाएं सिर पर हैं, क्या उसको दण्डित किया जाएगा, जो जिम्मेदार व्यक्ति है? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस सवाल से हट कर माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। इस विषय में पर्टिकुलर आंकड़े देना अभी संभव नहीं है लेकिन यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार के आने के बाद जितनी हमने एल0टी0 में नियुक्ति की, वह दुर्गम में की और उसका रिजल्ट अच्छा रहा। हो सकता है आगे आने वाले प्रश्न में इसका भी उत्तर मिल जाए। एल0टी0 की नियुक्ति दुर्गम में की है और प्राथमिक में जो नियुक्तियाँ की हैं, वह भी दुर्गम में की हैं। लेक्चरर्स की जरूर हमारे पास कमी है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग से हमें लेक्चरर प्राप्त हों ताकि इनकी कमी को समाप्त कर सकें।

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो जूनियर हाईस्कूल हैं, उनमें एक पद कम करने से विज्ञान और गणित के अध्यापक विद्यालयों में नहीं हैं, इससे रिजल्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रत्येक जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित के अध्यापकों की नियुक्ति कब तक होगी?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वैसे तो इस प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है लेकिन चूँकि माननीय सदस्य की जिज्ञासा है इसलिए बताना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से हमने केवल इतना कहा कि जूनियर हाईस्कूल में देखने में आया कि जहाँ पर छात्र संख्या 5 या 7 है, पहले वहाँ भी 5 टीचर रहते थे। हमने कहा, जहाँ छात्र संख्या 100 या उससे कम है, वहाँ हम 4 टीचर रखेंगे, 100 से ऊपर होगी तो 5 टीचर रखेंगे, 140 से ऊपर होगी तो 6 रखेंगे, यदि 180 से ऊपर होंगी तो 7 टीचर रखेंगे, यह प्राविधान किया गया है, जिससे कि सब विद्यालयों में समान रूप से टीचर जा सकें। ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा है कि कहीं पर गणित का टीचर कम हो या साइंस का टीचर कम हो। इस प्रकार की सरकार की कोई मंशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि यह मूल प्रश्न नरेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है, फिर भी काफी अनुपूरक आ गये हैं। मैं इस पर अन्तिम रूप से मुन्ना सिंह चौहान जी को प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूँ।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ..................

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। मुन्ना सिंह चौहान जी खड़े हैं। एक माननीय सदस्य खड़े हैं, इसलिए कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, आपकी विशेष कृपा से हम माननीय सदस्य जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछते हैं। निश्चित रूप से उन प्रश्नों को पूछने का उद्‌देश्य मात्र वाद–विवाद नहीं हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से कहीं न कहीं माननीय सदस्यों का यह प्रयास होता है कि ऐसे सुझाव सामने आएं, जिसके क्रियान्वयन पर सरकार कोई नीति बनाए, कोई कार्य करे और उसका लाभ प्रदेश की जनता को मिले, प्रदेश के छात्रों को मिले, प्रदेश के सभी वर्गों को मिले। अब यह जो प्रश्न हमारे सम्मुख था, इसमें चिन्ता इस बात की प्रकट की गयी थी कि सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट का स्तर अत्यधिक गिरने के क्या कारण हैं? उसका माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने कहा, परीक्षा परिणाम चाहे कुछ भी हो, उस परीक्षा परिणाम के आधार पर हम टीचर को न पुरस्कृत कर सकते हैं और न ही दण्डित कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने आपको बता दिया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि हम नीति बनाने जा रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा तो दण्डित करेंगे और यदि रिजल्ट अच्छा रहेगा तो पुरस्कृत करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

यह बात आ गयी है।

माननीय मंत्री जी, कृपया आप स्थान ग्रहण करें, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, आप प्रश्न करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूर्व में भी प्रश्न पूछा था और उसी प्रश्न के आधार पर फिर से प्रश्न कर रहा हूँ कि प्रत्येक राजकीय विद्यालय के प्रत्येक शैक्षणिक कर्मचारी को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि देने का प्राविधान है, उनकी वार्षिक परफारमेंस के आधार पर और उसी प्रविष्टि के आधार पर उस कर्मचारी की पदोन्नति आदि होती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात की व्यवस्था करेंगे कि टीचर की परफारमेंस के आधार पर जो वार्षिक परिणाम होंगे, उसका कोई आधार तय करके सुनिश्चित करेंगे कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में उनके परीक्षाफल को रिफ्लेक्ट किया जायेगा, ताकि अगली पदोन्नति में या तो उनको उसका लाभ मिले या उसके आधार पर वह दण्डित हों?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने बता दिया है कि डाइरेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री बृजमोहन कोटवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शिक्षकों की कमी पूरे प्रान्त में एक गम्भीर एवं महत्वपूर्ण मुद्दा है, मेरे विधान सभा क्षेत्र या अन्य कहीं भी जहाँ शिक्षकों की कमी है, यह कमी कब तक पूरी हो जायेगी और नहीं होगी तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्राथमिक और एल0टी0 तक शिक्षकों की कमी, जितने पद सृजित हैं, वह बहुत ज्यादा नहीं हैं। स्पष्ट आंकड़े तो अगले प्रश्न के उत्तर में अभी आ जायेंगे, लेक्चरर की जरूर हमारे यहाँ कमी है, इसका भी अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है और वहाँ से नियुक्ति होने के बाद जल्दी ही यह कमी भी पूरी हो जायेगी।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि अभी माननीय मंत्री जी ने इस विषय को रखा कि जो एल0टी0 की नियुक्ति की गई है, उनको पर्वतीय क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। मेरी विधान सभा में कई विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ पर शिक्षकों की काफी कमी है, यह बात मैंने पहले भी आपके संज्ञान में लायी थी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, आप कृपया प्रश्न पूछिये। यह प्रश्न सीमित विषय पर था, किन्तु इसमें विस्तार से अनुपूरक प्रश्न पूछे गये हैं, तो आप प्रश्न करिये।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरी विधान सभा में कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। जब मैंने इस सम्बन्ध में.....................।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, कृपया आप प्रश्न पूछें।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में रिक्त शिक्षकों की पूर्ति कब तक हो जायेगी?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्राथमिक और एल0टी0 में हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है और जो कमी है उसे इस शैक्षणिक सत्र में स्थानान्तरण करके पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेक्चरर की जो कमी है, उसे लोक सेवा आयोग से नियुक्ति होने के बाद दे पायेंगे।

"नीपा" द्वारा प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था की व्यापक सर्वेक्षण रिपोर्ट

*7. श्री मयूख सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन संस्थान (नीपा) द्वारा प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था का व्यापक सर्वेक्षण कर एक रिपोर्ट तैयार की गई है?

क्या यह सत्य है कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 35 प्रतिशत शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त अव्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु क्या प्रयास कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को ऐसी कोई रिपोर्ट राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन संस्थान (नीपा) से प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सहायक अध्यापक विषय सामान्य (एल0टी0 ग्रेड) के लिए चयन हेतु श्रेष्ठता सूची में एक ही अभ्यर्थी का दो बार चयन

*8. श्री मयूख सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि सहायक अध्यापक विषय सामान्य (एल0टी0 ग्रेड) के लिये चयन हेतु श्रेष्ठता (मैरिट) सूची के क्रमांक 78 एवं 79 में एक ही अभ्यर्थी/व्यक्ति का चयन दो बार हुआ है?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

क्या सरकार इस त्रुटि का परिमार्जन करते हुए श्रेष्ठताक्रम में प्रतीक्षारत एक अन्य अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

एल0टी0 चयन प्रक्रिया में विज्ञापित पदों में 25% अतिरिक्त पदों की बढ़ोत्तरी

*9. श्री ओम गोपाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एल0टी0 चयन प्रक्रिया में विज्ञापित रिक्त पदों को भरने के पश्चात् भी हजारों पद रिक्त रह जायेंगे?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्तमान चयन प्रक्रिया में 25% पदों की बढ़ोत्तरी कर सरकार पुनः एल0टी0 में चयन की कार्यवाही करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओम गोपाल जी, कृपया अनुपूरक प्रश्न कीजिये।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने "जी नहीं" में जवाब दिया है। अभी तक हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में सैकड़ों एल0टी0 के पद रिक्त हैं। प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की भारी कमी है, अब यह 'जी नहीं' किस आधार पर कहा जा रहा है, यह मैं

नहीं जानता लेकिन मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ दोगी पट्टी विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र है, 19 ग्राम समायें वहाँ हैं और वहाँ पर दो शिक्षकों के भरोसे जूनियर हाईस्कूल चल रहा है और 1 शिक्षक के भरोसे बेसिक पाठशाला चल रही है। क्या माननीय मंत्री जी इन सारी चीजों से अवगत हैं और आप हमको बताने का कष्ट करेंगे कि वह पद कब तक भरे जायेंगे?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सीधा प्रश्न किया है कि एल0टी0 चयन प्रक्रिया में विज्ञापित रिक्त पदों को भरने के पश्चात् भी हजारों पद रिक्त रह गये हैं। मैंने कहा 'जी नहीं' तो हजारों पद रिक्त नहीं रहे हैं। वो सब प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगर माननीय सदस्य जानना चाहें तो मान्यवर, हमने गढ़वाल मंडल में 2536 (व्यवधान)।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मेरा सवाल है कि कितने पद रिक्त हैं?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जी का प्रश्न है कि एल0टी0 चयन प्रक्रिया में विज्ञापित रिक्त पदों को भरने के पश्चात् भी हजारों पद रिक्त रह जाएंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं वही बता रहा हूँ। मान्यवर, मैंने कहा 'जी नहीं'। जो हमने विज्ञापित किये थे, वे गढ़वाल के लिए 2536, कुमाऊँ के लिए 1579, टोटल 4115। जो नियुक्ति की गयी वह गढ़वाल में 2536 के सापेक्ष 2175, कुमाऊँ में 1579 के सापेक्ष 1495 इसलिए जो नियुक्ति की गयी है 3670। गढ़वाल में जो रिक्त रह गये हैं 361, कुमाऊँ में रह गये हैं 84, इस प्रकार कुल 445 पद। जो हमने निकाले थे उसमें 445 ऐसे पद हैं, जिसमें अभी भर्ती नहीं की गयी है या अभी तक जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मेरी माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि हमको बताने का कष्ट करेंगे कि यह प्रक्रिया कहाँ पर, कैसे पहुँची, वह हम नहीं जानते। वह भोली–भाली जनता नहीं जानती, वो बच्चे नहीं जानते। हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि उन शिक्षकों का जो आप चयन कर रहे हैं, वे कब तक ज्वाइनिंग करेंगे, रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने कहा है, 4115 पद हमने विज्ञापित किये। उसमें 3670 ने ज्वाइनिंग कर लिया, केवल 445 पद इसमें हमारे बचे हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है। जल्दी ही यदि उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया, तारीख उनको दे दी गयी है। इसमें केवल संगीत विषय की 10 नियुक्तियाँ, कन्फर्म नहीं है कि वो 10 हैं या कुछ हैं। उनको भी हम लोग भेजने वाले हैं। इसके बाद जितने भी 445 बचेंगे, उनकी वेटिंग लिस्ट है, उससे हम उनको भरेंगे।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि एल0टी0 चयन प्रक्रिया के पश्चात् हजारों पद रिक्त नहीं हैं, यह गलत है। वास्तव में अभी भी हजारों पद रिक्त हैं। 23000 हमारे प्रदेश में प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या एल0टी0 की चयन की प्रक्रिया वास्तव में दुबारा शुरू करेंगे?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो टोटल इसमें पद हैं। वर्तमान समय में कुल 2419 पद हमारे पास रिक्त हैं। उसमें से 445 पर नियुक्ति या तो वेटिंग से की जायेगी या वही जाएंगे जिनका चयन हुआ है। यदि वे नहीं जाएंगे तो वेटिंग से भेजेंगे। 2419 पद जो सृजित हैं वर्तमान में, मैं उनकी यह सारी संख्या बता रहा हूँ। 2419 में 445 जाने के बाद जो लगभग 2000 बचेंगे उसमें मान्यवर, जो हमने 2006 में एक सेवा नियमावली बनायी थी परास्नातक श्रेणी की, उसमें 25 प्रतिशत को ज्येष्ठता के आधार पर जो जूनियर हाईस्कूल है, उनसे एल0टी0 में जाएंगे। 5 प्रतिशत जो जूनियर हाईस्कूल के हैं, उनकी परीक्षा लेकर जाएंगे। 30 प्रतिशत टोटल में से वहाँ पर जाएंगे तो लगभग यह संख्या पूर्ण हो जायेगी। इसके बाद कुछ नये विद्यालय खोलने की बात है, उसमें यदि पद सृजित होंगे तब उसकी प्रक्रिया हम लोग चालू करेंगे।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुल 445 पद अभी रिक्त हैं, लेकिन सरकार ने अभी एल0टी0 के पद की चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की थी तो एक नीति बनायी थी कि सभी अध्यापकों को दुर्गम विद्यालयों में भेजा जायेगा और यह बात सही है कि सरकार की इस नीति से आज तमाम दुर्गम विद्यालयों में अध्यापक पहली बार गये हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग दी है, लेकिन इस नीति का खामियाजा सुगम स्थल के विद्यालयों को भुगतना पड़ा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, इस नीति का जो सुगम स्थल के विद्यालय हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और जितने सुगम के विद्यालय हैं, उनमें एक भी अध्यापक नहीं जा पाया है इस चयन प्रक्रिया के समय में। माननीय मंत्री जी अतिशीघ्र इन सभी सुगम विद्यालयों में इन रिक्त पदों को भरने पर कब तक विचार करेंगे?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, निश्चित रूप से इस शैक्षणिक सत्र में जितने सुगम क्षेत्र के विद्यालय हैं, मैंने जैसे कहा कि 2419 जो हमारे पास अभी रह गये हैं, उन पर हमें भेजना है, वह पदोन्नति करके कुछ 5 प्रतिशत परीक्षा लेकर, उन विद्यालयों में भी हम शीघ्र भेजेंगे।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने कहा कि उनका स्थानान्तरण करके सुगम विद्यालयों में भेजेंगे, लेकिन जहाँ से आप स्थानान्तरित करेंगे तो वह विद्यालय रिक्त हो जायेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को दोबारा अवगत कराना चाहता हूँ कि हम स्थानान्तरित नहीं करेंगे। मैंने कहा कि हमारे पास 2419 पद इस समय रिक्त हैं जो जूनियर हाईस्कूल के प्रमोशन होने हैं, 25 प्रतिशत जो एल0टी0 में जाने हैं, हम उसमें जो 25 प्रतिशत संख्या होगी, वह करेंगे बाकी बचे हुए 5 प्रतिशत परीक्षा के आधार पर करेंगे।

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो 445 पद रिक्त हैं, किन विद्यालयों में ये पद रिक्त हैं?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो हमने टोटल 4115 की नियुक्ति की थी उसमें 445 ऐसे अध्यापक हैं, जो या तो अभी विद्यालयों में गये नहीं हैं, नियुक्ति पत्र देने के बावजूद भी, मैंने उनके आधार पर कहा कि जो नहीं जायेंगे जो वेटिंग लिस्ट हैं, उससे हम उस चयन को पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपने कोई तिथि निर्धारित की है?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसमें हमारे सामने दिक्कत यह है कि जो चयन प्रक्रिया पूरी करेंगे 445 की, क्योंकि हमने उनको समय दिया है, समय के बाद वह नहीं गये इसमें इन्होंने किसी न किसी कारण से समय बढ़ाया है। वह पूरी होने पर हम वहाँ पर भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसमें समय निर्धारित कर दें।

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी में डेढ़ सौ से ज्यादा रिक्त पद हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एल0टी0 के सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ कि वे उन विद्यालयों का नाम बतायें जहाँ शिक्षकों की कमी है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, टोटल एल0टी0 की संख्या 2419 है। यह प्रक्रिया अप्रैल तक कर लेंगे, हमने अधिकारियों से भी जल्दी करने को कहा है। इसको हम जल्दी कर रहे हैं।

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसके बाद कोई विद्यालय अध्यापक विहीन नहीं रहेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, बिल्कुल नहीं रहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने अप्रैल तक कहा है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एल0टी0 के अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में अलग–अलग स्रोत से एल0टी0 के अध्यापक आने हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के एकीकरण के फलस्वरूप जो जूनियर हाईस्कूल से पदोन्नति होकर हाईस्कूलों में जिन अध्यापकों को जाना है, उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया कब तक सम्पादित कर दी जायेगी?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, चूँकि यह एक ऐसा सवाल है, हमारा प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा का कैडर जिला है और एल0टी0 का कैडर मण्डल है, चूँकि हर जिले से उनकी सीनियर्टी लेकर उसको मण्डल स्तर पर मंगानी है फिर 13 जनपदों की सीनियर्टी का एकीकरण करके उसकी एक कम्बाइन्ड सीनियर लिस्ट बनेगी। यह थोड़ा कठिन काम है लेकिन हमने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वह इसको जल्दी पूरा करें।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–10 पर माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

साक्षरता कार्यक्रम संचालन हेतु विभाग द्वारा तैयार ढांचा एवं सतत शिक्षा केन्द्र का संचालन

*10. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि साक्षरता कार्यक्रम संचालन हेतु विभाग द्वारा कोई ढांचा तैयार किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

वर्तमान में सतत शिक्षा केन्द्र का संचालन किस प्रकार से संचालित किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सतत शिक्षा केन्द्रों का संचालन प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला साक्षरता समिति द्वारा चयनित नोडल/सतत शिक्षा प्रेरकों एवं सह प्रेरकों के द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु जनपद में रिक्त पदों के सापेक्ष अन्तर्जनपदीय काउंसिलिंग

*11. श्री ओम गोपाल–

क्या शिक्षा मंत्री के संज्ञान में है कि सरकार द्वारा विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु निर्गत विज्ञप्ति में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि यदि किसी जनपद

में विशिष्ट बी0टी0सी0 की सीटें रिक्त रह जाएं तो इन सीटों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान नरेन्द्रनगर को भेजा जायेगा तथा उन सीटों के सापेक्ष अन्तर्जनपदीय काउंसिलिंग करवायी जाएगी?

क्या यह सत्य है कि तीन माह बीतने के बाद अभी तक अन्तर्जनपदीय काउंसिलिंग शुरू नहीं करवायी गयी है?

क्या सरकार अन्तर्जनपदीय काउंसिलिंग यथाशीघ्र प्रारम्भ करवायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी हाँ। जनपद स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग अन्तिम रूप में पूर्ण न होने के कारण अन्तर्जनपदीय काउंसिलिंग शुरू नहीं करवाई जा सकी है।

जी हाँ।

अन्तर्जनपदीय चयन प्रक्रिया की कार्यवाही एस0सी0ई0आर0टी0 स्तर पर सम्पादित होनी है, जो कि गतिमान है। राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने पर यथाशीघ्र चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग प्रारम्भ कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, अभी जब यह विशिष्ट बी0टी0सी0 के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें विभिन्न जो हमारे 13 जनपद हैं इनमें सीटें बांटी गई थीं इसमें उत्तरकाशी में 103, टिहरी में 150 थी। जनपद हरिद्वार में लगभग 1100 और ऊधमसिंह नगर में लगभग 900 के आस–पास थी तो मान्यवर, इसमें बहुत ज्यादा असंतुलन है। हमारे यहाँ बहुत से लोग बेरोजगार रह गये हैं विशिष्ट बी0टी0सी के लोग छूट गये हैं। सन् 1994 तक के विशिष्ट बी0टी0सी0 के लोग छूट गये हैं। मान्यवर, आज से पहले जो चयन प्रक्रिया होती थी कि जब सारे पद भर जाते थे तब जो सीटें बच जाती थी उनकी स्टेट काउंसिलिंग होती थी। माननीय मंत्री जी को ऐसा क्या सूझा कि पहली बार इन्होंने जिलेवार काउंसिलिंग शुरू करवा दी है। इससे बहुत बड़ा भेद–भाव हो रहा है। मान्यवर, हमारे यहाँ सन् 92 के लोग छूट गये हैं। जिन्होंने बी0एड0 करा हुआ है और हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में जिन्होंने 2006

में बी0एड0 करा हुआ है, उनकी ज्वायनिंग हो गई। तब भी सीटें बच रही हैं। उसके बाद हमेशा होता यह आ रहा था कि स्टेट काउंसिलिंग होती थी। एन0सी0ई0आर0टी0 से आवेदन माँगा जाता था तथा जो हमारे यहाँ का व्यक्ति है, वह वहाँ जाकर के काम कर सकता था। लेकिन पहली बार वहाँ 2006 का लग गया.....................।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न पूछें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यही है कि हमेशा की तरह पूर्ववर्ती जो होता रहा है जो प्रक्रिया थी, जो पूर्व की व्यवस्था है कि स्टेट काउंसिलिंग होनी चाहिए। पहली बार जिलेवार काउंसिलिंग हो रही है जो कि गलत है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह अवगत कराना चाहता हूँ और माननीय सदस्य की जानकारी में यह विषय आ जाए ताकि वे अपने क्षेत्र में भी वे बता सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, जो यह संख्या का आवंटन होता है यह आवंटन ऐसे नहीं होता है कि किसी में 10 कर दिये, किसी में 50 और किसी में 100। मान्यवर, किसी भी जनपद में सृजित पदों में से रिक्त पद कितने हैं। 2006 नवम्बर तक इसकी जाँच कराई गई। 20[illegible] नवम्बर में हर जनपद की संख्या निकाली गई कि किस जनपद में कितने पदों का सृजन है, कितने पद रिक्त हैं। यह बनाने के बाद फाइनल किया गया, उसके बाद विज्ञप्ति जारी की गई। मान्यवर, इसके बाद केवल उत्तरकाशी जनपद में सृजित पदों में से रिक्त पदों की संख्या शून्य थी। वहाँ 53 पदों का सृजन किया गया और उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया। मान्यवर, जहाँ तक माननीय सदस्य ने कहा कि जनपदीय काउंसिलिंग की तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले उसकी पूरी प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। वह प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। उसके बाद इस पर तीन प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं।

माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि नम्बर एक यह है कि एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 यदि किसी जनपद में खाली रह जाते हैं तो उनकी अन्तर्जनपदीय काउंसिलिंग होती है। जो पद वर्तमान में खाली हैं उनकी संख्या माँगी जा रही है। उनकी अन्तर्जनपदीय काउंसिलिंग हम शीघ्र प्रारम्भ करने जा रहे हैं। जनपद को यह अधिकार नहीं होगा। नम्बर दो यह है कि पहले यह होता था कि जनपद में यदि विज्ञान का पद खाली है तो सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों से विज्ञान वर्ग की सीधी भर्ती कर ली जाती थी। इस बार इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अब यदि विज्ञान का पद भी खाली रहेगा तो उसे अन्तर्जनपदीय काउंसिलिंग

से भरे जायेंगे। उसके लिए विज्ञप्ति निकाली जायेगी। इसके लिए जिला स्तर पर अधिकार नहीं हैं शायद उन्हें जानकारी नहीं थी। इसलिए उन्हें जानकारी दी।

श्री ओम गोपाल–

जनपदवार नहीं होनी चाहिए। स्टेट काउंसिलिंग होनी चाहिए। उनका उत्तर आ गया।

श्रीमती आशा–

मान्यवर, रुद्रप्रयाग में सैकड़ों प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ शिक्षकों का अभाव है। मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग में अभी वर्ष 96 से और अभी तक जो विशिष्ट बी0टी0सी0 के प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। मान्यवर, जानना चाहूँगी कि जनपद रुद्रप्रयाग के लिए विशिष्ट बी0टी0सी0 पद के लिए और अधिक सीटें बढ़ायेंगे, 500 तक करेंगे?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह सीटें इस प्रकार से नहीं बढ़ायी जाती हैं कि इन सीटों को पाँच सौ या एक हजार कर दें। एक निश्चित प्रक्रिया होती है पद सृजन की, कितने भरे हैं, कितने रिक्त हैं तभी उन पर विज्ञप्ति जारी होती है। जनपद रुद्रप्रयाग में जो अभी विशिष्ट बी0टी0सी0 की नियुक्ति की गयी थी जो पद बचते हैं उनकी संख्या मेरे पास है। अट्ठारह जो बचे हैं वे सामान्य वर्ग में बचे हैं, अट्ठारह ही विज्ञान वर्ग में बचे हैं। जो सीटें बची हैं वे एक प्रक्रिया के तहत भरे जाते हैं। एस0सी0, एस0टी0 के जो बचे हैं उसकी अन्तर्जनपदीय काउंसिलिंग होगी और विज्ञान वर्ग की भी इसी प्रकार होगी। सामान्य वर्ग के पदों को विज्ञप्ति किया जायेगा।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, आपके संज्ञान में है कि नैनीताल जनपद में जो पद सृजित थे, उनके अनुसार पूरी नियुक्तियां हो चुकी हैं या नहीं और आपके संज्ञान के लिए यह बात बताना चाहता हूँ कि रोज नियुक्तियां घटती–बढ़ती जाती हैं ऐसा क्यों है? ये स्थिति कब तक स्पष्ट हो जायेगी कि कितने पद रिक्त हैं और अब तक विशिष्ट बी0टी0सी0 के कितने पद भरे गये हैं या जितने पद सृजित थे उतने भरे गये या नहीं?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 के व्यक्ति यदि किसी जनपद में नहीं है और वे नियुक्तियां खाली हैं तो अभी उनको सामान्य वर्ग से नहीं भर

सकते हैं, उनकी अन्तर्जनपदीय काउंसिलिंग करायी जायेगी। यदि विज्ञान वर्ग की सीटें खाली हैं पहले यदि वेटिंग से भी नहीं आ पाते हैं, तो वे भी स्टेट स्तर से करायी जायेंगी या अन्तर्जनपदीय से भरी जा सकती हैं। यदि सामान्य वर्ग में ऐसा हुआ है तो सामान्य वर्ग के लिए विज्ञप्ति जारी की जायेगी।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

माननीय मंत्री जी, ऐसा सामान्य वर्ग में ही हुआ है। अभी तक सामान्य वर्ग के रिक्त पदों की संख्या घटती बढ़ती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसे दिखवा लीजिए।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, कभी कहते हैं चौदह पद बचे हैं और कभी सत्रह बचे हैं, मान्यवर, इस प्रकार से हुआ है। जब हम बी0एस0ए0 से पूछते हैं तो वे कहते हैं इसमें और अधिक होनी चाहिए, लेकिन डाइट वाले कहते हैं इसमें इतने ही पद रिक्त हैं, इस प्रकार से क्यों होता है? कोई संख्या फिक्स नहीं हो पाती है। जिससे वेटिंग वाले अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। इसकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह स्पष्ट बता चुका हूँ। इसी प्रकार पत्राचार वाले हैं। पूरे प्रदेश में, स्पष्ट नहीं बता पाऊँगा कि संख्या क्या थी लेकिन उनको भी हम पूरी प्रक्रिया के तहत भर रहे हैं, जैसे–जैसे पद खाली होंगे उनको हम भरेंगे।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, रिक्तियों की संख्या जो जनपदवार आती है, हो सकता है सही हों लेकिन हम लोग जब क्षेत्रों में जाते हैं तो विद्यालयों में अध्यापक नहीं रहते हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि जो रिक्तियों की सूची आती है वह इस आधार पर आती है कि अध्यापक व्यवस्था के तहत हैं, कई प्राथमिक विद्यालयों में एक से सात अध्यापक आज भी हैं। दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में आज भी अध्यापक नहीं हैं। क्या ऐसे विद्यालयों की जाँच करा करके, उन विद्यालयों में अध्यापक भेजे जायेंगे?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, क्यों नहीं भेजे जायेंगे। ऐसे रिक्तियों की संख्या कैसे दी जाती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जितने सृजित पद हैं, उन विद्यालयों में कितने अध्यापक हैं, इस आधार पर तय होती है। मान्यवर, तत्काल पूरी नियुक्ति हो जायेगी। फिर अन्तर्जनपदीय काउंसिलिंग हो जाएगी। इसके बाद सुगम और दुर्गम में अध्यापकों की और कमी नजर जायेगी तो पूरी हो जायेगी।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मेरा कहने का आशय कतई यह नहीं था कि रिक्तियां गलत आयी हैं। मेरा कहने का आशय था कि अगर रिक्तियां सही आई हैं जनपद में, तो आज भी हमको दुर्गम क्षेत्रों में अध्यापक क्यों नहीं मिल पा रहे हैं?

श्री मदन कौशिक–

माननीय विधायक जी जैसा कह रहे हैं तो हमें स्पेसिफिक बता दें। मैं जाँच करा लूँगा कि कहाँ पर अध्यापक नहीं हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 में जो पद रिक्त रह जायेंगे जिला स्तर पर, वे स्टेट काउंसिलिंग में जायेंगे। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि विज्ञान वर्ग के जो पद जनपदीय चयन प्रक्रिया में खाली रह जायेंगे वह भी स्टेट काउंसिलिंग में जायेंगे। लेकिन सामान्य विषयों के सामान्य वर्ग में जो पद हैं, जो जनपद चयन प्रक्रिया में रिक्त रह जाते हैं, वे स्टेट काउंसिलिंग में नहीं जायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद–19 में प्राविधान है कि "रोजगार के मामले में सभी के सामने अवसरों की समानता होगी।" जब हम यह कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग के पद रिक्त रहने के बावजूद भी वे स्टेट काउंसिलिंग में नहीं जायेंगे और रिक्त रहने पर स्टेट काउंसिलिंग में जायेंगे तो क्या यह समान अवसर के सिद्धान्त को खण्डित नहीं करता? इस स्थिति में क्या सरकार सामान्य वर्ग के रिक्त पदों के लिए भी स्टेट काउंसिलिंग में जाने का निर्णय लेगी?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, चूँकि यह निश्चित है कि सामान्य वर्ग की जितनी संख्या होती है। उसमें हमने कहा, 1994 तक के बी0एड0 को विशिष्ट बी0टी0सी0 में ले लिया गया। वह संख्या नहीं भरी। उसमें 25 प्रतिशत हमने वेटिंग लिस्ट में ले लिया। वह पूरी हो गयी, फिर भी कुछ पद खाली रह गए। उन पदों को हम इण्टर डिस्टिक्ट नहीं भरेंगे। चूँकि मान्यवर, उस जनपद में पहले से मौजूद हैं हमारे सामान्य वर्ग के छात्र। लेकिन विज्ञान में लास्ट तक लेने के बावजूद वो पद नहीं भरे गए, ऐसा देखने में आया। इसे देखते हुए 2006 जून में एक जी0ओ0 जारी किया गया। जिससे यह स्पष्ट किया गया कि जनपद में उपयुक्त अभ्यर्थियों के न मिलने पर रिक्त पदों को भरने की

व्यवस्था बनाई गई। उस व्यवस्था में मान्यवर, यह स्पष्ट किया गया कि किसी जनपद में अनुसूचित जाति का उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उत्तरांचल राज्य में अन्य जनपद से उपलब्ध अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से उस जनपद की रिक्ति भरी जायेगी। इसी प्रकार यदि किसी जनपद में अनुसूचित जनजाति का उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उत्तरांचल राज्य में अन्य जनपद से अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी से उस जनपद की रिक्ति भरी जायेगी। यदि किसी जनपद में पिछड़ा वर्ग के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो उत्तरांचल राज्य के अन्य जनपद से उपलब्ध पिछड़े वर्ग जाति के अभ्यर्थी से उस जनपद की रिक्ति भरी जायेगी। इसी प्रकार विज्ञान वर्ग के सीट के प्रति उस जनपद में विज्ञान वर्ग का सामान्य वर्ग अथवा आरक्षित वर्ग का अपने वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उत्तरांचल राज्य के अन्य जनपद से विज्ञान वर्ग के उपलब्ध सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थी से उस जनपद की रिक्ति भरी जायेगी। यह प्रक्रिया विज्ञान वर्ग तथा आरक्षण श्रेणी दोनों पर लागू होती है। लेकिन सामान्य श्रेणी में सामान्यतः उपलब्ध होगी, यह स्पष्ट न होने के कारण। मान्यवर, कहा गया कि उसको हम पुनः विज्ञापित करेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। जब जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया अपना ली गयी तो जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया में पद पूरे भरे गए तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता स्टेट लेबिल के काउंसिलिंग का। चाहे वह एस0सी0 का हो, चाहे एस0टी0 का हो या ओ0बी0सी0 हो। अब जब जिला लेबिल की चयन प्रक्रिया हो चुकी है और उसमें पद रिक्त हो गए तो सामान्य वर्ग में रिक्त पदों के लिए वही प्रक्रिया क्यों न अपनाई जाए, जो एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 और विज्ञान वर्ग के पदों के लिए अपनाई जा रही है।

मान्यवर, पहले अवसर उनको दे दिया गया उसके बावजूद भी पद रिक्त रहता है, तो जैसे मैंने संवैधानिक प्रश्न कहा, संविधान के अनुच्छेद–19 में है कि रोजगार का अवसर विधि के समान सामान्य होंगे, यदि सामान्य वर्ग के विज्ञान वर्ग का स्टेट काउंसिलिंग में जा सकता है तो सामान्य वर्ग विषय का भी, यह मेरा प्रश्न है। जो पद रिक्त हैं वह स्टेट काउंसिलिंग में जाना चाहिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ओ0बी0सी0, एस0टी0, एस0सी0 के तीन ऐसे लोग हैं जो उस जनपद में उपलब्ध नहीं हैं तभी दूसरे जनपद में जाना पड़ा। जब पहली काउंसिलिंग में नहीं आये तो वेटिंग लिस्ट जारी करी, तो भी नहीं आए। इसी प्रकार विज्ञान वर्ग में वेटिंग भी जारी कर ली फिर भी खाली है। सामान्य वर्ग में वेटिंग जारी करने के

बाद यह देखने में आया कि उस जनपद में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, लेकिन 25 प्रतिशत से ज्यादा भर नहीं सकते, इसलिए पुनः विज्ञापित करना पड़ेगा।

प्रदेश के एन0टी0टी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति पर विचार

*12. श्री मयूख सिंह–

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

श्री गणेश जोशी–

श्री केदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के एन0टी0टी0 प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थी गत कई माह से सचिवालय/विधान सभा के समक्ष अपनी प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु आन्दोलनरत हैं?

क्या एन0टी0टी0 प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी0टी0 नर्सरी) बी0टी0सी0 सामान्य के समकक्ष एवं प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व में एन0टी0टी0 (सी0टी0 नर्सरी) प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति दी गयी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार एन0टी0टी0 प्रशिक्षितों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति देने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर जाँच की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एन0टी0टी0 प्रशिक्षिकों को प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर सेवायोजित किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से कहा कि बी0एड0 प्रशिक्षुओं को विशिष्ट बी0टी0सी0 के तहत किया जा रहा है तो क्या एन0टी0टी0 प्रशिक्षु को विशिष्ट बी0टी0सी0 के समकक्ष मान्यता देते हुए प्रदेश सरकार नियुक्ति देने पर विचार करेगी, यह पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है कि यह प्रश्न मेरे द्वारा नहीं लगाया गया लेकिन चूँकि इसमें उत्तर आया है कि "शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर जाँच की जा रही है", तो जाँच करने के बजाय क्या सरकार इनकी भी नियुक्ति किये जाने पर कार्यवाही करेगी और जो एन0टी0टी0 प्रशिक्षु लम्बे समय से आन्दोलनरत हैं क्या सरकार उनको आन्दोलन से उठाने के लिए गाँधीवाद तरीके से समाधान निकालेगी? इस पर क्या विचार करेगी?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एन0टी0टी0 प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता कक्षा एक से पहले होती है और हमारे विद्यालय कक्षा एक से शुरू होते हैं, इसलिए हमारे विद्यालयों में एन0टी0टी0 प्रशिक्षित लोगों को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस कारण उनको रखा जाना सम्भव नहीं है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, जो एन0टी0टी0 प्रशिक्षित ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं तो उनको विशिष्ट बी0टी0सी0 की तरह 6 महीने या एक वर्ष का कोर्स कराकर उनको भी नियुक्ति दी जाए, तो अच्छा समाधान निकल सकता है। अगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो क्या सरकार इनको विशिष्ट बी0टी0सी0 पर मान्यता देते हुए नियुक्ति करने पर विचार करेगी?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अभी माननीय मंत्री जी ने स्वीकारा है कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। मान्यवर, पूर्व के प्रश्नों में आपने उल्लेख किया है कि कमी है। मेरा इस सम्बन्ध में कहना है कि यही शिक्षक प्राईवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और वहाँ का रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छा रहता है और अभी आपने स्वीकारा है, 25–26 प्रतिशत रिजल्ट को आपने बहुत अच्छा माना है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या एन0टी0टी0 प्रशिक्षितों को ट्रेनिंग देकर सरकार स्कूलों में नियुक्ति देगी?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एन0टी0टी0 प्रशिक्षित, नर्सरी क्लास के बच्चों को बढ़ाते हैं, जबकि हमारे सरकारी स्कूलों में इस तरह की कक्षाएं, राज्य द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में नहीं चलायी जाती हैं। इसलिए इन्हें राज्य के सरकारी स्कूलों में सर्विस देना सम्भव नहीं है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एन0टी0टी0 का जो प्रशिक्षण है, क्या वह राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसमें एन0सी0टी0ई0 किसी भी कोर्स को अपना एफिलेशन देती है तो एन0सी0टी0ई0 की यह बाध्यता है राज्य सरकारों पर, कि जिस कोर्स को वह एफिलेशन देती है उसकी परीक्षाएं कराना राज्य सरकार के लिए बाध्यता है। एन0टी0टी0 जो नर्सरी ट्रेनिंग है, यह एन0सी0टी0ई0 ने अपने यहाँ अप्रूव की और राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह अपने यहाँ इसकी परीक्षा कराये। राज्य सरकार ने इसी के तहत चार विद्यालयों को इसका परीक्षा केन्द्र बनाया और परीक्षा कराने से पहले ही राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सरकार इनको अपने यहाँ किसी तरह की नौकरी नहीं देगी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, क्या एन0टी0टी0 राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण है? यदि सरकार ने इस प्रशिक्षण को रिकग्नाईज किया है तो इसको रिकग्नाईज करने का उद्देश्य क्या है, यदि इसका प्रदेश में कोई उपयोग ही नहीं है तो। मान्यवर, राज्य सरकार किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी एकेडमिक कोर्स को मान्यता तभी देती है, जब वह कहती है कि हम प्रदेश सरकार में फलाने–फलाने में एन0ओ0सी0 देंगे और फलाने–फलाने कार्य इससे करेंगे। यदि इस प्रकार से राज्य सरकार ने कोई एन0ओ0सी0 दी है और प्रशिक्षण को मान्यता दी है तो निश्चित रूप से राज्य में इस प्रशिक्षण का उपयोग क्या है, इसको माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें। यदि हमारे प्रदेश के लिए कोई उपयोग नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा एन0ओ0सी0 देने का औचित्य क्या था? यह बतायें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रदेश में एन0सी0टी0ई0 यदि किसी कोर्स को मान्यता देती है। एफिलिएशन करने के बाद एन0सी0टी0ई0 द्वारा राज्य सरकार की यह बाध्यता है कि उसके द्वारा जिस कोर्स को मान्यता दी गयी है, उसकी परीक्षा करानी पड़ेगी।

पड़ेगी। मान्यवर, एन0सी0टी0ई0 ने इसे एफिलिएशन दिया और कहा कि यह कोर्स हमारा है और राज्य सरकार को बाध्यता दी कि इसकी परीक्षा कराइए, राज्य सरकार ने जब परीक्षा करायी, क्योंकि एन0सी0टी0ई0 का बाउण्ड है कि परीक्षा करानी पड़ेगी तो हमने परीक्षा करायी और परीक्षा कराने से पहले ही हमने उनसे लिखित रूप से कहा कि:– "किसी भी संस्था द्वारा संचालित दो वर्षीय नर्सरी ट्रेनिंग प्रशिक्षण उपरान्त सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सेवा प्रदान किये जाने का कोई दायित्व राज्य सरकार का नहीं होगा।"

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि हम एन0सी0टी0ई0 के कहने पर केवल परीक्षाएं कराते हैं। परीक्षाएं दूसरे राज्य की सेवाओं के लिए भी कोई राज्य करा सकता है, राज्य में परीक्षा केन्द्र भी हो सकता है। वह राज्य अनुरोध कर सकता है उत्तराखण्ड राज्य से कि हमारी राज्य की प्रशासनिक सेवा के लिए परीक्षा केन्द्र हमने आपके राज्य में रखा है। इस परीक्षा को आप आयोजित कर दें। ऐसा करते ही हैं तमाम तरह के हमारे आई0एम0ए0 एकेडमी के लिए परीक्षाएं राज्य सरकारें कराती हैं। मान्यवर, बहुत सारी बैंक की प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं राज्य सरकार कण्डक्ट करती है।

मान्यवर, बैंक रिक्वेस्ट करता है, हम उसके लिए प्रबन्ध कर देते हैं। लेकिन श्रीमन्, मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न यह है कि यदि उत्तरांचल राज्य में एन0टी0टी0 प्रशिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है तो एन0टी0टी0 प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार ने एन0ओ0सी0 क्यों जारी किया और उसके रिकग्नेशन के प्रोसेस में राज्य सरकार ने अपने–आप को क्यों इन्वॉल्व किया?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमने कोई एन0ओ0सी0 जारी नहीं की। मैं फिर माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह कोर्स एन0सी0टी0ई0 से एप्रूव्ड होता है। एन0सी0टी0ई0 ने किसी कोर्स को एप्रूव किया तो एन0सी0टी0ई0 की यह शर्त है कि यदि कोर्स उससे एप्रूव्ड है तो राज्य सरकार का बोर्ड, चाहे वह ऑटोनामस बॉडी हो, चाहे राज्य सरकार के अधीन काम करता हो, उसको वह परीक्षा लेनी पड़ेगी। उस सम्बन्ध में जब परीक्षा लेने के लिए राज्य सरकार को कहा गया तो राज्य सरकार ने यह परीक्षा ली लेकिन साथ–साथ हमने कहा........... मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ पूछना चाह रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एन0सी0टी0ई0 ने कहा कि परीक्षा करा लें। मान्यवर, एन0सी0टी0ई0 ने जो कहा, मैं उसको पढ़ कर माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ "एवरीबॉडी गारन्टीड टु रिन्यु रिकग्नाईजेशन"........

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, समय ज्यादा न लगे इसलिए मैं अपनी बात को स्पष्ट कर देता हूँ। क्या राज्य सरकार द्वारा एन0ओ0सी0, एन0टी0टी0 प्रशिक्षण के लिए दी जाती है? दूसरा, क्या राज्य सरकार द्वारा एन0टी0टी0 प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तर पर कोई रिकग्नेशन, मान्यता दी जाती है? मान्यवर, मेरे ये दो छोटे–छोटे प्रश्न हैं। इनका उत्तर मैं चाहूँगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस चीज को इस प्रकार समझना पड़ेगा, एन0टी0टी0 किस चीज के लिए है? कल को किसी ने बी0एड0 किया और बी0एड0 करने के बाद हमें कहा जाय कि डिग्री कॉलेज में आप उसको प्रोफेसर बनाइये क्योंकि राज्य सरकार ने कहा है, या राज्य सरकार ने इग्जाम लिया है, यह तो सम्भव नहीं है। एन0टी0टी0 किस चीज के लिए है? एन0टी0टी0 नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है और कक्षा एक से पहले के जो बच्चे हैं, नर्सरी क्लास के, उनको पढ़ाने के लिए होते हैं। राज्य सरकार के द्वारा संचालित जो विद्यालय होते हैं, उनमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अब जो अन्य विद्यालय हैं, चाहे वे प्राइवेट स्तर पर चलाये जा रहे हों, उनमें इस प्रकार की व्यवस्था विद्यमान है। इग्जाम हम कराते हैं और इग्जाम कराने के साथ जो टर्म एण्ड कंडीशन हैं, मान्यवर, हमने 4 टर्म एण्ड कंडीशन दिये हैं। मैं चारों के बारे में बताना चाहता हूँ, हमने मानव भारती, देहरादून द्वारा संचालित दो वर्षीय नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में स्पष्ट कहा है, एक, इस संस्था द्वारा संचालित दो वर्षीय नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की प्रवेश परीक्षा में एन0सी0ई0आर0टी0 उत्तरांचल के एक प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित रहेंगे। दूसरा, प्रश्नगत प्रवेश परीक्षा केवल वर्ष 2003–04 के लिए ली थी। तीसरा, प्रवेश परीक्षा में आरक्षण उत्तरांचल सरकार द्वारा दी गयी संस्तुतियों के अनुसार होगा। चौथा, संस्था को पूर्व प्रदत्त मान्यता की शर्तों तथा इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करना राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।

अब मान्यवर, सवाल यह उठता है कि हम लोगों के यहाँ यदि किसी भी प्रकार से एन0टी0टी0 यानि वो क्लासें राज्य सरकार द्वारा चलाई जाएं, जो कक्षा एक से पहले हों, तब तो यह ठीक है कि हम उसके बारे में विचार करें। लेकिन चूँकि राज्य सरकार द्वारा संचालित जितने प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं, उनमें इस प्रकार की

नोटः– तारांकित प्रश्न संख्या–12 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

क्लासों को चलाए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए इस कोर्स को जो करते हैं, उनको राज्य सरकार के स्कूलों में हम सम्मिलित कर लें, सरकार के द्वारा संचालित स्कूलों में हम उनको सर्विस में रख लें, यह संभव नहीं है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिन असरकारी संस्थाओं में नर्सरी स्तर की पढ़ाई होती है, उनमें इन टीचरों को रखा जाता है। क्या राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिन भी विद्यालयों में नर्सरी स्तर की पढ़ाई होती है, उन विद्यालयों में शत–प्रतिशत एन0टी0टी0 प्रशिक्षित अध्यापक ही रखे जाएं?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, चूँकि ....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके निर्देशानुसार मैं तथा माननीय मंत्री डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" जी, माननीय मंत्री श्री दिवाकर भट्ट जी, माननीय मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी जी, हम नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा तथा प्रतिपक्ष के अन्य माननीय विधायकों से वार्ता करने के लिए गये थे और उनसे अनुरोध किया था और आपका संदेश उन सभी माननीय सदस्यों तक पहुँचाया था लेकिन उन्होंने हमारे अनुरोध को ठुकरा दिया है। यह आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, कोई बात नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष नहीं आये हैं, लेकिन उनका और उनके बगल के माइक खुले हैं। (हँसी)

अतारांकित प्रश्न

जनपद हरिद्वार में इकबालपुर गन्ना विकास परिषद् के चुनाव का समय, कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् पुनः निर्वाचन

1. श्री सुरेन्द्र राकेश–

श्री हरिदास–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में इकबालपुर गन्ना विकास परिषद् चुनाव कब हुआ था?

क्या इकबालपुर गन्ना विकास परिषद् का कार्यकाल समाप्त हो चुका है?

यदि हाँ, तो सरकार गन्ना विकास परिषद् का पुनः चुनाव कब तक करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

गन्ना विकास परिषद्, इकबालपुर के संचालक मण्डल का चुनाव वर्ष, 1988 में हुआ था।

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति एवं विनियमन) अधिनियम, 1953 में संशोधन के उपरान्त ही चुनाव सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार स्थित लण्ढौरा के ग्राम हरजौली जट में निर्माणाधीन कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण

2. श्री हरिदास–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के लण्ढौरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हरजौली जट में निर्माणाधीन कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण में गत वर्ष 20 लाख रुपये खर्च हुए हैं?

क्या यह सत्य है कि वर्तमान में उक्त विद्यालय राजकीय इण्टर कॉलेज रुड़की में अस्थायी रूप से संचालित है?

क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्यवाहक अधिकारियों को स्वीकृत वेतनमान व पदोन्नति

3. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा विभाग में हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक से लेकर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा तक के लगभग सभी पदों पर अधिकारी कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहे हैं?

क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे कौन–कौन से पद हैं जिन पदों पर अधिकारी कार्यवाहक के रूप में कार्यरत हैं?

क्या यह सत्य है कि उक्त विभिन्न पदों पर कार्यवाहक रूप में कार्यरत अधिकारियों को उन पदों का स्वीकृत वेतनमान नहीं दिया जा रहा है?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक स्वीकृत वेतनमान मुहैया करायेगी तथा कब तक इन कार्यवाहक अधिकारियों की पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में डी0पी0सी0 आयोजित करेगी?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक से निदेशक, विद्यालयी शिक्षा के पदों के प्रति कार्यवाहक रूप में कार्यरत अधिकारियों का विवरण निम्नवत् है:–

क्रम	पद का नाम
1	हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
2	इण्टरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या
3	अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बे0/मा0) एवं समकक्ष
4	संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं समकक्ष
5	अपर शिक्षा निदेशक
6	निदेशक, विद्यालयी शिक्षा

जी हाँ।

विभिन्न पदों पर कार्यवाहक अधिकारियों को उनके मूल पद का वेतन ही अनुमन्य है, अपने मूल पद से उच्चतर पदों पर कार्यवाहक अधिकारी होने मात्र से उस पद का वेतन अनुमन्य किये जाने का प्राविधान नहीं है। अतः कार्यवाहक अधिकारियों की नियमानुसार डी0पी0सी0 होने तथा पदोन्नति होने की दशा में ही उन्हें पदोन्नत पद का वेतनमान देय होगा।

कार्यवाहक अधिकारियों से सम्बन्धित वर्तमान में प्रचलित नियमावलियों में उल्लिखित निर्धारित अर्हकारी सेवा एवं अन्य शैक्षिक तथा प्रशिक्षण एवं अन्य निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाले कार्यवाहक अधिकारियों की पदोन्नति किये जाने हेतु डी0पी0सी0 की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद पौड़ी के रा0इं0का0 बहेड़ाखाल की अभिभावक–अध्यापक एसोसिएशन की बैठक के प्रस्तावों पर कार्यवाही व प्रगति

4. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेज बहेड़ाखाल की अभिभावक–अध्यापक एसोसिएशन की दिनांक 15 सितम्बर, 2007 की बैठक का कार्यवृत्त एसोसिएशन के पत्रांक बेहड़ाखाल/2–बैठक/2007–08, दिनांक 30 सितम्बर, 2007 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी को कब प्राप्त हुआ है और कार्यवृत्त में वर्णित प्रस्तावों पर अब तक की गई कार्यवाही एवं हुई प्रगति का प्रस्तावावार विवरण क्या है?

श्री मदन कौशिक–

पृच्छित कार्यवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी को दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हुआ है।

कार्यवृत्त में वर्णित प्रस्तावों पर विद्यालयी शिक्षा निदेशालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सकारात्मक/समाधानात्मक कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कॉलेज बहेड़ाखाल, पौड़ी गढ़वाल द्वारा कार्यवृत के प्रस्ताव संख्या–1 से 17 तक प्रस्तावावार अनुपालन किया गया है।

जनपद पौड़ी के रा0इं0का0 में रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण व रिक्त पदों पर तैनाती

5. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण क्या है तथा उक्त कॉलेजों में ये रिक्तियां कब से हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन रिक्तियों के कारण प्रभावित हो रही शिक्षण व्यवस्था के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक इन रिक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती कर दी जायेगी?

श्री मदन कौशिक–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय इण्टर कॉलेजों की कुल संख्या 147 है। राजकीय इण्टर कॉलेजों की संख्या अधिक होने के कारण पृच्छित रिक्त पदों का विवरण समेकित रूप से निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

क्र0सं0	पद का नाम	रिक्त पदों की कुल सं0
1	प्रधानाचार्य	16
2	प्रवक्ता	482
3	सहायक अध्यापक	508

विद्यालयों में उपरोक्त वर्णित कतिपय रिक्तयाँ पुरानी हैं तथा अधिकांश विद्यालयों का उच्चीकरण होने के फलस्वरूप सृजित पद अल्प अवधि से रिक्त हैं।

पदों के रिक्त होने से प्रभावित हो रही शिक्षण व्यवस्था के लिए कोई व्यक्ति विशेष उत्तरदायी नहीं है। पदों का रिक्त होना एवं उन पर नवीन नियुक्ति अथवा पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति करते हुए तैनाती किया जाना एक नियमित प्रक्रिया है, जो सदैव गतिमान रहती है।

राज्य के अधिकांश राजकीय इण्टर कॉलेजों के प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य की तैनाती कर दी गयी है। सहायक अध्यापक पदों पर नवीन नियुक्ति तथा प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति के द्वारा तैनाती की गयी है।

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में व्यायाम शिक्षक के पद पर नियुक्ति

6. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में व्यायाम शिक्षक के पद पर नियुक्ति का आदेश शासन द्वारा प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं?

क्या शासन जनहित में उक्त श्रेणी के विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पद सृजित करने की कार्यवाही करेंगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में व्यायाम शिक्षक के पद पर नियुक्ति न किये जाने के कोई आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं।

विद्यालयों में मानकानुसार सृजित पदों में ही व्यायाम अध्यापक का पद भी सम्मिलित होता है। व्यायाम शिक्षक का पृथक से पद सृजित नहीं किया जाता।

प्रश्न नहीं उठता।

परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में समायोजित किये जाने की योजना

7. श्री मनोज तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि शासनादेश संख्या–6180/15–5–196/86, दिनांक 07 अगस्त, 1986 द्वारा प्रत्येक जनपद में वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा कार्यालय की स्थापना की गयी थी जिसमें 50% कर्मचारी बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में से समायोजित किए गये थे?

क्या वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद को समाप्त कर राजकीयकरण किए जाने से शेष कार्यरत परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में समायोजित किए जाने की योजना शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा के कार्यालय की स्थापना हेतु अन्य राजकीय कर्मचारियों के साथ बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों का श्रेष्ठता के आधार पर चयन किया गया था। उक्त शासनादेश दिनांक 07–08–1986 में यह प्राविधान भी किया गया है कि प्रथमतः इन पदों को इस विशेष व्यवस्था के अनुसार भर लेने के बाद भविष्य में इन पर नियुक्ति सामान्य नियमों के अनुसार होगी।

वर्तमान में शासनादेश संख्या–201/XXVII(6)/2007, दिनांक 13–07–2007 के द्वारा लेखा संवर्ग के लेखाकार/लेखा परीक्षकों के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं का निर्धारण करते हुए इन्हें सीधी भर्ती से भरे जाने का प्राविधान है।

पुरोला वि0स0 क्षेत्र अन्तर्गत मोरी व नौगांव के जूनियर हाईस्कूल एवं फिताड़ी एवं डाढमीर के हाईस्कूल सॉकरी एवं सरनौल का उच्चीकरण

8. श्री राजेश उर्फ राजेश जुवाँठा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुरोला विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मोरी के जूनियर हाईस्कूल फिताड़ी एवं डाढमीर (तालुका) एवं हाईस्कूल सॉकरी एवं सरनौल विकास खण्ड नौगांव के उच्चीकरण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है तथा उक्त स्कूलों का उच्चीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री मदन कौशिक–

पुरोला विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मोरी के जूनियर हाईस्कूल फिताड़ी एवं जूनियर हाईस्कूल डाढमीर (तालुका) एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सॉकरी एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरनौल, विकास खण्ड नौगांव उच्चीकरण हेतु निर्धारित विभागीय मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं।

विभागीय मानकों की पूर्ति होने पर संदर्भित विद्यालयों के उच्चीकरण पर विचार किया जायेगा।

राज्य पुस्तकालय अधिनियम

9. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 12 अप्रैल, 2005 को राज्य पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया है?

यदि हाँ, तो क्या इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो इस अधिनियम को कब तक लागू कर दिया जायेगा?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के रा0इं0का0 में एन0सी0सी0 की शिक्षा

10. श्री प्रीतम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने राजकीय इण्टर कॉलेजों में एन0सी0सी0 की शिक्षा दी जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

प्रदेश के 110 राजकीय इण्टर कॉलेजों में एन0सी0सी0 की शिक्षा दी जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद टिहरी के धनौल्टी वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत कुल प्राथमिक विद्यालय एवं शिक्षा मित्रों के कारण संचालित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तथा अध्यापकों की नियुक्ति

11. श्री खजान दास–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा के अन्तर्गत कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं तथा कितने प्राथमिक विद्यालय शिक्षा मित्रों के कारण चल रहे हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक तैनात नहीं हैं?

सरकार कब तक उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री मदन कौशिक–

जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा के अन्तर्गत कुल 265 प्राथमिक विद्यालय क्रियाशील हैं, इनमें से 11 प्राथमिक विद्यालय शिक्षा मित्रों से संचालित हो रहे हैं।

उपरोक्तानुसार धनौल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 11 प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक तैनात नहीं हैं। शेष अन्य 254 प्राथमिक विद्यालयों में 01 अथवा 01 से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं।

उक्त 11 प्राथमिक विद्यालयों में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर तैनात करने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड आबकारी अधिनियम की धारा–60 के अधीन जुर्माने पर पुनर्विचार तथा नीति निर्धारण

12. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में आबकारी अधिनियम की धारा–60 के अधीन कम से कम रु0 5000.00 जुर्माने की व्यवस्था की गई है?

क्या यह सत्य है कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में अधिकतम रु0 500.00 जुर्माने की व्यवस्था है?

क्या सरकार जनहित में पुनर्विचार व समीक्षा कर समान व्यवस्था/नीति निर्धारित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

आबकारी अधिनियम की धारा–60 में अवैध मदिरा का निर्माण व तस्करी तथा अन्य आबकारी अपराधों को रोकने की व्यवस्था है। वर्ष, 2001 में जनआकांक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए जुर्माने की धनराशि को बढ़ा कर रु0 5000.00 किया गया। पुनः जुर्माना कम किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बिन्ता में आई0टी0आई0 खोलने की शासन की स्वीकृति व संस्थान के संचालन हेतु जमीन की व्यवस्था

13. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बिन्ता में आई0टी0आई0 खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है?

यदि हाँ, तो कब तथा प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु जमीन की व्यवस्था हेतु अद्यतन स्थिति क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा सत्र प्रारम्भ कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र भण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बिन्ता में आई0टी0आई0 खोलने की स्वीकृति वर्ष, 2005–06 में प्रदान की जा चुकी है। प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु राजकीय इण्टर कॉलेज बिन्ता का पुराना भवन विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

भवन के हस्तान्तरण के पश्चात शिक्षा सत्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 द्वाराहाट स्थित जू0हा0 मुसनौला, फल्द्वाड़ी का स्थापना वर्ष तथा उच्चीकरण पर विचार

14. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास खण्ड के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल मुसनौला, फल्द्वाड़ी की स्थापना कब हुई?

क्या सरकार उक्त जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास खण्ड के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल मुसनौला नाम से कोई विद्यालय संचालित नहीं है और जूनियर हाईस्कूल फल्द्वाड़ी की स्थापना वर्ष, 1996 में हुई है।

जूनियर हाईस्कूल फल्द्वाड़ी का उच्चीकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

यथोपरि।

प्रश्न नहीं उठता।

15. श्री ओम गोपाल–

तृतीय मंगलवार के अता0 4 में स्था0।

अवशिष्ट साक्षरता कार्यक्रम कर चुके स्वयंसेवी शिक्षकों को बी0एड0 एवं बी0टी0सी0 के चयन में वरीयता

16. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अवशिष्ट साक्षरता कार्यक्रम कर चुके स्वयंसेवी शिक्षकों को बी0एड0 एवं बी0टी0सी0 के चयन में वरीयता दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

बी0टी0सी0 में चयन के लिए स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित कर लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने का प्राविधान है। अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक तथा शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित गुणांकों के योग के आधार पर योग्यता क्रम के आधार पर बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु चयन किये जाने का प्राविधान है। अवशिष्ट साक्षरता कार्यक्रम कर चुके स्वयं सेवी शिक्षकों को बी0टी0सी0 के चयन में वरीयता प्रदान किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बी0एड0 हेतु चयन की कार्यवाही उच्च शिक्षा के अन्तर्गत की जाती है।

अल्मोड़ा वि0स0 क्षेत्र में स्व0 हे0न0ब0 स्पोर्ट्स स्टेडियम का विस्तारीकरण

17. श्री मनोज तिवारी–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा विधान सभा में स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम विस्तार की कोई योजना विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा स्पोर्टस स्टेडियम अल्मोड़ा के विस्तारीकरण के क्रम में एक अतिरिक्त इन्डोर बैडमिन्टन कोर्ट का निर्माण पूर्व से ही कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट वि0ख0 के जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय–भामा कनलगांव का उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण

18. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास खण्ड के अन्तर्गत जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय–भामा कनलगांव का उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किया जा चुका है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं। जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास खण्ड के अन्तर्गत जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय–भामा कनलगांव के प्रान्तीयकरण का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय–भामा कनलगांव के प्रांन्तीयकरण का प्रकरण विचाराधीन है।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 चौखुटिया अन्तर्गत रा0हा0 खजुरानी हेतु भवन निर्माण, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

19. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया अन्तर्गत रा0 हाईस्कूल खजुरानी हेतु भवन निर्माण, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति की मांग क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों द्वारा बार–बार की जा रही है?

यदि नहीं, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

विद्यालय भवन निर्माण हेतु रु0 6.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है। प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति की गयी है। सहायक अध्यापक के 07 पदों के सापेक्ष 06 पदों पर नियुक्ति की गयी है। सहायक अध्यापक के एक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत रा0इं0का0 महाकालेश्वर में इण्टरमीडिएट स्तर पर संस्कृत विषय सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव

20. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रा0इं0 कॉलेज–महाकालेश्वर में इण्टरमीडिएट स्तर पर संस्कृत विषय सम्मिलित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो अब तक उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गयी है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार संस्कृत विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर विचार करेगी?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर पर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय पूर्व से ही सम्मिलित है।

गम्भीर रोग/विकलांगता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों से नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में पद स्थापित सहायक अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं पदोन्नति सम्बन्धी नीति

21. श्री ओम गोपाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गम्भीर रोग/विकलांगता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों से नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में पद स्थापित सहायक अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या नीति अपनायी गयी है?

श्री मदन कौशिक–

शासनादेश संख्या–537/XXIV(1)/2005, दिनांक 14–09–2005 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों का नगर क्षेत्र के विद्यालयों में स्थानान्तरण हेतु नीति निर्धारित की गयी थी। जिसके द्वारा गम्भीर रोग से पीड़ित अध्यापक, विकलांगता से प्रभावित अध्यापक व ऐसे सहायक अध्यापक जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है, विकल्प के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र के विद्यालयों में स्थानान्तरण हेतु आवेदन किये जाने का प्राविधान था, किन्तु वर्तमान में गम्भीर रोग/विकलांगता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों से नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में पद स्थापित ऐसे सहायक अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं है। ऐसे अध्यापकों को सामान्य अध्यापकों की भांति ही पूर्व प्रचलित सेवा नियमों के अन्तर्गत ही पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

जनपद पौड़ी के रा0इं0का0 बहेड़ाखाल के तत्कालीन प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से अवशेष किराये का भुगतान

22. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कॉलेज बहेड़ाखाल के तत्कालीन प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से अवशेष किराये के भुगतान के सम्बन्ध में निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को सम्बोधित विद्यालय की अभिभावक–अध्यापक एसोसिएशन का पत्रांक बहेड़ाखाल/26–एसोसिएशन/2007–08, दिनांक 20 मई, 2007 कब प्राप्त हुआ है और इस पत्र में वर्णित तथ्यों तथा सन्दर्भित पत्रों पर अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है?

श्री मदन कौशिक–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कॉलेज बहेड़ाखाल के तत्कालीन प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से अवशेष किराये के भुगतान के सम्बन्ध में निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को सम्बोधित विद्यालय की अभिभावक–अध्यापक एसोसिएशन का पत्रांक बहेड़ाखाल/26–एसोसिएशन/2007–08, दिनांक 20 मई, 2007 का पत्र दिनांक 26–05–2007 को प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में विद्यालयी शिक्षा निदेशालय कार्यालय के पत्र संख्या–सेवाएं–1 (राज0)/62463/2007–08, दिनांक 27 फरवरी, 2008 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को अभिलेखों की जाँचोपरान्त तथ्यानुसार सम्बन्धित प्रधानाध्यापक से अवशेष किराये की वसूली किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। परिणाम प्रतीक्षित है।

जनपद पौड़ी के वि0ख0 कोट के स्थान बहेड़ाखाल में मिनी स्टेडियम एवं व्यायामशाला निर्माण की प्रगति

23. श्रीमती अमृता रावत–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के स्थान बहेड़ाखाल में मिनी स्टेडियम एवं व्यायामशाला निर्माण हेतु जिला युवा कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक 297/16 प्रा0वि0–90/98, दिनांक 13 अक्टूबर, 1998 के अनुपालन में दिनांक 06 जनवरी, 1999 को 1.246 हे0 भूमि की रजिस्ट्री विभाग के नाम की गई है?

यदि हाँ, तो जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के बहेड़ाखाल क्षेत्र में आउटडोर स्टेडियम/मिनी स्टेडियम एवं व्यायामशाला निर्माण हेतु अब तक की गई कार्यवाही एवं हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक प्रस्तावित आउटडोर स्टेडियम/मिनी स्टेडियम निर्माण करवाए जाने की सम्भावना है?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

उपरोक्त मिनी स्टेडियम/व्यायामशाला निर्माण स्थल के निरीक्षण कर प्राक्कलन तैयार करने हेतु जिलाधिकारी, गढ़वाल के आदेश संख्या 169/प्रारद/स्टेडियम/2002–03, दिनांक सितम्बर, 19, 2002 के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, समाज कल्याण निर्माण निगम, पौड़ी में अपने पत्र संख्या–492/ई0ई0/पौड़ी/2002–03/मिनी स्टेडियम, दिनांक 16 जनवरी, 2003 के अनुसार अवगत कराया कि उक्त भूमि के समतलीकरण, रिटेनिंगवाल एवं बाउन्ड्रीवाल मात्र पर ही लगभग रु0 75.00 लाख का व्यय आ जायेगा। इस प्रकार उक्त स्थान पर स्टेडियम का निर्माण कार्य तर्कसंगत नहीं है। अतः उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बहेड़ाखाल में मिनी स्टेडियम एवं व्यायामशाला निर्माण नहीं कराया जाना है।

जनपद रुद्रप्रयाग के जनता इं0का0 देवनगर, जनता हाईस्कूल द्वारीधार, वी0च0सि0ग0 जनता जू0हा0 मैखण्डा को अनुदान सूची में सम्मिलित करने पर विचार

24. श्रीमती आशा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के जनता इण्टर कॉलेज देवनगर (बड़ेथ), रुद्रप्रयाग, जनता हाईस्कूल द्वारीधार (दसज्यूला काण्डई), रुद्रप्रयाग, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली जनता जू0हा0 मैखण्डा, रुद्रप्रयाग विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने पर विचार हो रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक ये विद्यालय अनुदान सूची में सम्मिलित किये जायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

सम्प्रति अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण का कार्य गतिमान है।

नीति निर्धारित होने के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर यथा समय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक

25. श्री मनोज तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर शासन द्वारा रोक लगाई गई है?

यदि हाँ, तो क्या यह रोक संवैधानिक प्रक्रियाओं के अधीन है?

श्री मदन कौशिक–

उत्तराखण्ड में अशासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में नियुक्तियों के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–333/XXIV–4/2007, दिनांक 27–06–2007 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विनियम बनने की कार्यवाही गतिमान होने तथा जब तक विनियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता तब तक अशासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में नियुक्ति एवं साक्षात्कार की कार्यवाही स्थगित रखी जाय। अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बनने वाले विनियमों से संचालित होती है।

जी हाँ।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्री गगन सिंह रजवार, श्री करन मेहरा, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री चन्दन राम दास की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री गोपाल सिंह रावत, श्री गगन सिंह रजवार, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री चन्दन राम दास की सूचना को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचना अस्वीकार की जाती है।

जनपद उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई कार्मिकों को विद्युत टैरिफ सुविधा प्रदान किये जाने में दोहरी नीति अपनाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल सिंह रावत–

[मान्यवर, माह मई, 1992 से 13 जनवरी, 2000 तक मनेरी भाली परियोजना पर विद्युत एवं सिंचाई कार्मिकों का समान रूप से विद्युत टैरिफ उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन पर स्वीकृत था, दिनांक 14–01–2000 से उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम से दिया जाना प्रस्तावित था, उत्तराखण्ड राज्यान्दोलन तथा राज्य गठन के पश्चात् प्रकरण पर निर्णय नहीं लिया जा सका, कार्मिकों द्वारा संघर्ष और आन्दोलन के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा 17–09–2006 से मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना द्वितीय चरण का कार्य कर रहे सिंचाई कार्मिकों को उक्त सुविधा अनुमन्य करायी, किन्तु इसी परियोजना के प्रथम चरण के दो खण्डों के कार्मिकों को जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय चरण के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, को उक्त सुविधा से वंचित रखा गया है जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है।

मनेरी भाली परियोजना पर कार्यरत सिंचाई कार्मिकों के साथ उक्त प्रकरण पर दोहरी नीति अपनाये जाने के फलस्वरूप उक्त परियोजना पर कार्यरत कार्मिकों में अत्यन्त रोष व्याप्त है, और समय–समय पर उनके द्वारा परियोजना निरीक्षण के समय राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के उच्च अधिकारियों के समक्ष धरना/प्रदर्शन किया जाता है।

अतः मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना के एक ही मण्डल के, एक ही परियोजना तथा एक ही समान कार्य के अन्तर्गत अवशेष उक्त दो खण्डों के लगभग 100 कार्मिकों को भी समान रूप से विद्युत टैरिफ की स्वीकृति प्रदान की जाय।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सरकार के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

उत्तराखण्ड में निवास कर रही विलुप्त प्रायः आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को मूलभूत आवश्यकतायें (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा भूमि आदि) की सुविधायें दिलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गगन सिंह रजवार–

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान उत्तराखण्ड में निवास कर रही विलुप्त प्रायः आदिम जनजाति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रदेश में उक्त जाति के लगभग 120 परिवार हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 400 की है। यह समुदाय सदियों से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मूलभूत आवश्यकताओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भूमि) आदि सुविधाओं से वंचित है। किसी भी सरकार द्वारा आज तक ध्यान नहीं दिया गया। भारत आज 21वीं सदी में चल रहा है उक्त समुदाय की स्थिति आदिम काल की ही याद दिलाती है। जो आज भी खानाबदोशी का जीवन यापन कर जीविकोपार्जन कर रही है।

अतः इस समुदाय के संरक्षण एवं संवर्द्धन की आवश्यकता है। महोदय, यह प्रश्न अत्यन्त गम्भीर एवं लोक महत्व का है। मैं सरकार का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूँ।

प्रदेश में बेरोजगार डिप्लोमा फार्मेसिस्ट को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, वर्तमान में पूरे प्रदेश में 1765 स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित हैं, इन सभी उपकेन्द्रों में स्वास्थ्य सेवायें सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिये इनमें एक–एक फार्मेसिस्ट की नियुक्ति किये जाने की मांग लम्बे समय से की जाती रही है। वर्तमान में इनमें से 539 उपकेन्द्रों पर ही फार्मेसिस्ट नियुक्त हैं और इन उपकेन्द्रों में न्यूनतम स्वास्थ्य सेवायें जनता को आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। शेष 1226 उपकेन्द्रों में भी ऐसे ही फार्मेसिस्ट नियुक्त किये जाने हेतु जनता लम्बे समय से मांग कर रही है। दूसरी ओर बेरोजगार डिप्लोमा फार्मेसिस्ट इन उपकेन्द्रों में नियुक्ति हेतु व्यापक आन्दोलन चलाये हुए हैं।

अतः अविलम्बनीय इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा के क्षेत्र पंचायत धौलादेवी की ग्राम पंचायत धूरा की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्दन राम दास–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद अल्मोड़ा के क्षेत्र पंचायत धौलादेवी की ग्राम पंचायत धूरा की पेयजल समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत धूरा, क्षेत्र पंचायत धौलादेवी, अल्मोड़ा में लगभग 20 वर्षों से पेयजल योजना पर रु0 26.00 लाख व्यय होने के बावजूद भी गाँववासियों को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पानी के अभाव में सम्पूर्ण ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे ग्रामवासियों में आक्रोश व्याप्त है तथा कभी भी आन्दोलित हो सकते हैं।

अतः इस अति लोक महत्व की सूचना पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक, भारत सरकार का (31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए) उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री करन मेहरा जी की है। सूचना कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं दी गयी है। अतः मैं इसे ग्राह्यता पर नहीं सुन रहा हूँ। दूसरी सूचना श्री नारायण पाल जी की है जो प्रदेश में संचालित हो रहे अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों की मनमानी तथा उनके द्वारा अभिभावकों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में है। यह विषय आश्वासन समिति में लम्बित है, अतः मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी द्वारा दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखने के लिए आपने अनुमति प्रदान की, धन्यवाद। श्रीमन्, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखण्ड राज्य का उदय, उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और यहां के जनजीवन की विशिष्ट कठिनाईयों को देखते हुए हुआ। उत्तर प्रदेश का जब हम हिस्सा हुआ करते थे तो सामान्य चर्चा जो उत्तर प्रदेश में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहते हुए हममें से तमाम सारे माननीय विधायक उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी सदस्य हुआ करते थे तो एक सामान्य चर्चा, एक सामान्य चिन्ता का विषय योजना का निर्धारण करने वाले सभी लोगों के सामने, स्थानीय जन प्रतिनिधियों के सामने हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के साथ रहते हुए उत्तराखण्ड राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं का निर्धारण नहीं हो पाता है। मैं इस बात के लिए निश्चित रूप में राज्य में जनरल खंडुड़ी की सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बार राज्य के अन्दर महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया जो निश्चित रूप से किसी भी राज्य की सरकार का एक नीतिगत दस्तावेज है, पर जब नजर दौड़ाते हैं श्रीमन्, तो पहली बार यह लगता है कि ऐसी नीतियों का निर्धारण इस राज्य के अन्दर किया जा रहा है, जिन नीतियों का सीधा सम्बन्ध इस क्षेत्र के सुदूर अंचलों में रहने वाले लोगों के जनजीवन से है।

मान्यवर, आदिकाल से कहा जाता रहा है कि किसी भी शासन की, किसी भी सरकार की, किसी भी राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज के अन्तिम व्यक्ति उपेक्षित, वंचित, अभावग्रस्त लोगों के बारे में योजना बनाना, उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना। जिसे कभी-कभी राजनीतिक भाषा में हम कल्याणकारी राज्य भी कहा करते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के मुताबिक श्रीमन्, जो सबसे पहला कदम इस सरकार ने उठाया, वह मैं समझता हूँ के शायद पूरे देश में अपने आप एक अभिनव प्रयास होगा।

यह पहला राज्य है श्रीमन्, जिस राज्य ने कहा कि इस प्रदेश के अन्दर चाहे वह विधवा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे वृद्ध हो, एक भी व्यक्ति ऐसा न रहने पाये जिसके पास यदि जीवनयापन का कोई जरिया न हो तो सरकारी सहायता उनको जीवनयापन में मदद न कर सके। (मेजों की थपथपाहट) और श्रीमन्, मैं आंकड़ों के आधार पर यह साबित कर सकता हूँ कि यह पहला राज्य है जहाँ पर यह बिल्कुल स्पष्ट आदेश जारी किया गया सरकार की तरफ से कि शत-प्रतिशत पेंशन के जितने आवेदन होंगे, उसको सेचुरेट किया जायेगा, उसमें धनराशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। उदाहरण के तौर पर श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि हममें से तमाम सारे जन प्रतिनिधि जब गांव-देहात में, मौहल्लों में, शहर में, कस्बों में जाते हैं तो हमारे सामने एक परिस्थिति उत्पन्न होती थी। हमारे सामने तमाम सारे लोग आ करके कहते थे कि हमारा विधवा का पेंशन फार्म है, हमारा विकलांग का पेंशन फार्म है, हमारा वृद्ध का पेंशन फार्म है। लेकिन, उसके सामने एक शर्त हुआ करती थी। कहा जाता था कि ये तमाम तरीके की जो पेंशन हैं, यह केवल उन्हीं लोगों को दी जा सकती हैं जिनका कोई 18 साल का बेटा नहीं है, अर्थात् जो निराश्रित हैं। यह

पहली संवेदनशील सरकार है जिसने यह निर्णय किया है कि बेटा 18 साल का हो जाने मात्र से किसी भी वृद्ध को, किसी भी विधवा को, किसी भी विकलांग को जीविकोपार्जन का साधन नहीं हो जाता। यदि निश्चित रूप से यह पाया जाता है कि कोई वृद्ध, कोई विधवा, कोई विकलांग अपने जीवन का गुजर–बसर नहीं कर पा रहा है, बच्चा है तो बेरोजगार है या माता–पिता को आवश्यक सहायता नहीं दे रहा है जीवनयापन के लिए, तो यह सरकार का दायित्व बनता है कि कल्याणकारी राज्य के बुनियादी सिद्धान्त के मुताबिक इस सरकार ने इस शर्त को हटा करके चाहे किसी का पुत्र हो या न हो, 18 वर्ष का पुत्र एक हो या दो हों या तीन हों, इन तमाम सारी शर्तों को हटा करके सभी प्रकार के लोगों को पेंशन के बेनीफिट से आच्छादित करने का काम किया है। मैंने अपनी बात की शुरूआत इस बात से इसलिए की।

मान्यवर, कि किसी भी राज्य के सामने किसी भी देश के सामने सबसे बड़ा बुनियादी सवाल यही है कि समाज के अन्दर जो अन्डर प्रीबिलेज हैं, जो उपेक्षित और वंचित हैं उनके कल्याण के लिए राज्य के द्वारा योजनाओं का निर्धारण सबसे पहले होना चाहिए। मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अन्त्योदय का सिद्धान्त था जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज के अन्तिम व्यक्ति के बारे में सबसे पहले सोचना किसी भी सरकार का मूल कर्तव्य है, उसी के अनुसार इस सरकार ने पहली बार एक कदम उठाते हुए यह काम किया कि यहाँ तक सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर में कचरा बीनने वाले, प्लास्टिक बीनने वाले वे तमाम सारे बच्चे जिनके माता–पिता के पास किसी भी प्रकार का कोई साधन अपने बच्चों को स्कूल भेजने का नहीं है वह कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चों के सामने, भिखारियों के बच्चों के सामने, लेबर के बच्चों के सामने और वे तमाम सारे जिन्हें हम अन्डर प्रीबिलेज कहते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वह समाज के एक डिप्राइड सेक्शन से आते हैं। उनके बारे में भी सरकार ने एक ठोस नीति का निर्धारण किया और उनके पठन–पाठन के लिए सरकारी मदद से एक योजना का निर्माण करने का काम किया। यह बात इसलिए मैं हाईलाइट करके कहना चाहता हूँ, जोर देकर के कहना चाहता हूँ कि यह सरकार की संवेदनशीलता का परिणाम है, नहीं तो केवल गरीबी हटाओ का नारा देकर के, गरीबों को हटाने का काम आज तक होता रहा है। उस ट्रेन्ड को पहली बार, उस ट्रेन्ड को किसी सरकार ने रिवर्स करने का काम किया तो वह काम उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर हुआ। इसके लिए निश्चित रूप से सरकार बधाई की पात्र है, सराहना की पात्र है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में दूसरी सबसे बड़ी बात हम लोग कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश के रहते हुए बड़ी–बड़ी विशाल योजनायें बनी, लेकिन उन योजनाओं का स्वरूप जब धरातल पर आता था तो यह कहा जाता था कि यह तो योजना बुन्देलखण्ड के लिए बन गई, वही टिहरी में लांगू हो गई, यह योजना तो फलां जगह

के लिए बनी, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से मैच नहीं करता था, तालमेल नहीं बैठता था। लिहाजा उन योजनाओं का लाभ उत्तराखण्ड के इन पर्वतीय अंचलों में, दूर–दराज के अंचलों में, विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले स्थानों को नहीं मिलता था। श्रीमन्, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात को अन्डरलाइन किया गया, महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में अपनी सरकार की इस उपलब्धि को विशेष रूप से उद्धृत किया कि उत्तराखण्ड राज्य की बुनियादी जरूरतें थी जल, जंगल और जमीन, इस पर आधारित उत्तराखण्ड राज्य की 70 फीसदी आबादी उत्तराखण्ड के जल जमीन और जंगल पर अपना जीवन बसर करती है और उसमें से भी 80 प्रतिशत महिलाओं का जल, जंगल और जमीन उनके रोजी–रोटी, उनके जीविका के उपार्जन का आधार बनता है। ऐसे राज्य में श्रीमन्, इस जल, जंगल और जमीन के इस विचार को इन्टीग्रेट करके उसे उनके जीवन स्तर को सुलभ बनाने का कोई काम हुआ, तो पहली बार इस सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया और उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर, सदन के अन्दर हम रोज चर्चा करते हैं और हम अधिकांश समय इस बात पर चिन्ता जाहिर करते हैं। इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य तमाम सारे दूर–दराज के अंचलों में, तमाम सारे पर्वतीय क्षेत्रों में, तमाम सारे मैदान के क्षेत्रों में पेयजल की गम्भीर समस्या आज वैसे तो पूरे देश के अन्दर, पूरे दुनियाँ के अन्दर है। लेकिन पेयजल की गम्भीर समस्या से यह प्रदेश जूझता रहता है। हम चर्चा किया करते थे कि केवल बातें किया करते थे, केवल हम वैज्ञानिक अध्ययन और शोध केन्द्रों का संदर्भ दिया करते थे, लेकिन पहली बार उस विचार को कार्य में परिणत करने का कार्य हमारी सरकार ने किया और जल संवर्द्धन मिशन का गठन इस राज्य में किया गया। मैं समझता हूँ यह उदाहरण पूरे देश के लिए हो सकता है और उस जल संवर्द्धन मिशन का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में लेकर के सुनिश्चित किया कि जहाँ पर जल स्रोत उपलब्ध हैं वह जल स्रोत डिप्लीट न हों, वह जल स्रोत सूखे नहीं, वह जल स्रोत बर्बाद न हो, इसलिए उसका जितना भी टचमेंट एरिया होगा उसको एक वैज्ञानिक नीति से, एप्रोच से ट्रीट किया जायेगा ताकि किसी भी तरह से उन जल स्रोतों को चिरस्थाई बनाया जा सके, वह कभी न सूखे। जल, जंगल और जमीन होगी तो निश्चित रूप से सभ्यता होगी और मानवता विकसित होगी, इस विचार को अमलीजामा पहनाने का काम सरकार ने किया। निश्चित रूप से इसके लिए भी सरकार प्रशंसा की पात्र है।

श्रीमन्, हम बार–बार कहा करते थे, मुझ जैसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश विधान सभा में नारा लगाया करता था, हमारे मित्र आज इस सदन के अन्दर माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका नारा हुआ करता था, जब वह उत्तर प्रदेश के अन्दर मंत्री हुआ करते थे। आदरणीय निशंक जी, हम लोग उत्तर प्रदेश की विधान सभा में कहते थे कि हम उत्तराखण्ड की पानी और जवानी का समावेश करके उत्तराखण्ड राज्य की इस नवसृजित राज्य की तकदीर को बदलने का काम करेंगे। हमारी आधारभूत संरचना

का अंग होगा। लेकिन वर्षों दर वर्षों राज्य बनने के बाद भी केवल उसके ऊपर कोरी बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पहली बार सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 2800 मेगावाट की जहाँ आज की तारीख में हमारे पास स्थापित विद्युत क्षमता है, वहीं पर 2500 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं के चिन्हीकरण का काम बहुत मजबूती के साथ हुआ है। वह कोई एडहॉक तरीके से नहीं हुआ। जहाँ पहले जो तदर्थवाद का प्रचलन हो गया था, यहाँ के काम–काज में कि आज कुछ कर लेते हैं फिर बाद में देखी जायेगी। किन्तु इस सरकार द्वारा तदर्थवाद के प्रचलन में प्रभावी तरीके से विराम लगाते हुए बाकायदा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैंट कमेटी का गठन किया गया है। एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैंट कम्पनी का गठन किया गया। उस कमेटी को यह दायित्व सौंपा गया है कि उत्तरांचल के अन्दर जितने भी जल संसाधन हैं उनका आइडैन्टीफिकेशन किया जाए और फिर तीनों स्तरों से चाहे वह पब्लिक सैक्टर की कम्पनीज हों, चाहे वह केन्द्र सरकार की कम्पनी हों या राज्य सरकार की कम्पनी हों या निजी क्षेत्र के परमोटर्स हों, सबको आकर्षित किया जाए इस बात के लिए और तमाम तरीके से एक प्रयास हो, एक कोआर्डिनेटेट एप्रोच हो और जो यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं की अपार सम्भावनाएं हैं। इसको विकसित करके उत्तराखण्ड राज्य को अपने बुनियादी अवधारणा के मुताबिक एक ऊर्जा प्रदेश बनने का काम किया जा सके।

जब हम इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात करते हैं। आज यदि प्रतिपक्ष के मित्र हमारे सामने बैठे होते तो मैं निश्चित रूप से उनसे एक प्रश्न अवश्य करता कि पिछले दिनों में जब चन्द दिनों तक, चूँकि बिजली की आँख मिचौली चलती रही तो, बहुत सारे लोगों ने दे ट्रेंड देयर गन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उन्होंने सरकार के विरुद्ध एक अभियान चलाने का काम किया। लेकिन मैं इस बात के लिए भी खण्डूड़ी जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान जो उत्तराखण्ड राज्य हमेशा पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के साथ बिजली की बैंकिंग का काम करता था। जिस दौरान हमारे पास बिजली की खपत कम होती थी उस दौरान हमारे पास जितनी भी सरप्लस विद्युत होती थी उसको हम पड़ोसी राज्यों को दिया करते थे और पीक सीजन में अर्थात् विशेष रूप से सर्दियों के दौरान जब हमारे यहाँ लोड बढ़ता था, उस दौरान हम उनसे बिजली ड्रा करते थे और इस प्रकार से अपनी कमी को पूरा करते थे। उस पद्धति का भी पिछली सरकार द्वारा जबरदस्त तरीके से दुरूपयोग किया गया। जिस दौरान जो मेन सीजन था जिस दौरान हमारे पास बिजली की खपत अधिक नहीं थी उस दौरान उस बिजली को बर्बाद करने का काम किया।

श्रीमन्, जैसा कि आप भिज्ञ हैं कि बिजली किसी बैंक में रख कर के जमा नहीं की जा सकती है। उसकी बैंकिंग केवल आदान प्रदान के आधार पर हो सकती

है। उसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप भिज्ञ होंगे कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने अन्तिम दो वर्षों में एक मेगावाट विद्युत के लिए बैंकिंग किसी पड़ोसी राज्यों के साथ नहीं की और जब सर्दियां आई तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था कि उसमें पावर कट करें, उसमें लोड शेडिंग करें लेकिन बहुत प्रभावी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए उस स्थिति से प्रदेश को उबारने का काम किया और एक वॉर फुटिंग पर इस प्रदेश के अन्दर वर्षों से लगभग 20 वर्षों से जो मनेरी माली परियोजना लम्बित पड़ी हुई थी, द्वितीय चरण की, उस परियोजना को एक वॉर फुटिंग पर, एक युद्ध स्तर से उसे पूर्ण करने का काम किया है। केवल शब्दों में ही पूर्ण नहीं किया बल्कि आज उस परियोजना से विद्युत का उत्पादन हो रहा है। (भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) और आज फिर से राज्य ने वह गौरव हासिल किया कि हमें एक सेकेण्ड के लिए भी अब कहीं पावर कट देने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तराखण्ड राज्य के सुदूर क्षेत्रों से पलायन रुके यह हमेशा इस राज्य के सामने यक्ष प्रश्न रहा है और उत्तराखण्ड राज्य की नीति निर्धारण करने वाले लोगों के सामने हमेशा यदि सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो यही है कि उत्तराखण्ड के सुदूर पर्वतीय अंचलों से, ग्रामीण अंचलों से शहरों की तरफ जो भगदड़ हो रही है उसे कैसे रोका जा सके। बहुत सारे लोगों ने सदन के अन्दर इस पर चर्चाएं की। हमेशा उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखण्ड की विधान सभा में इसके ऊपर बहुत सी बड़ी–बड़ी बातें हुई लेकिन किसी ने भी दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाने का काम नहीं किया, केवल लिप्स सिमपैथी, केवल जुबान से मात्र सहानुभूति के अलावा कोई काम नहीं हुआ। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तराखण्ड की सरकार को कि, इस सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। जिससे बाकायदा मंत्री परिषद् के अन्दर इस बात का निर्णय किया गया कि औद्योगिकीकरण मैदानी क्षेत्रों का होना चाहिए, अच्छी बात है लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों का भी औद्योगिकीकरण हो और पर्वतीय क्षेत्रों में पूंजी निवेश हो सके, उद्योगपतियों को आकर्षित कर सके। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों का......................

मान्यवर, इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल परमोशन पैकेज घोषित करने का काम किया जिसके तहत आज तमाम सारे उद्योगपतियों को एक आकर्षण पैदा हुआ। उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में भी, उन तमाम क्षेत्र में उद्योग लगाया जा सकता है जहाँ राज्य के नौजवानों के खाली हाथों को रोजी–रोटी मिल सके और बेरोजगारी का अभिशाप उनके मत्थे पर है और उनको दर–दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, महानगर की खाक छाननी पड़ती है। यहाँ तक कि बहुत अपमानित होकर कहा करते हैं कि महानगर के गली कूचों में जाकर लोगों के बर्तनों को मांजना

पड़ता है। एक शर्मनाक स्थिति देखने को मिलती है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं कहूँगा कि रिवर्स फ्लो ऑफ पॉपुलेशन, और मैं ये कहूँगा कि जो आबादी की नीचे की तरफ भगदड़ हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की ओर जो हो रही है। निश्चित रूप से इस कदम से आबादी का जो रिवर्स फ्लो ऑफ पॉपुलेशन होगा वह प्रारम्भ होगा। लोग आकर्षण में निश्चित रूप से शहर की ओर से गांव की ओर आयेंगे। इस शानदार पहल के लिए सरकार बधाई की पात्र है।

श्रीमन्, कई बार जब हम छोटी-छोटी बातों की ओर जायें, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, सरकार ने हर विकलांग को पेंशन देने का वायदा नहीं किया, बल्कि नीतिगत निर्णय लिया और धनराशि देकर सुनिश्चित कराया, विधवा को पेंशन देना सुनिश्चित कराया और वृद्धजनों को पेंशन देने का निर्णय लिया, बेटा होने न होने की शर्त को हटाने का काम किया। इसकी बात करते हैं तो कहीं न कहीं समाज के अन्दर जो निराश्रित लोग हैं और जो अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं अपनी जीविका का उपार्जन नहीं कर सकते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा का कौन सा कवच, सामाजिक सुरक्षा के कौन से चक्र में ले जाने का काम करें।

आज यदि दुनिया के तमाम विकसित देशों की भी हम चर्चा करें, तो इंग्लैंड जैसा देश, अमेरिका जैसा देश अपने जी0डी0पी0 का 29 प्रतिशत सोशियल सिक्यूरटी के रूप में खर्च कर रहे हैं, दुनिया का शानदार और स्वच्छ देश न्यूजीलैंड आज अपने जी0डी0पी0 का 50 प्रतिशत सोशियल सिक्यूरटी के ऊपर खर्च करता है। तो आज एक शानदार एक सामाजिक सुरक्षा का वातावरण बने, प्रत्येक व्यक्ति जिनके पास संसाधन नहीं हैं जिन्हें हमने कहा कि जो लोग उपेक्षित हैं, वंचित हैं और अभावग्रस्त हैं उनकी परवाह करना सरकार का दायित्व है। इसलिए तमाम इन सारी योजना का काम सरकार ने किया। बहुत सारे लोगों से भी चर्चा होती है और विपक्ष के लोगों से भी चर्चा होती है। कहते हैं पहले सरकार में ऐसा काम हुआ था, उनका पूंजी निवेश हुआ। श्रीमन्, हम कहना चाहते हैं कि एक तो तत्कालीन एन0डी0ए0 की सरकार के प्रधानमंत्री और देश के सिरमौर श्री अटल बिहारी बाजपेयी की हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस छोटी सोच को दर-किनार करके और इस छोटी सोच को तवज्जू दिये बिना, कि उत्तराखण्ड राज्य में कौन सी दल की सरकार है और केवल अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण और अपने कद-काठी और अपने स्वाभाविक चिन्तन के खातिर और उत्तराखण्ड के पिछड़ेपन को देखते हुए, उन्होंने राज्य के लिए एक औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। औद्योगिक पैकेज के नाम पर प्रोत्साहन देकर और बड़े तादात में इंवेस्टमेंट करके पूंजी निवेश किया और उद्योग धन्धे आये, तमाम सारी औद्योगिक इकाईयां यहां स्थापित हुई, चाहे वे ऊधमसिंह

नगर क्षेत्र हो, हरिद्वार हो, सिडकुल क्षेत्र हो या देहरादून का लाल तप्पड़ हो या सेलाकुई का क्षेत्र हो, लंगा का क्षेत्र हो, तमाम सारे क्षेत्रों में स्थानीय जनता द्वारा आन्दोलन किया जाता रहा है कि उद्योग हमारे क्षेत्र में लगाये जायें। लेकिन इन उद्योग क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम नहीं हुआ।

मान्यवर, औद्योगिकीकरण का जो वातावरण था उसमें और ज्यादा ताकत मिली है लेकिन साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए बहुत साफ शब्दों में ऐलान किया कि जिन उद्योग धन्धों को उत्तरांचल के अन्दर रह करके सुख–सुविधाएँ चाहिए, जिनको पॉवर टैरिफ का बेनीफिट चाहिए, जिनको टैक्स हॉलीडे का बेनीफिट चाहिए उनको निश्चित रूप में उस बुनियादी सिद्धान्त का भी पालन करना पड़ेगा कि उद्योग धन्धों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले। क्या होता था श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में तमाम सारे उद्योग हैं। सहसपुर, विकासनगर, चकराता सब मेरे विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा रहा। मैं एक ऐसे क्षेत्र से वाकिफ हूँ। श्रीमन्, क्या हो रहा था कि तमाम सारा बना बनाया सामान बाहर से आता था, उनकी यहाँ पर पैकिंग होती थी। केवल डिब्बाबंदी होती थी। उसके ऊपर केवल मोहर लगती थी, वह केवल टैक्स का बेनीफिट उठाने के लिए और सामान बाहर चला जाता था। मान्यवर, ऐसे में तो रोजगार देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मान्यवर, मेजर जनरल खण्डूड़ी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत मजबूती के साथ इस बात का ऐलान किया कि जिन उद्योगों को यहाँ पर इन तमाम सारे पैकेज का फायदा उठाना है, उनको यहाँ पर उत्पादन प्रारम्भ करना पड़ेगा और जब उत्पादन प्रारम्भ करेंगे तो उत्पादन प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। प्रारम्भ में कुछ विरोध हुआ लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति के सामने उन तमाम सारे उद्योगों ने स्वीकार किया और आज स्थिति यह है कि तमाम सारे उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार बड़े पैमाने पर मिलने का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। इतना ही नहीं आपने जो एक टिप्पणी की, कि उत्तराखण्ड में मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। केवल पैकिंग का काम नहीं चलेगा। मान्यवर, हम पैकेजिंग इण्डस्ट्री का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम पैकिंग का विरोध कर रहे हैं। कार्ड बोर्ड बनाने वाली इण्डस्ट्री पैकेजिंग इण्डस्ट्री हो सकती है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे लेकिन जो बाहर से सामान बनाकर लाते हैं केवल यहाँ डिब्बा लगाते हैं, मोहर लगाते हैं और एक्साइज एक्जम्शन का लाभ लेते हैं, ऐसे लोगों का विरोध होगा। जब आपने मजबूती से इस बात को कहा, तो यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी मजबूर हो करके भारत सरकार के सेन्ट्रल एक्साइज डिपार्टमेन्ट ने उन इण्डस्ट्रियों का आइडेन्टीफिकेशन किया, उनका चिह्नीकरण किया और जहाँ–जहाँ

पर उत्पादन नहीं हो रहा था केवल पैकिंग हो रही थी उन उद्योगों को एक्जम्शन लिस्ट से बाहर करने का काम किया। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और आपकी भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ।

मान्यवर, जैसा कि हमने कहा कि विशेष औद्योगिकीकृत नीति, 2008 के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने का काम किया गया। ठीक उसी प्रकार से श्रीमन्, आज उत्तराखण्ड को इस बात का गौरव हासिल है कि मैसूर को छोड़ करके, कर्नाटक प्रदेश को छोड़ करके, उसमें भी नहीं मैं तो यह कहूँगा कि दुनिया में चीन को छोड़ करके शायद उत्तराखण्ड, जो कि बहुत छोटा सा भौगोलिक क्षेत्रफल है, सिल्क उत्पादन के क्षेत्र में इस प्रदेश का अपना एक स्थान है। श्रीमन, आपकी सरकार ने एक छोटी सी अवधि में सिल्क उत्पादन को ताकत देने के लिए एवं सिल्क उत्पादन का अभियान तेजी पकड़ सके, इसके लिए प्रयास किए। आपने प्रेमनगर में एक सिल्क पार्क का निर्माण कराने का फैसला किया। जिसमें तमाम तरीके से जितने भी हमारे सिल्क उत्पादक हैं, उनको तमाम सारी नई–नई टेक्निक जो सिल्क के उत्पादन में है, उसकी जानकारी मिल सके। ताकि सिल्क उत्पादन में चीन की तरफ से जो चुनौती मिल रही है, उसका भी हम लोग मजबूती के साथ मुकाबला कर सकें और साथ ही साथ जो क्वालिटी रेशम की है। कहने को तो यह कहा जाता है कि उत्तराखण्ड का रेशम चीन के रेशम से भी बेहतर है, ऐसा लोग कहते हैं। श्रीमन्, आदिमकाल से इस देश की मान्यता रही कि गो–धन इस देश के जन–जीवन का अभिन्न अंग रहा। श्रीमन्, हमेशा केवल कहा करते थे, हम पूर्व प्रदेशों में भी रहे, केवल कभी–कभी कोई विधि बन गई, कोई कानून पारित हो गया तो यहीं तक यह अभियान सीमित रह जाता रहा। उससे आगे बढ़ने का कहीं कोई काम नहीं हुआ।

मान्यवर, इस बात को मैं जोर देकर इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर सरकारी क्षेत्र का पशु प्रजनन क्षेत्र था, डेरी फार्म था वहाँ लोग कहते थे कि यह सफेद हाथी है।इसके लिए मैं कृषि मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि गो धन के औषधीय गुणों का, जैसे गोमूत्र के औषधीय गुणों का, गोबर के औषधीय गुणों के लिए, उन सब को अंधविश्वास में नहीं बल्कि पुष्ट वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन कराने का काम किया गया है और इस प्रकार से उत्तराखण्ड राज्य देश और दुनिया में पहली जगह बन गई है, जहाँ पर गोमूत्र के ऊपर शोध कार्य हो रहा है और दुनिया भर में ख्याति प्राप्त हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ है, उसने उत्तराखण्ड के पशुपालन विभाग के साथ एम0ओ0यू0 साईन किया कि इस प्रदेश के अन्दर जितना गोमूत्र होगा, उसका कलेक्शन होगा और 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से रॉ गोमूत्र को कलेक्ट करने का काम करेंगे तो यह एक बहुत अच्छा काम हुआ है। मान्यवर, मैं कह रहा था कि पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में लागे कह रहे थे कि आज गोमूत्र के कलेक्शन का काम है, यह हमें दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से ज्यादा लाभकारी है।

आज उत्तराखण्ड के अन्दर बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर तमाम कोशिशों के बाद सड़क नहीं पहुँचा सकते हैं क्योंकि फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के तहत जो प्राविधान है, उसके तहत भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। कानून से बंधे हैं और कानून का पालन करने वाले लोग हैं, उत्तराखण्ड में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ रोड की कनेक्टीविटी नहीं हो सकती है, आज जो वहाँ फल-सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, उनको रोड हेड तक पहुँचाने का काम कैसे किया जाए, क्या आज भी लोग पीठ में ढोकर फल-सब्जियों को रोड हेड तक पहुँचाने का काम करेंगे? तो सरकार ने पहली बार क्रान्तिकारी कदम उठाकर कहा कि ग्रैविटी बेस्ट मैटिरियल हैंडिलिंग रोपवे का निर्माण उत्तराखण्ड के तमाम ऐसे क्षेत्र में किया जायेगा। हमारे पास कुदरत की देन है, जो गुरूत्व शक्ति है, उसका सदुपयोग करके एक मेगावाट बिजली का इस्तेमाल किए बिना इन तमाम दुर्गम क्षेत्र में रोड हेड तक पहुँचाने का काम करेंगे। आज प्रतिपक्ष के मित्र बैठे होते तो मैं पूछता कि किसने रोका था 40-50 सालों तक, पिछले 5 सालों तक उनको काम करना चाहिए था और 2-4 सड़क ठीक कर दी और उसके नाम पर वाहवाही लूट ली, विकास के नाम पर कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। इस प्रदेश की जनता केवल 4 सड़कों से होकर नहीं गुजरती है, इस प्रदेश की जनता दूर दराज में निवास करती है, इसलिए उनके लिए तमाम काम प्रारम्भ किया गया, निश्चित रूप से यह अभिनव प्रयास है और इसके शानदार परिणाम बहुत जल्द प्रदेश के सामने होंगे।

मान्यवर, हम तमाम माननीय विधायक चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, तमाम जगह जाते थे और वहाँ लोग कहते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। हम लोग चारों तरफ जाते थे, लोग कहते थे कि हमारे पास आवास नहीं है, हमारे आवास बनने चाहिए, हम हाथ हिलाकर किनारे हो जाते थे और कह देते थे कि इन्दिरा आवास आयेगा, निर्बल आवास आयेगा तब ब्लॉक में 4 निर्बल आवास आएंगे तो 500 आवास विहीन लोगों का भला होगा। इस सरकार का पहली बार क्रान्तिकारी कदम होगा, चिन्तन की एक एडविजनरी सोच को देकर सरकार ने काम किया।

पहली बार एक विजनरी सोच को देकर इस सरकार ने यह काम किया है कि इस प्रदेश के अन्दर अन्त्योदय का नारा देने वाले पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर या उनके सम्मान स्वरूप इस प्रदेश के अन्दर "पण्डित दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना" का सूत्रपात किया। आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज इस प्रदेश के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्डों में यह स्थिति है कि 200 आवास विकास खण्डों में गये हैं कि 200 लाभार्थी लाओ, लाभार्थी 150 ही मिल रहे हैं। लाभार्थी ढूंढने पड़ रहे हैं और यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने

इसमें भी एक कदम आगे जाकर कहा कि कई बार तमाम प्रशासनिक चूकों की वजह से, तमाम मानवीय भूलों की वजह से गरीब लोग बी0पी0एल0 के सर्वेक्षण में छूट जाते हैं और सर्वेक्षण में नहीं आ पाते थे तो लिहाजा ऐसे लोगों को इन्दिरा आवास या निर्बल आवास, आवासीय सुविधा से वंचित रहना पड़ता था, उनको इसका लाभ नहीं मिलता था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए और एक प्रोएक्टिव पॉलिसी का पालन करते हुए उन्होंने कहा "नहीं बी0पी0एल0 कोई सेंक्रो सेंट नहीं है अर्थात् बी0पी0एल0 कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। हम किसी भी वक्त आवास विहीन व्यक्ति का सत्यापन कर सकते हैं, हम उसकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका इनकम सार्टिफकेट ले सकते हैं।"

मान्यवर, जब ऐसा होगा तो कोई व्यक्ति निम्न इनकम का मिलेगा और आवास विहीन मिलेंगे तो 'पण्डित दीन दयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत' चाहे बी0पी0एल0 श्रेणी के रजिस्टर में उसका नाम अंकित नहीं है, तो भी ऐसे तमाम लोगों को पण्डित दीन दयाल उपाध्याय आवासीय योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का कार्य किया जायेगा। यह निर्णय सरकार ने लिया है। यह निर्णय ही नहीं लिया, बल्कि इसे क्रियान्वित भी किया। आज लगभग 1200 आवास पहले ही 'पण्डित दीन दयाल उपाध्याय योजना' के तहत बांटे जा चुके हैं, इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, मुझे एक टाईटिल बहुत अधिक प्रभावित करता है और वह है अरूंधती राय जी के एक उपन्यास का, जिसका नाम है "गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स"। हालांकि मैंने यह उपन्यास पढ़ा नहीं है केवल मैं इस उपन्यास के टाईटिल से आकर्षित हुआ हूँ। मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड जैसे राज्य को बड़ी-बड़ी बातों के सहारे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस राज्य को आगे बढ़ाने की कसौटी है यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाईफ है। यहाँ की जो छोटी-छोटी बुनियादी जरूरतें हैं। यदि इन जरूरतों को हम एड्रस कर सकें तो निश्चित रूप से उत्तराखण्ड के लोगों में वह काबिलियत है कि इन्होंने दुनियां के अन्दर अपनी पहचान बनाने का काम किया है।

मान्यवर, ये छोटी-छोटी जरूरतें कौन सी हैं, ये जरूरतें हैं स्थानीय स्तर पर, जैसा मैंने कहा कि आज भी 80 प्रतिशत महिलाएं तमाम तरह की कठिनाईयों से जूझ रही हैं। इन महिलाओं को चारे के लिए बहुत दूर-दूर तक जाना पड़ता है। पशुपालन हमारा परम्परागत व्यवसाय है। आज भी महिलाओं को मीलों दूर तक चारे के लिए जाना पड़ता है। इस वजह से गरीब घर की बालिका शिक्षा से वंचित रह जाती है। मान्यवर, पशु चलाने के नाम पर पशुओं का झुण्ड बनाकर गरीब परिवार के बच्चे जंगल चले जाते हैं, इस कारण से भी ये छोटे-छोटे बच्चे अपने बुनियादी अधिकार, "शिक्षा के अधिकार" से वंचित रह जाते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि

इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण समस्या, जिससे उत्तराखण्ड राज्य की तकदीर बदलने वाली है। इस हेतु हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया कि तमाम सारे पशुपालकों के लिए विभिन्न विकास खण्डों में हम चारा बैंक बनाने का काम करेंगे और इस बैंक में बहुत बड़े आकृति वाला चारा इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि आधुनिक तकनीकी के आधार पर फोडर ब्लोक्स बनाकर वितरित करने का कार्य करेंगे।

मान्यवर, पांच–पांच, छः–छः किलोग्राम का फोडर ब्लोक्स बनाकर हम चारा वितरित करेंगे। पांच किलोग्राम फोडर ब्लोक्स से एक गाय का दिन भर का चारा हो जाता है। हमारी सरकार ने इस तरह से क्रान्तिकारी काम करने का कार्य किया है। निश्चित रूप से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन इससे आने जा रहा है। मान्यवर, लिंग भेद के सम्बन्ध में आज पूरी दुनियां के अन्दर एक चर्चा है, चाहे वह विकसित देश हो या अविकसित देश। वास्तव में जो ज्यादा विकसित देश हैं, उसमें ज्यादा समस्या है। मान्यवर, हमारे देश के जिन प्रदेशों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी है, वे इस समस्या से ज्यादा जूझ रहे हैं। लिंग भेद पूरे देश के अन्दर हुआ है, जिसके कारण आज जो इनका लिंग अनुपात है, वह निरन्तर गड़बड़ा रहा है। मान्यवर, इसका मुख्य कारण जो सामाजिक इण्डिकेटर थे, जब इसको देखा गया तो यह पाया गया कि बालिकाओं को परिवार के अन्दर एक बोझ माना जाता है।

मान्यवर, कौन इन्हें पढ़ाएगा, कौन इनकी शादी कराएगा, कौन इनको आगे बढ़ाएगा, यह तो माता–पिता के लिए अभिशाप हैं, आफत आ गयी है। जनरल खण्डूड़ी की संवेदनशील सरकार ने निर्णय लिया, गौरा देवी कन्या धन योजना को प्रारम्भ किया, तेजस्वी योजना को प्रारम्भ किया। यह सुनिश्चित किया कि हर बच्ची, जो दर्जा आठ पास करके दर्जा नौ में जाएगी, उसको तेजस्वी योजना का लाभ मिलेगा। प्रत्येक बच्ची जो दर्जा बारह पास करेगी, उसको गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ मिलेगा और उसमें भी एक सेफ्टी वॉल्व लगाने का काम किया, उसमें भी यह सुनिश्चित किया कि यह नहीं कि शराब पीने वाला बाप या गैर जिम्मेदाराना पेरेन्ट्स चाहे तो उस बच्ची को मिलने वाली आर्थिक सहायता को खुर्द–बुर्द करने का काम कर सकें। उसके ऊपर शर्त लगाई गई कि वह 25 हजार की धनराशि, उस कन्या के खाते में जमा होगी और जब वह कन्या मैरिजेबिल एज एटेम्प करेगी, जब वह कन्या बालिग होगी, तब वह कन्या अपने दस्तखत से, अपनी कलम से उस पैसे का आहरण करेगी, ड्रा करेगी और उस पैसे का सदुपयोग अपने भविष्य के निर्माण के लिए करेगी, अपनी शिक्षा–दीक्षा में करेगी, अपने विवाह का प्रबन्ध करने में करेगी ताकि उसको किसी के आगे अपना हाथ न बढ़ाना पड़े।

इस प्रकार से आज पंजाब जैसे राज्य के अन्दर एक हजार बालकों के मुकाबले केवल 780–782 बालिकाएं पैदा होती हैं। उत्तरांचल राज्य का वैसे भी ट्रैक रिकार्ड इस बारे में अच्छा है लेकिन उत्तराखण्ड राज्य ने यह जो अभिनव प्रयास किया बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, इसे मैं बालिका शिक्षा से आगे बढ़ाकर महिला इम्पावरमेंट की ओर भी ले जाना चाहूँगा। जिस प्रकार से हम यहाँ पर बार–बार कहते हैं कि उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का आधार यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, यहाँ की महिलाएं हैं। लेकिन उनके इम्पावरमेंट की जरूरत है। उनकी उस ताकत को संगठित करने की जरूरत है, उनको सबल बनाने की जरूरत है। इन तमाम सारी योजनाओं से उनको आगे बढ़ाने का, उनको ताकत देने का काम किया गया। उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण काम श्रीमन्, आपने किया। जो आज राज्य की सरकार है, जो जनरल खण्डूड़ी की सरकार है, उसने एक महत्वपूर्ण काम किया कि राज्य ग्रामीण स्वरोजगार मिशन का गठन किया। राज्य ग्रामीण स्वरोजगार मिशन के तहत 2222 समूहों का गठन किया गया और इन 2222 समूहों के माध्यम से 9920 व्यक्तियों को अभी तक स्वरोजगार केवल इन एस0एच0जी0 के माध्यम से, इन समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया और इस प्रकार से उनको सेल्फ रिलायंट, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया। इससे ज्यादा बेहतर कोई प्रयास महिलाओं के सशक्तिकरण का कुछ नहीं हो सकता, जिसका प्रबन्ध वे स्वयं करती हैं, जिसके बैंक के खाते को खुद वे ऑपरेट करती हैं, जिसकी अध्यक्ष वे खुद होती हैं, जिस समिति की सचिव वे खुद होती हैं, जिसमें ऋण का आदान–प्रदान वे स्वयं करती हैं और जिसमें कारोबार करने का सभी प्रकार का निर्णय वे स्वयं लेती हैं।

इसी प्रकार श्रीमन्, सार्वभौम रोजगार अन्तर्गत भी आपने 15876 स्वरोजगारियों को रोजगार देने का काम किया। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, 15876 स्वरोजगारियों को विभिन्न योजनाओं से जोड़कर रोजगार देने का काम किया गया। इसके लिए भी निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। श्रीमन्, मैंने स्वयं इस विधान सभा के अन्दर अनेकों बार चर्चा की, कई बार प्रश्नों के माध्यम से भिन्न–भिन्न सरकारों में कि आज हम करोड़ों रुपये की लागत से किसी गाँव के लिए, किसी शहर के लिए पेयजल योजना का निर्माण करते हैं, सिंचाई योजना का निर्माण करते हैं। लेकिन हम देखते हैं, कालान्तर में पाँच साल के बाद, सात साल के बाद, कई बार तो तीन साल के बाद भी, जो पानी का स्रोत है, वह सूख जाता है, बर्बाद हो जाता है। हम लोगों ने बिल्कुल अफरा–तफरी की तरह से सरकारी धन को बर्बाद करने का काम किया और उसको छोड़कर किसी दूसरी स्रोत की खोज में चले जाते हैं। दो करोड़ में पहले बनाई, चार करोड़ में दुबारा बना दी। वही ढाक के तीन पात। हम कहीं पहुँचते नहीं थे। इस सरकार ने सुनिश्चित किया, जनरल खण्डूड़ी की सरकार का संकल्प था कि प्रदेश का एक–एक लाल पैसा यहाँ के लोगों की सुविधाओं के लिए, उनकी तरक्की

के लिए, उनके उन्नयन के लिए हो, उसका दुरूपयोग न हो और साथ ही साथ जो हमारे साइंटिफिक संसाधन हैं, उनका विदोहन न हो। उनको साइंटिफिक तरीके से हार्नेस करने का काम हम करें, उस दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रीमन्, आपकी सरकार ने निर्णय किया कि जहाँ भी कहीं जल स्रोत हैं, उसके सर्टेन कैचमेंट एरिया को कंजर्व करने का काम किया और उसको संरक्षित घोषित किया जाएगा, उसके अन्दर तमाम तरीके की गतिविधियां की जाएंगी। चाहे वनस्पति का रोपण हो, ताकि जिससे जो वहाँ की सॉइल में वाटर रिटन्सन कैपेसिटी बढ़ सके, वर्षा जल भूमि में जा सके और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। जो जल स्रोत हैं, वह सूखें नहीं बल्कि हमेशा उसकी जीवन्तता बनी रहे, यह कार्य परिणत करने का काम आपने किया। आज हमारे प्रदेश के जो सिंचाई मंत्री जी हैं, उनका जो विभाग है, जल संस्थान और जल निगम, आज बड़े पैमाने पर इसी एप्रोच के आधार पर उन्होंने तमाम जल स्रोतों को ट्रीट करने का काम किया, निश्चित रूप से इसके शानदार परिणाम आने वाले दिनों में प्रदेश को मिलेंगे।

श्रीमन्, इस प्रदेश के अन्दर कुछ बड़ी महत्वाकाँक्षी योजनायें हैं, टिहरी डैम के बाद एक बड़ी योजना, जिसका नाम है किसो बाँध परियोजना, एक दूसरी परियोजना, जिसका नाम है, लखवाड़ व्यासी परियोजना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखवाड़ व्यासी परियोजना में व्यक्तिगत रुचि लेकर इस परियोजना में बहुत तेजी से काम करने का प्रयास किया है और इसका एम0ओ0यू0 भी किया जा चुका है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि लखवाड़ व्यासी योजना में शीघ्र ही काम प्रारम्भ हो जायेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड की सीमा पर टौंस नदी पर जो किसो बाँध है, जो बहुत बड़ा स्टोरेज बाँध है और जैसा मैंने कहा कि वह टिहरी बाँध के बाद दूसरी विशाल परियोजना होगी। इसमें भी बहुत तेजी से काम हो इसके लिए टी0एच0डी0सी0, जल विद्युत निगम, सिंचाई विभाग और अन्य विभागों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की गई, जैसा कि हमने समाचार पत्रों में पढ़ा। इस परियोजना में भी जल्दी काम शुरू हो जायेगा और ऊर्जा प्रदेश बनने का हमारा सपना साकार होगा।

श्रीमन्, उत्तराखण्ड के बारे में हमेशा कहा गया कि यह राज्य सौन्दर्य से परिपूर्ण है, हमेशा कहा जाता रहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जायेगा, लेकिन जुमले आते रहे, नारे आते रहे और कोई काम नहीं हुआ। मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार ने पहली बार प्रदेश के अन्दर उन पर्यटक स्थलों को चिन्हित करने का काम किया है, जो महत्वपूर्ण पर्यटक डेस्टिनेशन हो सकते हैं। प्रदेश के अन्दर तमाम सारी चीजों को चिन्हित करके उनको हैलीटैक्सी सर्विस से जोड़ने के लिए हैलीकॉप्टरों की सुविधायें उन जगहों

पर दी जा रही है। ताकि ऐसे पर्यटक जिनके पास समय की कमी है, उन पर्यटकों को भी वहाँ पहुंचाने का काम कर सकें। एक नेटवर्क, हैलीपैड का एक जाल पूरे प्रदेश में बिछाने का कार्य यह सरकार करने जा रही है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। श्रीमन्, एक छोटी सी बात की ओर इशारा करना चाहता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले अपने भाषण में कहा कि हम कई बार सुनते हैं कि उत्तराखण्ड का कोई नौजवान रोजी–रोटी की तलाश में महानगरों के गली–कूचे और सड़कों पर उतरता है और किसी ढाबे पर जाकर बर्तन मांजने के लिए मजबूर हो जाता है। निश्चित रूप से उस समय उत्तराखण्ड अपने आप को कलंकित महसूस करता है, इस अभिशाप से उत्तराखण्ड को छुटकारा दिलाने के लिए, मैंने फिर कहा कि सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन संवेदनशीलता का परिचय देते हुये, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को दृष्टिगत रखते हुये, माननीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुय, सरकार ने फिर से क्रान्तिकारी कदम उठाया है। सरकार ने उत्तराखण्ड के अन्दर जितने भी ढाबाकर्मी हैं, होटलकर्मी हैं, पोटर्स हैं, कुली हैं, इनसे छोटा समाज में कौन हो सकता है? हमारे प्रतिपक्ष के मित्र यदि बैठे होते तो मैं उनसे पूछता कि ढाबाकर्मी, होटलकर्मी, पोटर्स और कुली हैं, इनसे छोटा व्यक्ति, इनसे निर्धन व्यक्ति समाज में और कौन हो सकता है? लेकिन सरकार ने इन लोगों के लिए भी एक योजना का निर्धारण किया है और पर्यटन मंत्रालय ने इन तमाम वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है, इनको प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वह एक टूरिस्ट गाइड का काम कर सकें। उन्हें तमाम तरह के गन्दे–फन्दे मैन्युअल काम से निजात दिला सके और जहाँ भी वह काम करें, वहाँ पर एक प्रेजेन्टेबल मैनर के साथ काम कर सकें और उनके ऊपर से फिजीकल काम का दबाव कम हो सके, साथ ही जो उनके माथे पर कलंक है कि ढाबे पर काम करना पड़ता है, उससे भी उनको निजात मिल सके। इस प्रकार से एक शानदार प्रयास किये जाने का कार्य हमारी सरकार द्वारा किया गया है।

मान्यवर, कई बार हम लोग कहते थे कि गलत हो गया। होता यह था कि जिस योजना को हम डोईवाला के लिए बनाते थे, उसी योजना को हम चकराता में भी लागू करने की कोशिश करते थे। कभी हमने कोई नियोजन का स्वरूप विकसित नहीं किया। पहली बार सरकार ने एरिया स्पेस्फिक नियोज़न को तवज्जो देते हुए एक कार्यक्रम को विकसित करने का काम किया हैं और एक एरिया स्पेस्फिक नियोजन कैसे होगा, उसके लिए एक फील्ड मैन्युअल बनाने का काम किया। कहाँ पर जल स्रोत की कमी है, कहाँ पर उसके ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक बाकायदा रिपोर्ट हो, हमारे पास एक फील्ड मैन्युअल हो, जहाँ से हम मैपिंग कर सकें, जहाँ से हम पता लगा सकें कि फलानी जगह पर व्यवहारिक स्थिति क्या है, भौगालिक स्थिति क्या

है, वहाँ की टोपोग्राफी क्या है? इन तमाम सारी चीजों का पता लगा करके जिस योजना का निर्धारण करें, वह ऐरिया स्पेस्फिक हो। सरकार ने फिर से एक क्रान्तिकारी कदम उठाते हुए ऊर्जा नीति का निर्धारण किया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार उत्तराखण्ड के जो प्राकृतिक संसाधन थे, मैं कहूँगा कि इसमें एक प्रकार से डकैती डालने का काम किया गया। कौड़ियों के भाव जिस प्रकार से उत्तराखण्ड के जो प्रीमियर सोर्सेज थे, जो संसाधन थे, चाहे जल संसाधन हों, उसको मैं कहूँगा कि रेवड़ियों के तरीके से उन्हें बांटने का काम किया गया। उस पर भी प्रभावी तरीके से आपने रोक लगाने का काम किया और बाकायदा प्रदेश सरकार ने एक नीति का निर्धारण किया जिसे एनर्जीपॉलिसी नाम दिया गया और जिसके अन्दर यह कहा गया कि उत्तराखण्ड के अन्दर 5 मेगावाट तक की जितनी जल विद्युत परियोजनाएं होंगी, वे उत्तराखण्ड के स्थानीय लोगों को ही आवंटित होंगी, उसका निर्माण स्थानीय लोगों के माध्यम से होगा ताकि एक तरफ तो लोकल इंटरपिनरशिप होगी और साथ ही साथ वहाँ के स्थानीय लोगों को प्राकृतिक साध नों का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।

इतना ही नहीं आज हमारे यहाँ पर आई0आई0टी0 रुड़की है। आई0आई0टी0 रुड़की के माध्यम से श्रीमन्, आपकी सरकार ने कार्यक्रम ड्रा किया, एक प्रोग्राम ड्रा किया जिसके तहत आई0आई0टी0 रुड़की को यह कहा गया कि उत्तरांचल के अन्दर जितने पॉलिटेक्निक्स हैं, राजनीतिक कारणों से, ताली पिटवाने के लिए, वाह–वाह लूटने के लिए पिछली सरकार के समय में बहुत सारी घोषणाएं होती रहीं कि फलानी जगह पॉलीटेक्निक्स खोले जाएंगे, लेकिन उन पॉलीटेक्निक्स का यहाँ के लोगों की रोजी–रोटी में, यहाँ के स्वरोजगार में क्या असर होगा, यह कभी देखने और समझने की कोशिश नहीं की, अपितु संसाधनों को बर्बाद करने का काम किया गया। आपकी सरकार ने श्रीमन्, एक क्रान्तिकारी निर्णय लिया, आई0आई0टी0 रुड़की के साथ इंटरफेसिंग करके आई0आई0टी0 रुड़की को यह दायित्व सौंपा गया कि उत्तराखण्ड के जितने भी पॉलीटेक्निक्स हैं, वहाँ पर विशेष प्रकार के कोर्सेज ड्रा किये जाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम ड्रा किये जाएं, जिससे यहाँ की जो जल विद्युत परियोजनाओं की रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ की जल विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकताएं हैं उसके मुताबिक हमारे पॉलीटेक्निक्स में मैन पावर को ट्रेंड किया जा सके, स्पेशियलाईज किया जा सके ताकि जब वो पास आउट हो करके आएं तो उनमें इतना कॉन्फिडेंश हो कि उन परियोजनाओं में वे काम कर सकते हैं। तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा काम हुआ है। इसका लाभ निश्चित रूप से इस प्रदेश को मिलने वाला है।

मान्यवर, फिर ह्यूमन इंडेक्स का, ह्यूमन जीवन स्तर के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम और किया। आज पूरी दुनिया,

दुनिया का कोई कोना नहीं है, जो एड्स के, एच0आई0वी0 के प्रकोप से वंचित हो। आपकी सरकार ने श्रीमन्, एक शानदार काम किया कि पी0पी0टी0सी0टी0 केन्द्रों की स्थापना करने का काम किया जिसके माध्यम से इस बात की कोशिश की गयी कि जो एस्पेक्टिंग मदर्स हैं, उनको यदि किसी कारण से एच0आई0वी0 का संक्रमण हो गया हो तो किस प्रकार से निश्चित किया जाये, किस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि वह संक्रमण आगे बच्चे को ट्रांस्मिट न हो। इसलिए प्रिशन फ्रॉम पेरेन्ट टु चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एच0आई0वी0, एक मिशन के तौर पर ले करके और पी0पी0टी0सी0टी0 केन्द्रों की स्थापना की गयी, जिसमें उन तमाम सारे उपायों पर और जो प्रिवेंटिव एक्शन है, वह लिया जाता है। श्रीमन्, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) में 9500 आशा कर्मियों का चयन किया गया है।

मान्यवर, नाम ही आशा है इसका, आशा कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की गई, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया और जो ग्रामीण स्तर पर तमाम सारे बच्चों की तमाम सारी बुनियादी चीजों की जरूरत है, उसको पूरा करने का काम किया गया, इससे बड़ा काम और कोई हो नहीं सकता और इसी का नतीजा निकला कि हमारे प्रदेश में जो आज चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है, जो मदर मॉर्टेलिटी रेट है वह घट करके बहुत कम हो गया है। शायद सम्भवतः हमें इसका एक गौरव हासिल होने वाला है कि देश के अन्दर हम इसके लिए प्रथम राज्य बनने जा रहे हैं, जहाँ चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट और मदर पॉर्टेलिटी रेट की इतनी कम हो।

श्रीमन्, हम कहा करते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर जब बच्चा जन्म लेता है तो कहीं न कहीं माँ उसके माथे पर लिख देती है कि तुझे भारतीय सेना में जाकर के देश की आन-बान और शान के लिए काम करना है। सबने घड़ियाली आँसू बहाने का काम किया। इस क्षेत्र के लोगों ने चाहे वह विवेक गुप्ता हों या तमाम सारे लोगों ने, जिन्होंने हिन्दुस्तान की आन-बान और शान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन उनके परिवारों के लिए कोई काम नहीं किया। वीरता पदक प्राप्त करने वाले उन वीर सैनिकों के सम्मान को बढ़ाने का कोई काम नहीं किया गया, पहली बार मेजर जनरल खण्डूड़ी की सरकार में वीरता पदक प्राप्त करने वाले सैनिकों के सम्मान बढ़ाने का काम किया गया उनको आर्थिक आधार प्रदान करने का काम किया गया और उनको तमाम अलंकरणों के बाद जो अनुदान राशि दी जाती थी उसको प्रभावी तरीके से बढ़ाने का काम किया गया, यह एक बहुत अच्छा काम हुआ, जिसके लिए निश्चित रूप से सरकार बधाई की पात्र है।

श्रीमन्, हम कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर विगत पाँच वर्षों से एक अफरा-तफरी का वातावरण था, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत है, एकाउन्टेबिल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर दिखाई नहीं देता, हर एक को

लगता था कि वह किसी मजबूरी से गुजर रहा है, हर एक को लगता था कि नियम कानून कायदे सब चीज की एक गठरी बाँध करके किनारे इस प्रदेश के अन्दर रख दिया गया है। बहुत सारे लोगों को तकलीफें हो रही होंगी, कष्ट हो रहा होगा, लेकिन निश्चित रूप से जो रोग है, बीमारी है, इसका इलाज करने के लिए कड़वी दवा तो पीनी पड़ेगी। आज मेजर जनरल खण्डूड़ी की सरकार ने इस प्रदेश के अन्दर एक एकाउन्टेबिल एडमिनिस्ट्रेशन, एक पारदर्शी प्रशासन, आज किसी को कोई अवसर नहीं है कि एक भी किसी भर्ती प्रक्रिया में, एक भी किसी सरकारी निर्णय में कोई यह आरोप लगा पाया हो, कोई अंगुली उठा पाया हो कि फलाने निर्णय में, फलाने भर्ती प्रक्रिया में, प्रशासन के कामकाज में, कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई हो जो एकाउन्टेबिल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक वचन था। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पूर्व, उस वचन को शत–प्रतिशत पूरा करने का काम जनरल खण्डूड़ी की सरकार ने किया, निश्चित रूप से सरकार उसके लिए बधाई की पात्र है। श्रीमन्, आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आपका आभारी हूँ। एक बार फिर से महामहिम श्री राज्यपाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के लिए महामहिम श्री राज्यपाल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

*श्री बलवन्त सिंह भौर्याल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी खण्डूड़ी जी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कदम इस उत्तराखण्ड को आगे बढ़ाने के लिए किये हैं, जिसमें पहला कदम समाज कल्याण में जनकल्याणकारी योजनायें, जिसमें बेघर बी0पी0एल0 परिवारों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत 13 हजार आवासों का जो लक्ष्य रखा गया है, मैं उसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसी बी0पी0एल0 परिवारों की बालिकाओं के लिए जो गौरा देवी कन्या धन जिसमें 25 हजार की सहायता राशि उनकी शिक्षा के लिए दिया गया है, मैं उसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही बी0पी0एल0 परिवारों के लिए जो निःशुल्क गैस कनैक्शन की योजना बनाई गई है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और दूरस्थ क्षेत्रों में बहुउद्देशीय कैम्पों के माध्यम से जो विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन के फार्म भरने की जो योजना बनाई गई है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं स्वास्थ्य सुविधाओं में जो क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं उसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके तहत उत्तराखण्ड से दिल्ली में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपचार हेतु गरीब रोगियों के परिजनों के लिए विश्राम गृह की जो व्यवस्था की है, वह एक सराहनीय कदम है और देहरादून में 200 शैय्याओं वाले नेत्र विज्ञान केन्द्र की जो योजना है, वह भी एक सराहनीय कदम है और प्रत्येक जिले में जो मोबाइल वैन सुलभ कराने की जो योजना सरकार द्वारा की जा रही है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूरस्थ गाँवों में ए0एन0एम0 सेन्टर की स्थापना के लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और दूरस्थ क्षेत्रों में आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों की जो स्थापना की जा रही है, उसके लिए भी मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ।

शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा के संवर्द्धन हेतु अलग से जो मंत्रालय की स्थापना की है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूरस्थ विद्यालयों में जो अध्यापकों की तैनाती और जिसमें 4956 विशिष्ट बी0टी0सी0 और 4117 एल0टी0 ग्रेड और 564 पत्राचार द्वारा जो विशिष्ट बी0टी0सी0 के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रदेश में 18 राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित जो बी0एड0 पाठ्यक्रम का शीघ्र प्रारम्भ किया जाना है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पर्यटन के क्षेत्र में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है, जिसमें 1738 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। तीर्थ स्थलों में, पर्यटन स्थलों में, पर्यटकों के आगमन के लिए रोपवे निर्माण के लिए जो योजना बनाई गई है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साहसिक पर्यटन हेतु नवयुवकों को जो प्रशिक्षण करने की व्यवस्था की गई है, स्टेडियमों का जो निर्माण किया जा रहा है और पाँच सितारा होटल का निर्माण एक साहसिक कदम है, उसके लिए भी मैं पर्यटन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसानों के हित में उठाये गये कदम, सैनिकों के कल्याण की योजनाएं, कार्मिकों के हित का संरक्षण, भूमि की अनियंत्रित खरीद पर रोक, सड़क दुर्घटनाओं में तात्कालिक राहत, अनुसूचित व महिलाओं के कल्याण हेतु योजनाएं, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, रोजगार के अवसर, राज्य निर्माण आन्दोलनकारियों के सम्मान हेतु जो परिषद का गठन किया गया है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए जो कार्यक्रम बनाये गये हैं, स्थानीय उत्पादों को जो प्रोत्साहन दिया है, राज्य सुरक्षा आयोग का जो गठन किया गया है, मदिरा व्यापार में एकाधिकार समाप्त, विद्युत उत्पादन, उद्यान सचल दलों की जो स्थापना की है। हैण्ड पम्पों, सिंचाई नहरों, सड़कों के निर्माण की जो योजना बनाई है, परिवहन सुविधाएं, गो सेवा आयोग की स्थापना हेतु मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मान्यवर, बंजर भूमि में जो 485 हैक्टेयर में चाय बागान की स्थापना कर लोगों को रोजगार देने में, स्थानीय लोगों को रोजगार देने में जो सफलता हासिल

की है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही इस अभिभाषण में अपेक्षा है कि विधान सभा काण्डा, जनपद बागेश्वर में भी चाय बागान स्थापित करने का उल्लेख करने की कृपा करेंगे।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सरकार काण्डा क्षेत्र के लिए भी विकास का कार्य करेगी। मान्यवर, अन्त में, मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री सुरेश चन्द जैन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन के सम्बन्ध में मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की दिशा को दर्शाता है। सरकार किस दिशा की ओर बढ़ रही है और इसकी सोच क्या है। मैं सबसे पहले माननीय खण्डूड़ी जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि इस सरकार ने अपनी जनता के प्रति संवेदनशीलता प्रकट की है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का संवेदनशील होना आवश्यक है, अगर व्यक्ति संवेदनविहीन है तो वह कुछ नहीं कर सकता है। वही चीज सरकार पर भी लागू होती है, यदि सरकार संवेदनविहीन है और जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर सरकार संवेदनशील है तो वह जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगी और कोई भी समस्या उनके सामने आती है तो हल करने का प्रयास करेगी।

माननीय मुख्यमंत्री श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी की सरकार ने अपने को जनता के प्रति जवाबदेही करके दिखाया है। यह सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। सरकार द्वारा एक सुझाव एवं शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया है, इससे लगता है कि सरकार जनता के प्रति चिन्तित है। उत्तराखण्ड प्रदेश के लोगों को यदि कोई विकास की शिकायत करनी है तो वह इस प्रकोष्ठ द्वारा सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी तक शिकायत कर सकते हैं और उसका निराकरण यथा सम्भव होगा। इसलिए इस संवेदनशीलता के लिए मैं खण्डूड़ी जी, सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। दीन दयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो भी विकास है, या पैसा है, या जो भी योजना है सरकार की, इसका लाभ प्रदेश के सबसे नीचे स्तर तक के गरीब लोगों को मिलना चाहिए। इस सरकार का भी यह अभिभाषण दर्शाता है कि सरकार जनता के प्रति चिन्तित है और उत्तराखण्ड जनता के अन्तिम व्यक्ति तक लाभ देने के लिए, विकास करने के लिए, उसकी जो भी समस्या है, उसका आर्थिक विकास करने के लिए, उसकी चाहे वह शिक्षा से सम्बन्धित है, चाहे वह स्वास्थ्य से सम्बन्धित है वह नीचे तक के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जैसे उत्तराखण्ड ग्रामीण योजना के लिए बारह हजार दो

सौ बाईस भवन जो हैं, वह निर्माणाधीन हैं। जो बी0पी0एल0 या आवासहीन हैं ये नहीं कि उसको केवल बी0पी0एल0 व्यक्ति ही ले सकता है। लेकिन इस सरकार ने ऐसा किया है कि जो व्यक्ति आवासहीन हैं और जो व्यक्ति गरीब हैं। उसको इस योजना से लाभ दिया जायेगा। जो कोई कन्या है और वह गरीब है, उसके लिए भी गौरा देवी कन्याधन योजना प्रारम्भ की गई है और उस गरीब कन्या के खाते में सीधा बीस हजार रुपया जायेगा, जिससे वह किसी पर निर्भर न रहे। यदि उसको आगे पढ़ना है, वह उस धनराशि से आगे पढ़ सकती है। और ये जो योजनाएँ हैं चाहे वह दीन दयाल उपाध्याय योजना है, चाहे उत्तराखण्ड ग्रामीण आवासीय योजना है, अन्य जो बी0पी0एल0 गौरा देवी कन्याधन योजना है, इनके लिए धन कहाँ से आयेगा सबके लिए पैसा चाहिए।

मान्यवर, हम इसके लिए माननीय खण्डूड़ी सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया। जिसमें जल का उपयोग करके विद्युत उत्पादन हेतु 25 हजार मेगावॉट से भी अधिक बिजली के उत्पादन हेतु खण्डूड़ी सरकार द्वारा स्थान चिन्हित किये गये। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा दो हजार आठ सौ मेगावॉट क्षमता की परियोजनाएँ स्थापित की गयी हैं। जिसमें बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है तथा 13 हजार मेगावॉट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं का विकास विभिन्न माध्यमों से, चाहे वह सरकारी माध्यम हो या पब्लिक द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार हमारा प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में सेल्फ डिपेन्ड की ओर अग्रसर है। जिस कारण हम यहाँ के अलावा दूसरे प्रदेशों को भी ऊर्जा दे सकते हैं, जिससे हमारे प्रदेश को राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके लिए भी हम खण्डूड़ी सरकार को बधाई देते हैं और यह प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ-साथ 25 मेगावॉट तक की जल आधारित विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की योजना बनाई हैं, जिसमें छोटे-छोटे जल स्रोतों पर पॉवर हाउस बनाकर यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ही संचालित हो, ऐसी व्यवस्था इस सरकार द्वारा की जा रही है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य भारत में चौथा राज्य है, जहाँ पर अपना पुलिस एक्ट बनाया गया है। यह पुलिस एक्ट भी हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, इसी प्रकार देहरादून के गढ़ी कैण्ट में पांच सितारा होटल स्थापित किया जा रहा है, जिससे हमें प्रति वर्ष पर्यटन से लगभग सात करोड़ रु0 की आय प्राप्त होगी। जिससे इस प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा 5364 हैक्टेयर क्षेत्र से अधिक विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है। 2200 हैक्टेयर क्षेत्र में सब्जी और 300

हैक्टेयर क्षेत्र में मसाले तथा 200 हैक्टेयर क्षेत्र में पुष्पों की खेती का विस्तार किया गया है, जिससे यह प्रदेश इन चीजों में आत्मनिर्भर बन सके। जिस पर पिछली सरकार द्वारा न कोई ध्यान दिया गया और न ही सोचा गया। जिसके लिए हमारी खण्डूड़ी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना हमारी सरकार द्वारा शुरू हो रही है। जिसकी क्षमता लगभग 6 हजार मेगावॉट है, जो भारत और नेपाल के बार्डर पर है। उससे बनने वाली बिजली को हम आगे भी सप्लाई कर सकते हैं जिससे हमें राजस्व प्राप्त होगा।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा राजस्व घाटे को निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रखना महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में दर्शाया गया है। जिसके लिए सरकार ने खर्चे में कमी करके और सबसे पहले माननीय खण्डूड़ी जी द्वारा अपने खर्चे पर अंकुश रखते हुए, इस प्रदेश को घाटे से उबारने का प्रयास किया है। मान्यवर, शहर में जो पीने के पानी की समस्या है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा था। मैं बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, माननीय कण्डारी जी ने व्यवस्था दी, सब जगह ट्यूबवेल और टैंक दिया, हैण्डपम्प लगवाये और प्रयास किया जहाँ तालाब नहीं हैं वहाँ तालाब खुदवाये जायें, क्योंकि उत्तराखण्ड में आने वाली सबसे बड़ी समस्या जल स्तर गिरने की है। प्रदेश में पानी का जल स्तर गिर रहा है, जिसके लिए चिन्ता माननीय खण्डूड़ी सरकार ने की और जगह-जगह जलाशय बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि उत्तराखण्ड में जल स्तर नीचे गिरने से बचे और इसके साथ जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम, पूरे भारत में बहुत कम जगह शुरू हुआ है, उसे यहाँ उत्तराखण्ड में आदेशित कर दिया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तुरन्त लागू हो जाना चाहिए, जिससे जल स्तर बढ़े। मान्यवर, दुर्गम क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ महिलायें 2-4 किलोमीटर दूर से अपने सिरों पर पानी लाती हैं, उनके पास जलाने की लकड़ी नहीं होती है, कई-कई मील दूर तक लकड़ी लेने के लिए जाती हैं, तो उनकी भी चिन्ता माननीय खण्डूड़ी सरकार ने की और प्रयास किया जा रहा है कि उनको घास-पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए माननीय खण्डूड़ी सरकार चिन्तित है।

मान्यवर, सैनिकों के लिए माननीय खण्डूड़ी सरकार ने जो कुछ किया वो वास्तव में उसके लिए बधाई के पात्र हैं, यह कार्य सराहनीय है। मैं माननीय चौहान जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, मेरे क्षेत्र रुड़की में दो-ढाई लाख की आबादी है, वहाँ 50 साल पहले पेयजल की व्यवस्था थी, जो कि जीर्ण-शीर्ण हो गई है, लेकिन माननीय कण्डारी जी ने नई पाईप लाईन के आदेश दे दिये। मेरा मानना है कि उसके लिए मास्टर प्लान बनकर वहाँ पर दोबारा से बने, तो

समस्या हल हो सकती है। ड्रेनेज की समस्या रुड़की में बहुत है, अब आबादी बढ़ गई। पहले घरों का सारा पानी ड्रेनेज से खाली प्लाटों में जाता था, लेकिन उन खाली जगहों पर निर्माण हो गया। ड्रेनेज की समस्या विकट होती जा रही है, तो ड्रेनेज का भी मास्टर प्लान बने। आज यह स्थिति है कि जरा सी भी बारिश होती है तो 4–4 फिट पानी गलियों में भर जाता है। मान्यवर, रुड़की तहसील और सिविल कोर्ट एक जगह होता था, लेकिन अब सिविल कोर्ट दो–ढाई किलोमीटर दूर चली गई जिसकी वजह से वकीलों और क्लाईट लोगों को दिक्कत हो रही है तो मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर सिविल कोर्ट बनी है वहीं पर तहसील का स्थानान्तरण हो जाए।

मान्यवर, रुड़की के बस स्टैण्ड को भी कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए, यह भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आ जाय, क्योंकि उससे जाम की स्थिति बनी रहती है, बहुत ही कन्जेस्टेड हो गया है। मान्यवर, एक रुड़की शहर ऐसा है जिसके बीच से होकर नहर बहती है, उसके दोनों किनारे अनडेवलप हैं, गन्दगी रहती है शहर के बीच में। मान्यवर, अभी पर्यटन मंत्री जी गये थे और उन्होंने देखा है और कुछ योजना भी दी है। तो मेरा निवेदन है कि इसमें यह जोड़ दिया जाए कि नहर के किनारे पार्क बने और लोगों के बैठने की, घूमने की सुविधा हो।

मान्यवर, रुड़की शहर के बीच नहर होने की वजह से रोज दुर्घटनाएं होती रहती हैं। चूंकि आई0आई0टी0 इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र घूमने के लिए नहर के किनारे चले जाते हैं, नहर के किनारे स्लोप होने की वजह से ही एक साल में इस तरह की कई दुर्घटनाएं होती हैं। नहर के किनारे तारबाड़ न होने के कारण इनके नहर में गिरने का अंदेशा ज्यादा रहता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि नहर के किनारे बैरीकेडिंग किया जाय। मान्यवर, रुड़की में जो गवर्नमेन्ट गर्ल्स सरकारी कॉलेज दो साल पहले स्वीकृत हुआ था, यह अन्यत्र कहीं चल रहा है, इसके लिए जमीन उपलब्ध हो और धन भी आवंटित हो, यह भी इस अभिभाषण में जुड़ना चाहिए ऐसी मैं मांग करता हूँ। रुड़की के अन्दर केवल एक ही पॉलीटैक्निक कॉलेज है, सभी इसमें दाखिला लेना चाहते हैं, इसलिए दाखिले से कई बच्चे वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि यहाँ पर एक महिला पॉलिटैक्निक कॉलेज भी खोला जाय, जिसकी व्यवस्था महामहिम के अभिभाषण में की जाय।

मान्यवर, रुड़की शहर के अन्तर्गत एक शफीपुर गाँव है जहाँ पर कि ज्यादातर रिटायर फौजी रहते हैं, यह पहाड़ी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर जल की निकासी की समस्या है। मान्यवर, यह गाँव लगभग 20 साल पहले बसा था और अब यह विकसित हो रहा है। पूर्व में यह गाँव नगर निगम में सम्मिलित नहीं था, इसलिए

मेरा अनुरोध है कि इसको नगर निगम के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाय, जिससे कि इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। मान्यवर, रुड़की सिविल लाईन एरिया यह लीज की प्रोपर्टी तो नहीं है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा कही जाती है, यह लीज की प्रोपर्टी है। जबकि यह लीज की प्रोपर्टी नहीं है। यहाँ पर लगभग चार हजार आवास बने हुए हैं, इन पर हमेशा खतरे की तलवार लटकी रहती है। मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि इस एरिया को फ्री-होल्ड कर दिया जाय।

मान्यवर, रुड़की क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा सुनेहरा में स्थित श्याम नगर क्षेत्र है, जिसके चारों तरफ उद्योग लग गये हैं। इसका पानी दूषित होता चला जा रहा है। यहाँ पर जो उद्योग लगे हैं, वह पानी सीधे जमीन के अन्दर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का पानी दूषित होता जा रहा है। यह पानी पीने योग्य नहीं है और न ही खाने बनाने के योग्य। इस गाँव से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। मैं चाहता हूँ कि इस ओर सरकार ध्यान दे और इस क्षेत्र में एक ट्यूबवेल और एक ओवर हैड टैंक बने और इस गाँव का एक सर्वे होना चाहिए कि यह पानी दूषित क्यों हो रहा है। मान्यवर, जब कभी रुड़की में नगर पालिका स्थापित हुई थी तो तब यहाँ की आबादी उस समय 30-40 हजार थी और उस समय लगभग 200 सफाई कर्मचारी थे। आज स्थिति यह है कि यहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं हो रही है और ये कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और इनकी जगह पर नई नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। मान्यवर, वर्तमान में यहाँ की जनसंख्या लगभग एक-दो लाख है और सफाई कर्मचारियों की संख्या घटकर लगभग 150 है, इससे यहाँ की स्थिति भयावह बनी हुई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि महामहिम के अभिभाषण में यह भी जोड़ दिया जाय।

मान्यवर, रुड़की शहर में जगह-जगह पर ट्रक खड़े रहते हैं, जब बच्चे स्कूटी, साईकिल से स्कूल आदि जगह के लिए जाते हैं और यहाँ पर जो अन्धे मोड़ होते हैं, वहाँ पर ट्रक खड़े होने की वजह से आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। मैं चाहता हूँ रुड़की शहर के अन्दर एक ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित हो, जिससे कि ट्रक समुचित स्थान पर खड़े हो सकें। यह भी महामहिम महोदय के अभिभाषण में जुड़े, ऐसी मैं माँग करता हूँ। मान्यवर, रुड़की में जो सेल टैक्स ऑफिस है, यहाँ पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जबर्दस्त कमी है। मान्यवर, अधिकारी की दो-दो जगहों पर ड्यूटी रहती है। मान्यवर, उनकी ऑफिस में भी ड्यूटी है और चौकी पर भी ड्यूटी है। इसका परिणाम यह होता है कि चोरी का सारा सामान आ जाता है। यदि वह ऑफिस में रहें तो वहाँ देखने वाला कोई नहीं है, इससे राज्य को राजस्व की हानि होती है।

अतः मैं चाहता हूँ कि सेल टैक्स ऑफिस में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था की जाय। मान्यवर, यह भी महामहिम जी के अभिभाषण में जोड़ दिया जाय। अन्त में मैं, माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ और आपने मुझे इसके पक्ष में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुख्यमंत्री [मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]–

धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रस्ताव पर धन्यवाद के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुःख है कि विपक्ष आज यहाँ पर नहीं है। मान्यवर, विपक्ष के माननीय सदस्य गैरहाजिर हैं, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 3–4 दिन माननीय विपक्ष के सदस्यों ने सदन में और सदन से बाहर जो बर्ताव किया है, मैं समझता हूँ यह लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। पहले दिन महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस प्रकार से व्यवधान पैदा करना और उस स्थिति में लाना जहाँ कि महामहिम राज्यपाल जी को अभिभाषण बिना पढ़े पूरा करना पड़े, यह चिन्ता का विषय है। सदन में अपनी बात रखने और विरोध करने के अपने तरीके हैं। लेकिन इसके लिए हम उत्तराखण्ड के भविष्य के लिए कुछ मानक बनाएंगे, मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है। उसके बाद भी पिछले तीन दिन से जिस विषय पर माननीय विपक्ष के लोग बहिर्गमन कर रहे हैं या सदन के अन्दर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उस विषय पर चर्चा होती तो अच्छा होता। वे अपना पक्ष रखते और हम बताते कि क्या स्थिति है तो शायद जनता को ज्यादा फायदा होता। बजाय इसके कि सिर्फ हल्ला करना, हंगामा करना, बात न सुनना। इससे किसको फायदा होता है, मैं नहीं समझता और यह भी अपने-आप में एक गलत परम्परा पड़ रही है, खासकर जब हम महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी, जिस विषय पर वे इतनी चिन्ता जाहिर कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य है कि वे सचमुच में इस विषय पर चिंतित हैं या मात्र राजनीति के लिए या शायद अभी जो आने वाले चुनाव हैं, उनके आधार पर वे अपनी बात जिस प्रकार उठा रहे हैं, वह तर्कविहीन है। उनके आचरण के बारे में, उनके बर्ताव के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, सब सदन जानता है लेकिन एक उदाहरण माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको देना चाहता हूँ और पूरे प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि सचमुच में कितनी चिन्ता उन लोगों को इस विषय में है कि जाति प्रमाण-पत्र के बारे में जो विसंगतियां हैं, उनको ठीक किया जाय।

महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण दिया और प्रक्रिया के अनुसार उस पर संशोधन के लिए माननीय सदस्य अपना–अपना पक्ष रखते हैं ताकि सरकार का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, आज की जो कार्यसूची है, यह मेरे पास है और इसमें माननीय विपक्ष के नेताओं और सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं। इसमें कुल 219 सुझाव दिये गये हैं। इन 219 में एक भी सुझाव जाति प्रमाण–पत्र के बारे में नहीं है। (शेम–शेम की ध्वनि) संशोधन प्रस्ताव दिया जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण बातें जो अभिभाषण में न हों तो वे उन्हें रखें। यह कैसा चिन्तन है, यह कैसा आक्रोश है कि आज सदन में, जो इनमें से एक भी सदस्य ने जाति प्रमाण–पत्र के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है, अन्याय हुआ है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह मात्र एक राजनीतिक प्रक्रिया है, जो चला रहे हैं और सदन की गरिमा को ठेस पहुँचा रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे वक्ताओं ने यहाँ पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की है, चर्चा की है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन जहाँ तक विपक्ष की बात है, अच्छा होता, उनकी भी बातें सुनते, उनके भी सुझाव और शिकायतें सुनते और सरकार उन पर काम करती। यह मौका उन्होंने खोया है और हमको भी इसका फायदा नहीं हुआ है। जैसा मैंने कहा, जाति प्रमाण–पत्र के बारे में माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक समिति नियुक्त की है, वह समिति अपना काम कर रही है, उस समिति में विपक्ष के भी माननीय सदस्य हैं। इसमें सरकार की तरफ से एकतरफा कोई सहमति हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए इतने महत्वपूर्ण विषय पर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा को इस प्रकार से अनदेखा करना, उस पर गलत तरीके से आक्रोश जाहिर करना और बहिर्गमन करना, मैं समझता हूँ यह भी राजनीति के लिए, प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की है।

हमारे साथियों ने भी यहाँ पर अभी कुछ विषयों को उठाया है, चर्चा की शुरूआत में माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने काफी विस्तार से सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी है। अन्य सदस्यों माननीय भौर्याल जी और सुरेश चन्द जैन द्वारा भी कुछ बातें सामने लाई गई हैं, कुछ सुझाव हैं। मैं नहीं समझता कि ज्यादा सरकार की उपलब्धियों के बारे में और कुछ कहूँ, लेकिन मैं सदन के सामने इस बात को अवश्य रखना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, किस दिशा से और किस उद्देश्य से सरकार को, इस प्रदेश को चलाने का काम कर रही है। मैं सदन का और पूरे प्रदेश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड की

लड़ाई किन मुद्दों पर हुई थी, किन बातों पर हुई थी और किन शिकायतों पर हुई थी। जब हम उत्तर प्रदेश में थे और किस प्रकार से बहुत बलिदान देकर, लोगों ने राज्य के लिए अपना जीवन बलिदान किया है, अनेक प्रकार की यातनायें सही हैं और उन सबका उद्देश्य क्या था, किस लिये हम लोग वह संघर्ष कर रहे थे, मैं समझता हूँ इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उनको याद रखकर उन अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए वह संघर्ष हुआ, जिसके लिए लोगों ने बलिदान किया और यहाँ तक कि हमारी माताओं और बहनों का घोर अपमान आन्दोलन के दौरान हुआ। मुझे भी उस आन्दोलन में हिस्सा लेने का मौका मिला है, मैं भी उस प्रक्रिया से गुजरा हूँ और हमारे बहुत से साथी यहाँ पर हैं, जो जेलों में गये हैं, इसलिए अगर संघर्ष के मुद्दों को हम भुलायेंगे तो उत्तराखण्ड का विकास सही दिशा में नहीं जा सकता है। इसलिए एक साल के अन्दर सरकार ने कोशिश की है कि हम उन बातों को ध्यान में रखें और उस आधार पर, उस दिशा में चलने की कोशिश करें, जिस दिशा में आन्दोलनकारी इस प्रदेश को ले जाना चाहते थे और उसी के आधार पर जो कुछ हमारी उपलब्धियां हुई हैं, उस आधार पर हैं और उसी दिशा में चलने के लिए हैं। मैं समझता हूँ, जानता हूँ और मानता हूँ कि हमारा उद्देश्य, उत्तराखण्ड को देश का सबसे सम्पन्न, सबसे विकसित और सबसे संस्कारित प्रदेश बनाना अभी दूर है। लेकिन मुझे यह भी संतोष है मान्यवर, कि हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं, जिस रास्ते का उद्देश्य उन मुद्दों को हासिल करना है, उन आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना है, जिसके लिए वह संघर्ष हुआ था। इसी दिशा में हम लोगों ने काम किया है और जो यहाँ पर उपलब्धियां गिनाई गई हैं, उनमें से कुछ हैं। बहुत कुछ कहा गया है लेकिन कुछ बातें जो छूट गई हैं, उनको कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन यह बताने के लिए कि सरकार सब लोगों के लिए चिन्तित है, छोटी–छोटी मुश्किलें हैं, उनको भी ध्यान में रखकर, बड़ी–बड़ी योजनायें हैं, नीतियां हैं, उनको भी ध्यान में रखकर सही दिशा में काम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं।

पिछले वर्ष हमारा वोट आन एकाउंट था, उसके बावजूद भी हमने कोशिश की है कि अनेकों सुविधायें हम इस प्रदेश में लायें। इस बारे में चर्चा बाद में विस्तार से होगी, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए इसका वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि सरकार ने यह कोशिश की है कि धन का सही उपयोग हो और इसी आधार पर हमको अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी ज्यादा धनराशि मिली है। यह 4775 करोड़ रु0 जो सार्वजनिक है, वह मिली है और पिछले वित्तीय वर्ष से 378 करोड़ रु0 ज्यादा मिली है। जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, जो 31 मार्च को खत्म होगा उसमें माननीय अध्यक्ष जी, हम 2006–07 के वित्तीय वर्ष के बजट की तुलना करें, मान्यवर, मीडिया और अखबारों में हमारे विपक्ष

के साथी कहते हैं कि धन का उपयोग नहीं हो रहा है, धन सरेंडर होने वाला है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि दिनांक 31 जनवरी, 2007 और 31 जनवरी, 2008 में क्या स्थिति थी, आपको बताना चाहूँगा कि इस अवधि में हमने 360 करोड़ रु0 से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां की हैं और 141 करोड़ रु0 अधिक खर्चा किया है। इस प्रकार से बजट ज्यादा होने पर भी हम लोगों ने वित्तीय अनुशासन का पालन किया है।

(मेजों की थपथपाहट)

महिला कल्याण के बारे में हमारे साथियों ने कह दिया है, माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं अवश्य आज इस मौके का लाभ उठाकर यह कहना चाहता हूँ कि जैसे मुन्ना सिंह जी ने भी कहा था कि महिलाओं ने हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का जैसा काम किया है, हमारी महिलाओं ने यही काम नहीं किया, बल्कि आन्दोलन में भी उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हमारी सरकार की कोशिश रही है कि महिलाओं को जितनी ज्यादा सुविधा हो उनके लिए जो उनके सामान्य जीवन में बोझ है, उसे कम किया जाय। जीवन में उनको कुछ सुविधा दी जाय और उनका जीवन कुछ आनंदित हो और जो रूटीन में उनका जीवन चल रहा है, उससे उनको कुछ अलग हटा दिया जाय।

मान्यवर, सरकार का उद्देश्य रहा है कि महिलाओं का सशक्तीकरण किया जाये, उनको शक्ति दी जाय। साथ ही साथ जितनी भी सुविधाएं, जो उनकी आवश्यक सुविधाएं हैं, उनको दिया जाय। उसका उदाहरण चाहे चारा बैंक हो या शायद दुर्गम क्षेत्रों में गैस की व्यवस्था करना हो और चाहे लड़कियों को इण्टरमीडिएट पास करने पर 25 हजार रुपये देने की बात हो, जो अनेकों बातें कही गई हैं, उनका उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तीकरण करना और उनके जीवन में जो एक ठहराव जैसा आ गया है, उसको खत्म करना। सैनिकों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। मैं इसलिए बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक सैनिक हूँ, लेकिन यह जो हमने सुविधाएं उनको दी हैं, जो उनका सम्मान किया है, यह इसलिए नहीं किया है कि मैं एक सैनिक हूँ।

हमारे घर में, उत्तराखण्ड के अन्दर, हर एक परिवार के अन्दर एक नहीं दो–तीन सैनिक हैं और सैनिक जब मैं कहता हूँ तो जो यूनिफार्म में अर्द्धसैनिक बल हैं, पैरा मिलेट्री फोर्सेज हैं बहुत बड़ी संख्या में और घर में सैनिकों को, महिलाओं को, उनके जीवन में कुछ सुधार कर सकें तो मैं मानता हूँ कि उत्तराखण्ड के अधिकतम लोगों का हित अपने आप इसमें शामिल है और इसलिए हमने कोशिश की है, वीरता पुरस्कार देने के साथ–साथ मैं सदन में नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि शायद आम जानकारी नहीं है, माननीय अध्यक्ष ज़ी, मैं सैनिक हूँ इसलिए जानता हूँ। एक

आदमी परमवीर चक्र जीतता है। करोड़ों लोगों में एक आदमी जीतता है, किन परिस्थितियों में उसे मिलता है। बहुत कठिन है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र और जिस प्रकार से हम उनको जो धन दे रहे थे, वह अपमानजनक था और इसलिए हमने यह कोशिश की है कि हमारा जो सैन्य बाहुल्य प्रदेश है इसके अन्दर सैनिकों का सम्मान हो और पूर्व सैनिकों को भी सुविधा मिले। उसी आधार पर इसे बढ़ाया गया है और मुझे खुशी है कि जो वीरता के लिए पुरस्कार मिलते हैं अशोक चक्र, शौर्य चक्र ये आम आदमी को भी मिल जाते हैं, सैनिकों तक ही ये सीमित नहीं हैं। भारत वर्ष में आज यह जो पुरस्कार दिये जाते हैं तो भारत वर्ष में किसी भी प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मिलता है, वो हम दे रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) सैनिक लोग फील्ड में काम करते हैं, लम्बे समय तक सीमाओं पर रहते हैं और शायद बहुत से लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि अपने परिवार के साथ रहने का, अगर एक आदमी 20 साल नौकरी करता है तो मुश्किल से 1–2 साल भी अपने परिवार और बच्चों के साथ रहने को नहीं मिलता है। वह बाहर रहता है और परिवार अलग रहता है क्योंकि साथ में परिवार रखने के लिए जगह नहीं है। इसलिए उत्तराखण्ड के अन्दर हमने सेना के बड़े अधिकारियों, आर्मी स्टाफ से बात की थी और मैंने उनको कहा था कि आप, सैनिकों के परिवारों को रहने के लिए सेप्रेट फैमिली एकोमडेशन किया जाता है, उसको प्रारम्भ करें। उन्होंने इसे स्वीकार किया। मुझे खुशी है, ये हमसे जमीन चाहते थे, उसको प्रोजेक्ट में लाने वाले हैं और इस प्रकार कुमाऊँ में और गढ़वाल में ऐसे स्थानों को दिया गया है जहाँ पर वे अपने आवास बना सकें। (मेजों की थपथपाहट) गढ़वाल और कुमाऊँ रेजीमेन्ट और सेन्ट्रल की रिकमेन्डेशन पर इसे दिया गया हैं यहाँ पर माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने रोप–वे के बारे में चर्चा की है। जो ग्रेविटी बेस रोप–वे हैं, ग्रेविटी से चलने वाले हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि पर्यटन के लिए माननीय पर्यटन मंत्री जी द्वारा अनेकों स्थानों पर पर्यटन की दृष्टि से रोप–वे बनाये गये हैं। चाहे वे तीर्थ स्थान हों या पर्यटक स्थल हों, अच्छी संख्या में रोप–वे बनाये जाने का निर्णय लिया गया है, इसमें काम शुरू है और इससे चाहे हमारे तीर्थ स्थान हों, चाहे पर्यटक स्थल हों, हमारे धार्मिक स्थान भी पर्यटन के मुख्य केन्द्र हैं। इसलिए बड़ी संख्या में रोप–वे बनाये गये हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। बड़ी–बड़ी बातें हमारी जानकारी में हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। यहाँ से लोग दिल्ली जाते होंगे और मुझे वहाँ पर अनुभव था कि जो लोग एम्स में जाते थे तो वहाँ पर सड़कों पर सोए रहते थे, क्योंकि रहने की जगह नहीं थी और अगर मुश्किल से आदमी भर्ती हो गया तो उसके साथ में रहने वाले कहाँ जाते

थे? 2–2, 3–3, 4–4 सौ रुपये में लोग कमरा लेते थे रहने के लिए और इसलिए सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली में एम्स और एक दूसरे अस्पताल के नजदीक किराये पर कुछ कमरे लिए हैं और उसमें हमारे जो आदमी भर्ती हैं, उनके रहने के लिए एक समय तक हफ्ते, 10 दिन तक रहने का मुफ्त वहाँ पर बन्दोबस्त किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज आप जानते हैं, लेकिन अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज स्वीकृत था, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था, पैसे नहीं दिये जा रहे थे। इस साल हमने उनको तीन करोड़ दिये हैं और हमारा उद्देश्य है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की एक इच्छा है, उन्होंने कहा है कि हमको हेल्थ के क्षेत्र में पहाड़ों में ऐसी जगहें बनानी चाहिए जहाँ पर कि जो सुविधाएं मैदानों में उपलब्ध हों, उसी प्रकार की सुविधाएं पहाड़ों में भी मिलें।

मान्यवर, इसीलिए अल्मोड़ा और श्रीनगर को छाँटा गया है। अल्मोड़ा और श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह जानकर खुशी होगी कि आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए भी वहाँ पर निर्णय ले लिया गया है और अगले साल उसका काम शुरू होने वाला है। एक ओर जो रोजगार से सम्बन्धित है, वह महिलाओं से सम्बन्धित है, हमारी लड़कियों को, युवतियों को, अभी यहाँ पर चर्चा भी हो रही थी, एन0टी0टी0 के बारे में लड़कियों को रोजगार की बहुत मुश्किल पड़ती है। एक जो क्षेत्र है जिसका मेरा अपना अनुभव है कि बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिल सकता है वह नर्सिंग के क्षेत्र में है। हमको अपने प्रदेश में भी, पूरे देश में भी, पूरे विश्व में भी भारत की जो नर्सेज हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या में डिमान्ड है। हम कोशिश करें कि नर्सिंग ट्रेनिंग को भी अपने प्रदेश में शुरू करें और इस नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए हमने चार स्थानों पर नर्सिंग कॉलेज खोलने की कोशिश की है, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी और अल्मोड़ा में नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की व्यवस्था की है।

इसी प्रकार शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमारे लड़के अधिकतर शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक बनना चाहते थे और कई समस्या होती थी कि सीटें कम हैं और मुश्किलें होती थी, वह आ नहीं सकते थे, खासकर लड़कियाँ पहाड़ों में अपने घर से दूर नहीं जा सकती थी। इसलिए बी0एड0 के जो सरकारी कॉलेज हैं, उनमें हमने एक और सब्जेक्ट खोल दिया है जिससे कि दूर क्षेत्र के लोग अपने–अपने घरों के नजदीक लड़की और लड़के बी0एड0 कर सकें जिससे कि उनको आगे रोजगार का साधन मिल सके। एक ओर छोटी सी चीज है जिसका सबको अनुभव है, यह एक व्यवस्था बन गई थी, वह यह भी कि परीक्षा अपने स्कूल में न होकर दूसरे स्कूल में हो, इससे खासकर लड़कियों को बहुत कठिनाई होती थी, अब हाईस्कूल और इण्टर की परीक्षायें अपने ही कॉलेज में कराने का निर्णय ले लिया गया है। इसी प्रकार संस्कृत

जो हमारी उत्तराखण्ड की अनेकों प्रकार से मान्यता प्राप्त और संस्कारों से जुड़ी भाषा है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किये गये हैं और हमारी इच्छा है कि संस्कृत को हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाय। हमारे यहाँ अनेकों पौराणिक ग्रन्थ हैं, इतिहास है, उसको भी पढ़ने में सफलता मिलेगी, किसानों के हित के लिए। यह सब की जानकारी में है, मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि 72 करोड़ रुपये गन्ना का बकाया दिया गया। 10 लाख से अधिक किसानों को 12 करोड़ 26 लाख रुपये की बिजली की जो पेनल्टी थी वह माफ की गई। किसानों के लिए एक और नई योजना शुरू करने का निर्णय ले लिया गया है, सेब की फसल को बीमा करने की योजना बन गई है, इस पर भी निर्णय ले लिया गया है, उसके ऊपर भी अगले साल काम होगा।

कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने बहुत सारे काम किये हैं, 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता जो केन्द्र सरकार ने दिया था यह भारत का पहला राज्य है जिसने तुरन्त उसको नकदी में दिया। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के समयमान वेतनमान जो बहुत समय से, 6–7 साल से पैन्डिग था, उसको भी हमने दिया है। सड़क दुर्घटना के लिए शुरू में इस सरकार के बनते ही यह निर्णय ले लिया गया था कि सड़क दुर्घटना में जो दुर्घटनाएं होंगी उसमें कितना मुआवजा मिलेगा, यह कितना मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए व्यवस्था की गयी कि मृत्यु होने पर 50 हजार रु0, गम्भीर घायल होने पर 25 हजार रु0 और सामान्य घायल होने पर 05 हजार रु0 डी0एम0 स्तर पर तुरन्त दिया जायेगा।

मान्यवर, सड़कों के बारे में भी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों की बहुत मांग रहती है और इस विषय से मैं भी पहले से जुड़ा था और मुझे जानकारी थी कि हमारे यहाँ पर बहुत भारी मांग है, लेकिन इसकी कुछ प्रगति ठीक नहीं है। सरकार ने दो–तीन कार्य किये हैं, इस दिशा में हम काफी अच्छी प्रगति निकट भविष्य में देंगे। मान्यवर, पहली बात तो यह थी कि माननीय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो केन्द्र से संचालित थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष, 2000 में शुरू की थी। इस प्रदेश का लगभग ढाई सौ करोड़ रु0 जून, 2005 तक पड़ा हुआ था, जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। इस सरकार ने आते ही 09 नये पी0डब्लू0डी0 के डिवीजन खोले हैं और उन्हें ग्रामीण सड़क योजना का कार्य दिया है और इस बीच हमने केन्द्र से दो सौ करोड़ से अधिक लागत की प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की है और इनके ऊपर भी तुरन्त काम होगा। मुझे आशा है कि इन पर काम शुरू होने के उपरान्त बहुत स्थानों पर, जहाँ पर दुर्गम स्थान हैं, जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर सड़कें मिलेंगी।

मान्यवर, एक और चीज थी जो सड़कों के अन्दर व्यवधान पैदा कर रही थी, आप, हम सबको अनुभव है। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे, वहाँ पर शिकायत मिलती थी कि मुआवजा नहीं मिला। पहाड़ों में 15–20 साल से आदमी कहता है कि 1980 में सड़क कटी थी मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए यहाँ पर आकर मैंने आंकड़े लिये और पता लगाया कि कितना पैसा पैन्डिग है और उस आधार पर सड़कों का मुआवजा और वन अधिनियम की वजह से सड़कें स्वीकृत थीं। लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा था, उसके लिए सरकार ने पहले तीन–चार महीने के अन्दर सड़क मुआवजे के 559 लम्बित केसों को और 105 वन अधिनियम के लिए 60 करोड़ रुपया एक मुश्त दिया है और मैं माननीय सदन को बताना चाहूँगा कि आदेश दे दिये गये थे कि पिछले वर्ष, 2007 के मार्च तक के कोई भी मुआवजे का केस बाकी नहीं होना चाहिए। अब कोई भी मुआवजा बाकी है तो मेरी आप सब से प्रार्थना है कि आप लोग चैक करें, पता लगायें कि अगर कोई पैन्डिग केस है, उसको ध्यान में लायेंगे क्योंकि अधिकारियों से पता चलता है कि कोई उपलब्ध नहीं है या कोई पैसा लेने वाला नहीं है और इसलिए यह एक जो बड़ी समस्या थी, उसका भी समाधान करने में इस सरकार ने कोशिश की है।

सड़कों का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ है, हालांकि मैंने शुरू में यहाँ पर कहा था कि 3900 करोड़ रु0 की सड़कें 08 मार्च को मिली थीं, जो स्वीकृत थीं, 3900 करोड़ रुपया से ज्यादा। जिस सरकार का बजट ही 4000 करोड़ रु0 के आस–पास का हो और उसमें 3900 करोड़ रु0 की स्वीकृति हो तो इसके लिए धन कहाँ से आता, कैसे होता। यह एक बड़ी समस्या थी। हमने उसके ऊपर एक निर्णय लिया और उस आधार पर हम कुछ प्रगति कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि हमने 845 करोड रु0 से ज्यादा की व्यवस्था नये निर्माण के लिए और लम्बित कार्यों को खत्म करने के लिए इस साल की है। 845 करोड़ रुपया इस साल लगेगा और इसी प्रकार 1865 कि0मी0 का नया निर्माण, 1955 किमी0 का पुनर्निर्माण और 122 क्षेत्रों का निर्माण करने का अभी इस साल काम शुरू हुआ है। नगरीय क्षेत्र में पुनर्निर्माण मिशन के तहत 91 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई है। और हरिद्वार में पेयजल के लिए 48 करोड़ की योजना मंजूर हुई है। गो वध पर प्रतिबन्ध, गो विज्ञान से सम्बन्धित बातें माननीय मुन्ना सिंह जी ने कहीं हैं और हमारा कृषि मंत्रालय इसमें बहुत तेजी से आगे काम कर रहा है तथा मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़े समय में गाय, जिसे हम पूजनीय मानते हैं, उसका सिर्फ धार्मिक स्तर पर ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक स्तर पर भी उसका कितना उपयोग समाज में हो सकता है। जल्दी ही हमारा प्रदेश पूरे देश के अन्दर इस बात को समझाने में और बढाने में, आगे बढ़ेगा। (मेजों की थपथपाहट) आपदा प्रबन्धन के लिए व्यवस्था हुई है, पहले यह था कि डी0एम0 के

पास अधिकार कम थे, उसके लिए सरकार ने डी0एम0 को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख और कमिश्नर को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक के अधिकार दिये हैं। इन सब बातों से मुझे आशा है कि जिन उद्देश्यों पर हमने चर्चा की है उन उद्देश्यों को पूरा करने में हमें मदद मिलेगी।

माननीय विधायकगणों ने, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है, उन्होंने कुछ कहा है और माननीय श्री मुन्ना सिंह जी ने ऊर्जा के सम्बन्ध में लखवाड़ व्यासी के बारे में। उसके बारे में हमारी भी चिन्ता है। अभी कल ही इस विषय में बैठक हुई थी। मुझे आशा है कि व्यासी का काम जल्दी ही शुरू कर पायेंगे। लखवाड़ का जहाँ तक प्रश्न है वह पानी से सम्बन्धित है, उसमें चार–पाँच प्रदेश जुड़े हैं, उनमें आपस में सहमति की आवश्यकता है। इण्टर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल में जो डिस्प्यूट है, वह उसमें फंसी हुई है। मेरी भी इच्छा है कि ऊर्जा की योजनाओं को हम ज्यादा–ज्यादा पूरा करते जाएं। माननीय श्री भौर्याल जी ने और माननीय सदस्य श्री जैन जी ने जो बातें कहीं उसे नोट करने की भी मैंने कोशिश की है, उनकी स्पीड के साथ मैं 8–9 बातों को नोट कर पाया उसके बाद मैं आगे नहीं पहुँच पाया। मुझे आशा है कि नोट हो गया होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अन्त में माननीय महामहिम राज्यपाल जी को अपना आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सदन का सर्वसम्मति से आभार और धन्यवाद व्यक्त किया जाए और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सदन की भावनाओं को उन तक पहुँचाने की कृपा करेंगे।

(थपथपाहट)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक घोषणा की गयी थी, उस घोषणा के लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारी प्राईवेट जीपों और टैक्सियों में बार–बार एक्सीडेंट होते थे, आपने एक डण्डा लगाने का निर्देश दिया था और आज वह डण्डा, पूरे प्रदेश में खण्डूड़ी जी के डण्डे के नाम से यह योजना बहुत चर्चित हुई है। और योजना चर्चित हुई हों या न हुई हों, परन्तु यह योजना माननीय खण्डूड़ी जी के नाम से बहुत चर्चित हुई है और इससे काफी एक्सीडेंट भी कम हुए हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा में हिस्सा लिया। उनका आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमन्, दो–चार बिन्दु जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसी सन्दर्भ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मान्यवर, पिछले दिनों में इस बात पर विचार कर रहा था और सोच रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण मीडिया में हुआ था, सर्वेक्षण में कहा गया कि उत्तरांचल के मुख्यमंत्री

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी देश के नम्बर एक मुख्यमंत्री हैं। मैंने सोचने की कोशिश की कि ये कौन से कारण हो सकते हैं, जिन्हें सर्वेक्षण करने वाले लोगों को प्रेरित किया कि वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे। मान्यवर, इसी क्रम में तमाम सारी बातों पर जब हमने नजर डाली तो इसमें उत्तराखण्ड पहला प्रदेश है, जिसने अपना पुलिस एक्ट नये सिरे से बनाया है। किसी जमाने का शायद 1800 साल का एक्ट चलता था। कितनी सरकारें आयीं और गयीं और कोई साहस नहीं जुटा पायीं। उत्तराखण्ड पहला प्रदेश है जिसने राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया, जिसमें सरकार की कोई दादागिरी नहीं है। इसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष और तमाम सदस्यों का योगदान हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम विशेषज्ञ हैं।

उत्तराखण्ड पहला प्रदेश है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल हुआ और सुप्रीम कोर्ट को जो एक्शन टेकन रिपोर्ट की जानकारी दी गयी है। उत्तराखण्ड देश के अन्दर पहला प्रदेश है, जिसने कहा कि चाहे पुलिस कम्प्लेंट अथॉरिटी हो या पुलिस स्टेब्लिसमेंट बोर्ड हो, उत्तराखण्ड पहला प्रदेश है, इसके लिए मैं उत्तराखण्ड की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसने सबसे पहले पुलिस स्टेब्लिसमेंट बोर्ड का गठन किया, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया, पुलिस कम्प्लेन अथॉरिटी का गठन किया, कि जन साधारण सिपाही से लेकर के डिप्टी एस0पी0 तक की यदि कोई कम्प्लेन किसी अधिकारी के बारे में है "पुलिस कम्प्लेन अथॉरिटी" में दायर कर सकते हैं और यह उसको देखेगी। इस पर कार्यवाही करेगी तो इस तरह से जैसे मैंने अभी कहा किसी भी देश दुनिया, दुनिया का कोई भी कोना हो, किसी तरह की तरक्की की हम बात करें, साम्यवादी देश चाईना ही क्यों न हो, लेकिन पीपुल सेंट्रिक पॉलिसी ही दुनिया में सर्वोत्तम पॉलिसी मानी जाती है। जन साधारण की सेहत, जन साधारण का रोटी, कपड़ा और मकान के यही बुनियादी उसूल होते हैं। मैं प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि यह शायद पहला प्रदेश होगा, पूरे देश के अन्दर जिसने अपने नागरिकों को हैल्थ कार्ड इश्यू करने का कार्य किया और हैल्थ कार्ड के आधार पर ही उस व्यक्ति को अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

मान्यवर, यह किसी से छुपा नहीं है कि उत्तराखण्ड शिक्षा का एक बहुत बड़ा केन्द्र रहा है। वैसे पूरा हिमालय ज्ञान और विज्ञान का केन्द्र माना जाता है। मैं उत्तराखण्ड के शिक्षा विभाग को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि यह पहली बार हुआ कि हजारों-हजार शिक्षकों की भर्ती करके और शिक्षा का जो गिरता हुआ स्तर था, उसको रोकने का कार्य किया गया और उसमें सुधार करने का काम किया गया। मान्यवर, लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहे जाने वाले पत्रकार बंधुओं के

बारे में अपनी बात नहीं कहूँगा तो मेरी बात अधूरी रह जायेगी। निश्चित रूप से यह पहला प्रदेश होगा, जिसने चाहे प्रेस क्लब को सुविधाएं देने का प्रश्न हो, या श्रमजीवी पत्रकारों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने का सवाल हो, या बाकायदा एक कॉरपस गठित करके उनके तमाम सारे कल्याणकारी योजनाओं को चलाने का हो, इस सरकार ने बाकायदा एक पुख्ता इन्तजाम किया है, इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

श्रीमन्, पुनर्वास एक बड़ा मुद्दा होता है। इस बारे में हमारा हमेशा यह कहना होता था कि भारत सरकार की जो गाईड लाइंस हैं, जिसे सी0आर0एफ0 बोलते हैं। सेंट्रल रिलीफ फण्ड की जो गाईड लाइंस हैं, उससे कई बार पैसा होते हुए भी हम राहत नहीं दे पाते थे, क्योंकि उत्तराखण्ड में, उत्तराखण्ड की परिस्थितियों के अनुसार वह गाईड लाइंस फिट नहीं बैठती थी। मेरा सुझाव भी है और संभवतः सरकार ने इस दिशा में कोई कदम भी उठाया होगा कि पुनर्वास नीति का पुनः निर्धारण करके और सी0आर0एफ0 की जो गाईड लाइंस है, उनसे हटकर के भी उत्तराखण्ड के स्तर पर राहत पहुँचाने के लिए हमें गाईड लाइंस का कोई निर्धारण करना चाहिए। बायोडाईवरसिटी हमारी ताकत है, उत्तराखण्ड की पहचान है, बायोडाईवरसिटी के मुताबिक चूना खान और जोशीमठ में इकोटूरिज्म सेंटर प्रारम्भ किये गये। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

मान्यवर, समाज का जैसे मैंने कहा उपेक्षित बन्च है गुर्जर समाज। मान्यवर, गुर्जर समाज जो जंगलों में घूम करके अपना जीवन यापन करता है। सरकार ने फिर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन गुर्जर जातियों को राजाजी नेशनल पार्क से हटा करके रिहेबिलिटेशन किया, हरिद्वार के गेंडीखाता में और पथरी में उनका भी जीवन यापन किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूँ। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी समस्या है और कल भी थी। आप डाक्टर भेजना चाहते हैं, आप नौकरी देना चाहते हैं लेकिन डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। मैं इस बात के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि यह पहली सरकार होगी जिसने कहा कि प्राइवेट चिकित्सक निदान योजना के अन्तर्गत आप जाओ, पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पताल खोलो, हम तुम्हें सरकारी सहायता देंगे। निजी प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित करेंगे। श्रीमन्, इतना बड़ा क्रान्तिकारी काम हुआ है, निश्चित रूप से यह सरकार बधाई की पात्र है। श्रीमन्, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ और महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

माननीय अध्यक्ष जी, क्षमा करें, मैंने एक बात कही थी, उसमें संशोधन करना चाहता हूँ। मैंने बताया कि 219 संशोधन आए हैं लेकिन किसी ने जाति प्रमाण–पत्र के बारे में नहीं लिखा है, उसमें एक व्यक्ति ने बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य ने एक जगह पर लिखा है। 219 में से एक है, जिन्होंने जाति प्रमाण–पत्र के बारे में लिखा है। कांग्रेस के नेता ने या किसी सदस्य ने कोई जाति प्रमाण–पत्र के बारे में नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत प्रस्ताव "यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनाँक 3 मार्च, 2008 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है", से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री यशपाल बेनाम की कुल 3 सूचनाएं प्राप्त हुईं। मैं इनमें से श्रीनगर से पूर्व 'गंगा दर्शन मोड़' से "पौड़ी क्यूँ कालेश्वर मन्दिर" तक रोप–वे निर्माण के सम्बन्ध में श्री यशपाल बेनाम की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा ग्राम नीलंग एवं जादुंग, तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी में पैतृक एवं कृषि भूमि जो कि आई0टी0बी0पी0 व सेना के कब्जे में है, के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत एवं राजकीय तकनीकी संस्थानों में नये आधुनिक पाठ्यक्रम, जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग है, को आरम्भ करने के साथ ही प्रदेश में एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं दिनाँक 10 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 02 बजकर 19 मिनट पर दिनाँक 10 मार्च, 2008 को 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनांक 07 मार्च, 2008

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 वि0स0 / 174–18–07–2009–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।